Wednesday, 23 April, 1969

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र Seventh Session]

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

[खंड 28 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XXVIII contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 46, बुधवार, 23 अप्रैल, 1969/3 वैशाख, 1891 (शक)

No. 46, Wednesday, April 23, 1969/Vaisakha 3, 1891 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1261. निर्यात हकदारी योजना	Export Entitlement Scheme ..	1—3
1264. सूती कपड़े का निर्यात	Export of Cotton Textiles ..	4—7
1265. चाय सम्बन्धी भारत-लंका करार	Indo-Ceylon Agreement on Tea ..	7—9
1266. रूस और रूमानिया को निर्यात	Exports to USSR and Rumania ..	10
1267. विदेशों में रहने वाले सम्बन्धियों से ट्रैक्टरों के उपहार	Gift of Tractors from Relations living abroad ..	10—13
1268. रूस और ब्रिटेन से आयात किये गये निकल के मूल्य	Prices of Nickel imported from USSR and U. K. ..	13—14
1269. रूस को काजू की गिरियों का निर्यात	Export of cashew Kernels to USSR ..	14—16
1270. संशिलिष्ट धागे पर नेपाल द्वारा उत्पादन शुल्क घटाया जाना	Reduction in Excise Duty on Synthetic Yarn by Nepal ..	16—18
1272. ल्हासा में तिब्बतियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Tibetans in Lhasa ..	18—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1262. माडल ऊलन मिल्स, बम्बई	Model Woollen Mills, Bombay ..	19—20

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1263. विमान इंजनों के फालतू पुर्जों के बन्द बक्सों की नीलामी	Auctioning of packages of spares Aero Engines ..	20
1271. नये खोजे गए देशों का स्वामित्व	Ownership of Newly Discovered Countries..	20—21
1273. भारतीय स्थल सेना	Indian Army ..	21
1274. रोडेशिया पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Rhodesia ..	21
1275. चीन द्वारा पाकिस्तानियों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाना	Guerilla Training being given to Pakistanis by China ..	21—22
1276. आजाद हिन्द फौज के भूत-पूर्व सैनिक	Ex-INA Personnel ..	22
1277. तेजी से चलने वाला बिजली का अंगुलि संगणक	High speed Electronic Digital Computer ..	22—23
1278. नौसेना के संस्थान	Naval Establishments ..	23
1279. इंडोनेशिया तथा नेपाल को मिलों में बने सूती कपड़े के थानों का निर्यात	Export of Mill made cotton piece goods to Indonesia and Nepal ..	23—24
1280. गोआ, दमण और दीव की मुक्ति	Liberation of Goa, Daman and Dieu ..	24
1281. चाय पर निर्यात शुल्क समाप्त करना	Abolition of Export duty on Tea ..	24—25
1282. टायरों में प्रयुक्त होने वाले धागे का आयात	Import of Tyre Cords ..	25
1283 भूटान के साथ व्यापार	Trade with Bhutan ..	26
1284. योजना की सफलताओं सम्बन्धी प्रतिवेदनों की जांच के लिये संसदीय समिति	Parliamentary Committee for scrutinizing Reports on Plan Performances ..	26
1285. प्राथमिकता प्राप्त उद्योग	Priority industries ..	26—27
1286. रूस से व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल	Trade Delegation from USSR ..	27

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
1287. विदेशों में हमारे मिशनों द्वारा जन-सम्पर्क व्यवस्था का प्रचार	Publicising Public Relations Arrangements of our Missions abroad ..	27—28
1288. शत्रु सम्पत्ति	Enemy property ..	28
1289. झांसी छावनी बोर्ड के सदस्यों द्वारा त्यागपत्र	Resignations by Members of Jhansi Cantonment Board ..	29
1290. कोल्हापुर जिले से टैक्स मार्क शुल्क की वापसी का दावा	Claim for the Refund of Fee of Tex Mark from Kolhapur District ..	29—30
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
7296. खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा मैंगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Manganese Ore by MMTC ..	30—31
7297. चलचित्रों का निर्यात	Export of Films ..	31—32
7298. भारत-ईरान व्यापार	Indo-Iran Trade ..	32—33
7299. राज्य व्यापार निगम	State Trading Corporation ..	33
7300. गुजरात राज्य में हथ-करघा उद्योग	Handloom Industry in Gujarat ..	34
7301. काजू के छिलके से तेल निकालने का उद्योग	Cashewnut shell oil industry ..	34—35
7302. पाकिस्तानी विशेषज्ञों द्वारा कच्छ में ड्रिलिंग	Drilling in Kutch by Pakistani Experts ..	35
7303. निर्यात माल के लिये प्रादेशिक परीक्षण गृह	Regional Test House for Export Goods ..	35—36
7304. घटिया किस्म की रोगाणु-नाशक औषधि की सप्लाई	Supply of Sub-standard disinfectant ..	36
7305. प्रधान मंत्री का सिंगापुर और मलेशिया का दौरा	P.M's visit to Singapore and Malaysia ..	36—37
7306. भावात्मक एकता को बनाये रखने के लिए कार्यवाही	Steps taken to maintain Emotional Integration ..	37

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7307. छोटे पैमाने पर रबर की खेती करने वालों के सम्बन्ध में समिति	Committee on Small Scale Rubber Cultivators ..	37—38
7308. एक्सपोर्ट क्रेडिट एण्ड गारंटी कारपोरेशन लिमिटेड	Export Credit and Guarantee Corporation Ltd. ..	38
7309. खनिज तथा धातु व्यापार निगम	Minerals and Metals Trading Corporation..	39
7310. पूर्वी अफ्रीका में स्कूलों के बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में कठिनाइयां	Difficulties over the Education of school children in East Africa ..	39—40
7311. कश्मीर के बारे में प्रधान मंत्री की रूसी नेताओं के साथ बातचीत	P.M's Talks with Soviet Leaders on Kashmir ..	40
7312. विदेश जाने वाले अधिकारियों को दैनिक भत्ता	Daily allowance to Officer's going abroad ..	41
7313. पाकिस्तान में मन्दिरों की देखभाल	Conversion of Temples in Pakistan ..	41—42
7314. भारतीय दूतावासों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की सहायता	Help by Indian Embassies to Victims of Accidents ..	42
7315. जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और कच्छ में बसाये गए भूतपूर्व सैनिक	Ex-servicemen rehabilitated in Jammu and Kashmir, Rajasthan and Kutch ..	42—43
7316. मजगांव डाक्स लिमिटेड	Mazagaon Docks Ltd. ..	43—44
7318. मध्यवधि चुनावों के बारे में न्यू चाइना न्यूज एजेंसी द्वारा टिप्पणियां	New China News Agency Commentary on Mid-Term Elections ..	44
7319. परमाणु शक्ति के क्षेत्र में प्रगति	Advancement of Atomic Power ..	44—45
7320. अमरीका में भारतीय दूतावास कर्मचारियों पर व्यय	Expenditure on staff in Indian Embassy in USA ..	45—47
7321. नागालैण्ड में अमरीकी संस्थाएं	American organisations in Nagaland ..	47

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

7322.	लोहे गांव सैनिक अड्डे से पेट्रोल की चोरी	Petrol stolen from Lohagaon Military Base..	47—48
7323.	आजाद हिन्द फौज के भूत-पूर्व सैनिकों में असंतोष	Dissatisfaction among ex-INA Men ..	48—49
7324.	युद्ध कैदी के रूप में आजाद हिन्द फौज से भिन्न अधिकारी	Non-I.N.A. Officers as P. O. W's ..	49
7325.	भोपाल कपड़ा मिल्स	Bhopal Textile Mills ..	49—50
7326.	जोधपुर पर बम्बारी	Bombardment on Jodhpur ..	50
7327.	यूगोस्लाविया के सेनाध्यक्ष का भारत दौरा	Visit by Chief of General Staff of the Yugoslav People's Army ..	50
7328.	हिरा मिल कम्पनी लिमिटेड, उज्जैन	Hira Mill Co. Limited, Ujjain ..	51
7329.	इलैक्ट्रोनिक चालित अंक संगणक (इलैट्रोनिक डिगिटल कमप्यूटर)	Electronic Digital Computer ..	51
7330.	गणतंत्र दिवस के निमंत्रण पत्र	Republic Day passes ..	52
7331.	नागालैण्ड में ईसाई	Christian in Nagaland ..	52—53
7332.	मलयेशिया द्वारा मिग लड़ाकू विमानों की खरीद	Purchase of MIG Fighters by Malaysia ..	53
7333.	कोहिमा में विस्फोट	Explosion in Kohima ..	53—54
7334.	यूगोस्लाविया से व्यापार मंडल	Trade Delegation from Yugoslavia ..	54
7335.	जमालपुर के निकट बिहार में सैनिकों द्वारा हमला	Attack by Army Men near Jamalpur in Bihar ..	54—55
7336.	हैदराबाद हाउस के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को दिया गया किराया	Rent paid to Andhra Pradesh Government for Hyderabad House ..	55
7337.	यू०ए०आर०इ० 300 इंजनों के उड़ान का परीक्षण	Flight Trials of UAR-E-300 Engine ..	55—56

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
7338. विकसित, अर्द्ध-विकसित तथा अविकसित जिले	Developed, under-developed and un-developed districts ..	56
7339. लोगों की बुनियादी आवश्यकतायें	Basic Requirements of People ..	56
7340. "सैनिक समाचार" के मुद्रकों तथा प्रकाशकों पर मुकदमा	Prosecution of Printers and Publishers of "Sainik Samachar" ..	57
7341. रेशे वाली (स्टेपल फाइबर) कपास का उत्पादन	Production of staple fibre cotton	57—58
7342. मशीनों से बने गलीचों के लिए लाइसेंस	Licences for Machine made carpets	58
7343. विद्युत धारित्रों (केपोसिटोर्ज) का आयात	Import of power capacitors ..	58—59
7344. भारतीयों को लंदन के हवाई अड्डे पर अन्य देशों की पंक्तियों में शामिल होने के लिए कहा जाना	Indians asked to join other countries Queue at London Airport ..	59
7345. उड़ीसा में भूमिहीन सैनिकों को भूमि का दिया जाना	Landless Army personnel given land in Orissa ..	60
7346. राज्य व्यापार निगम द्वारा प्रबन्ध तकनीकी का प्रारम्भ किया जाना	Introduction of Management techniques by STC ..	60
7347. रूमानिया को लौह अयस्क का निर्यात	Export of iron ore to Rumania ..	60—61
7348. रूस द्वारा भूमिगत अणु विस्फोट	Underground Nuclear Explosion by USSR	61
7349. तांतिया टोपे के स्मृति चिह्न	Relics of Tantia Tope ..	62
7350. नायलोन के धागे के मूल्य	Prices of Nylon Yarn ..	62
7351. हिन्द महासागर में संयुक्त नौसैनिक प्रतिरक्षा व्यवस्था	Joint Naval Defence Machinery in Indian Ocean	62—63
7352. ट्रैक्टरों के टायरों और ट्यूबों का आयात	Import of Tyres and Tubes for Tractors ..	63—64
7353. औद्योगिक विनियमों का उल्लंघन	Violation of Industrial Regulations ..	64

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7354.	संयुक्त अरब गणराज्य के व्यापार उपमंत्री की यात्रा	Visit by Deputy Trade Minister of UAR ..	64
7355.	सीमा सड़क संगठन में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	Class IV Employees in Border Roads Organisation ..	65
7356.	विद्रोही नागाओं तथा चीन के बीच करार	Deal between Naga Hostiles and China ..	65
7357.	नागाओं की गिरफ्तारी	Arrest of Nagas ..	65—66
7358.	चेकोस्लोवाकिया के साथ भारत के व्यापार सम्बन्ध	India's trade relations with Czechoslovakia	66
7359.	ट्रैक्टरों का आयात	Import to Tractors ..	66—67
7360.	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया 1000 वां विमान	1,000th Aircraft built by HAL ..	67—68
7361.	चीन-भारत सीमाओं के बारे में अमरीकी सैनिक विशेषज्ञों के विचार	American Military specialist's observation about Sino Indian Borders ..	68
7362.	टर्की द्वारा पाकिस्तान को टैंक सप्लाई करना	Supply of Tanks to Pakistan by Turkey ..	68—79
7363.	मैसर्स तारना वाच कम्पनी लिमिटेड, बम्बई	M/S Tarna Watch Co. Limited, Bombay ..	69
7364.	इलैक्ट्रोनिक उपकरणों का भण्डार जमा हो जाना	Accumulation of stock of Electronic Components ..	69—70
7365.	कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र	Kandla Free Trade Zone ..	70
7366.	सीमा सड़क संगठन	Border Roads Organisation ..	70—71
7367.	सीमा सड़क संगठन के पास बेकार पड़ी मशीनें	Machinery lying unutilized with Border Roads Organisation ..	71
7368.	वैमानिक समिति के अध्यक्ष को दिया जाने वाला पारिश्रमिक	Remuneration payable to Chairman Aeronautical Committee ..	72
7369.	बी० ट्विल बोरियों का मूल्य	Price of B. Twill Bags ..	72—73
7370.	रूस के प्रतिरक्षा मंत्री की भारत यात्रा	Soviet Defence Minister's visit to India ..	73

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
7371. श्रीलंका द्वारा कच्चाटीवू द्वीप में एक बौद्ध मन्दिर का निर्माण	Construction of a Buddhist temple at Kachativu island by Ceylon	73
7372. दूरस्थ स्थानों के लिए पारेषण उपकरणों का निर्माण	Manufacture of large distance transmission equipment ..	74
7373. तैवान को रेल के माल डिब्बों का निर्यात	Export of Rail Wagons to Taiwan ..	74
7374. बम्बई में इन्दु उद्योग समूह की मिलें	Indu Group of Mills, Bombay ..	74—75
7375. भूतपूर्व राजनयिकों द्वारा राजनयिक पासपोर्ट रखना	Retaining diplomatic passport by Ex-diplomats ..	75—76
7376. भारत और पाकिस्तान के सेनाध्यक्षों के बीच सीधा टेलीफोन सम्पर्क	Installation of hot line between the Army Chief's of India and Pakistan ..	76
7377. पटसन और रुई का रक्षित भण्डार	Buffer stocks of jute and cotton ..	76—77
7378. थुम्बा भूमध्य रेखीय राकेट छोड़ने का केन्द्र	Thumba Equatorial Rocket Launching Station ..	77
7379. 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण मुअत्तिल किये गए सरकारी कर्मचारियों की बहाली	Reinstatement of Government employees suspended for participation in 19 September, 1968 strike ..	77—78
7380. रेसकोर्स और धौला कुआं स्थित वायुसेना केन्द्रों की कैन्टीनें	Canteens run at Air Force stations, Race Course and Dhaula Kuan ..	78
7381. भारतीय नौसेना के जहाजी बेड़े	Fleets for Indian Navy ..	79
7382. छावनी अधिनियम, 1924 में संशोधन	Amendment in Cantonment Act, 1924 ..	79
7383. छावनी बोर्डों के निर्वाचित सदस्यों का सम्मेलन	Conference of elected Members of Cantonment Boards ..	79—80
7384. निर्यात प्रोत्साहन	Export incentives ..	80

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या			
U. S. Q. Nos.			
7385. अमरीका से रुई का आयात	Import of cotton from USA	..	80—81
7386. बन्दरों का निर्यात	Export of monkeys	..	81
7387. विश्व व्यापार में विकासशील देशों का योगदान	Share of developing countries in World Trade	..	81—82
7388. तटस्थ देशों का शिखर सम्मेलन	Non-aligned Summit	..	82
7389. रुई का मूल्य	Prices of Cotton	..	83
7390. सेनाध्यक्ष चुनने का मापदण्ड	Criteria for selection of Chiefs of Staff	..	83
7391. भारत में 'हैवी वाटर' संयंत्र	Heavy Water Plant in India	..	84
7392. राज्य व्यापार निगम द्वारा कारों की बिक्री	Sale of Cars by State Trading Corporation	..	84—85
7393. डी० डब्ल्यू० आटे की बोरियों की खरीद	Purchase of D. W. flour bags	..	85
7394. मशीन टूल्स की सप्लाई	Supply of machine tools	..	85—86
7395. वर्मा में भारतीय सम्पत्ति के लिए मुआवजा	Compensation for Indian properties in Burma	..	86
7396. योजना आयोग में तेलंगाना 'सैल'	Telengana 'cell' in the Planning commission	..	86
7398. भारत में विदेशियों के बागान	Foreign owned plantations in India	..	87
7399. फ्रेंड्स आफ इण्डिया सोसायटी के नियंत्रण पर अमरीका जाने वाले भारतीय	Indians visiting USA on invitation from the Friends of India Society	..	87
7400. इण्डियन एक्स-सर्विसमेन लीग	Indian Ex-servicemen League	..	88
7401. निदेशक का पद स्वीकार करने के लिए अनुमति का दिया जाना	Permission granted for acceptance of the post of directorship	..	89
7402. राज्यों से खरीदे गए औद्योगिक सामान का मूल्य	Value of industrial produce purchased from States	..	89

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7403. मिस्टर रसेल बरायंस की पुस्तक 'दी इण्डो-पाकिस्तान कनफ्लिक्ट'	Book by Mr. Russel Brines on 'The Indo-Pakistan Conflict' ..	89--90
7404. मध्य भारत में एक छावनी बनाना	Development of a Cantonment in Central India ..	90
7405. त्रिपुरा में चाय उद्योग	Tea industry in Tripura ..	90—91
7406. त्रिपुरा में दस्तकारी उद्योग	Handicrafts industry in Tripura ..	91—92
7407. कोयम्बटूर में कपड़ा मिलें	Textile Mills in Coimbatore ..	92
7408. दिल्ली में तैनात वायुसेना के अधिकारी	Air force officers stationed in Delhi ..	92—93
7409. रिगों का आयात	Import of rigs ..	93—94
7410. विद्युतचालित करघों द्वारा रंगीन कपड़ों के बनाने पर प्रतिबन्ध	Ban on production of coloured cloth by powerlooms ..	94—95
7411. साम्यवादी चीन में भारतीय	Indians in communist China ..	95
7412. 1968 में अणु-कार्य में हुई प्रगति	Progress made in Atomic work in 1968 ..	95—96
7413. रुपए में भुगतान के कारणों वाले देशों द्वारा आयात	Imports by countries with which rupee payment arrangement exists ..	96
7414. रूस से उर्वरकों का आयात	Import of fertilizers from USSR ..	96 -97
7415. भारत में निर्मित प्रथम अवकाट टैंकर	First Indian built Avcat Tanker ..	97
7416. विदेशों में रहने वाले भारतीयों की समस्या	Problem of Indians living in foreign countries ..	97—98
7417. आयुध डिपू को घटिया किस्म के साबुन के डण्डों की सप्लाई किया जाना	Supply of sub-standard soap bars to ordnance depot ..	98
7418. भारतीय लड़की का इंगलैंड में प्रवेश	Indian Girl's entry into England ..	98—99
7419. 17 मार्च, 1969 को पाटन में भारत-विरोधी प्रदर्शन	Anti-Indian demonstration at Patan on 17th March, 1969 ..	99

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7421. भारत-चीन सीमा को मजबूत बनाने के लिए नई सड़कों का निर्माण	Construction of new roads for strengthening Indo-China Border ..	99—100
7422. एम० ई० एस० में स्नातक इंजीनियरों के लिए पदोन्नति के अवसर	Chances of promotion for Graduate Engineers in MES ..	100
7423. महाराष्ट्र में व्यक्तियों को कारों का बेचा जाना	Sale of cars to persons in Maharashtra ..	101
7424. प्रधान मंत्री के साथ विदेशों की यात्रा पर जाने वाले गैर-सरकारी व्यक्ति	Non-officials accompanying P. M. on Foreign Tours ..	101
7425. टर्की के माध्यम से पाकिस्तान को पैटन टैंकों की सप्लाई	Supply of Patton Tanks to Pakistan through Turkey ..	101—102
7426. चीते की खाल का निर्यात	Export of Leopard Skins ..	102
7427. भारतीय सूचना अधिकारियों के बारे में पिल्ले समिति का प्रतिवेदन	Pillai Committee Report on Indian Information Officers etc. ..	102
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance— ..	
काश्मीर में उप-चुनाव	Kashmir bye elections ..	103—106
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai ..	103—104
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govind Menon ..	104—106
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	106
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members Bills and Resolutions— ..	
48वां प्रतिवेदन	Forty-eighth Report ..	106
अनुदानों की मांगें—	Demands for Grants—	
श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय	Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation ..	106—139
श्री पी० एम० मेहता	Shri P. M. Mehta ..	107—108
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai ..	108—109

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री काशीनाथ पाण्डेय	Shri K. N. Pandey	.. 109—110
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	.. 111—115
डा० मेलकोटे	Dr. Melkote	.. 115—116
श्री वी० कृष्ण मूर्ति	Shri V. Krishnamoorthi	.. 116—118
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	.. 118—121
श्री के० एम० अब्राहम	Shri K. M. Abraham	.. 121—123
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra	.. 123—124
श्री नी० श्रीकांतन नायर	Shri N. Sreekantan Nair	.. 124—125
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandra Jeet Yadav	.. 125—126
श्री देवेन सेन	Shri Deven Sen	.. 126
श्री इरास्मो डी० सेक्वीरा	Shri Erasmo de Sequira	.. 127—128
श्री स० कुण्डू	Shri S. Kundu	.. 128—129
श्री शान्तिलाल शाह	Shri Shantilal Shah	.. 129—131
श्री बे० कृ० दासचौधरी	Shri B. K. Das Chowdhury	.. 131—133
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra	.. 133—134
श्री दे० अमात	Shri D. Amat	.. 134—135
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	.. 135
श्री हाथी	Shri Hathi	.. 135—139
आय-व्ययक के तथाकथित समय से पूर्व प्रकट हो जाने के बारे में	Re: Alleged leakage of the Budget	.. 111
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion	.. 140
फर्टिलाइजर्ज एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	Fertilizers and Chemicals Travancore Limited.	.. 140—146
श्री ए० श्रीधरन	Shri A. Sreedharan	.. 140—142
श्री द० रा० चह्वाण	Shri D. R. Chavan	.. 142—146

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 23 अप्रैल, 1969/3 वैशाख, 1891 (शक)
Wednesday, April 23, 1969/Vaisakha 3, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

निर्यात हकदारी योजना

*1261. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय में अवांछनीय तत्वों के कारण निर्यात हकदारी योजनाओं में विलम्ब और इंकारी के बारे में पिछले दो वर्षों में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन शिकायतों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

श्री गाडिलिंगन गौड : क्या यह सच है कि निर्यात हकदारी के बारे में विभागीय निर्णय से राहत प्राप्त करने के लिए सरकार तथा उसके सम्बन्धित विभागों के विरुद्ध गत तीन वर्षों में विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में बहुत से मामले दायर हुए हैं ? यदि हां, तो कितने मामले दायर किये गये हैं; कितनों का फैसला हो गया है और कितनों में सरकार के विरुद्ध फैसला सुनाया गया है ?

श्री ब० रा० भगत : कुछ मामले हैं । पूरा ब्योरा तो मैं पूर्व सूचना मिलने पर ही दे सकता हूं ।

श्री नन्द कुमार सोमानी : यदि माननीय मंत्री के पास इस समय जानकारी नहीं है, उन्हें कहना चाहिए कि जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी । इस प्रश्न की पूर्व सूचना कुछ दिन पहले दी गई थी और वह आज इस तरह का उत्तर दे रहे हैं । कुछ दिन पहले उन्होंने स्वयं इस तरह का उत्तर दिया है ।

श्री ब० रा० भगत : वह किया जायेगा । अब मैं जो कुछ कह रहा हूं वह यह है । वह उच्च न्यायालय में दायर किये गये मामलों के बारे में जानना चाहते हैं और यह भी जानना चाहते हैं कि वे किस अवस्था में हैं । यह जानकारी विभिन्न उच्च न्यायालयों से प्राप्त की जानी है ।

श्री गाडिलिंगन गौड : 12 नवम्बर को प्रश्न संख्या 235 और 236 के उत्तर में जिसमें कुछ निर्यातों को अनुचित लाभ पहुंचाये जाने के बारे में पूछा गया था, सरकार ने उत्तर दिया था कि सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी । अब पांच मास हो गये हैं और अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है । क्या सरकार जानकारी अब देगी या कम से कम यह आश्वासन देगी कि आवश्यक जानकारी इस सत्र की समाप्ति से पहले दे दी जायेगी ?

श्री ब० रा० भगत : मैं उस प्रश्न को देखूंगा और यदि संभव हुआ तो इसे शीघ्र ही सभा-पटल पर रखने की कोशिश करूंगा ।

श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या यह बात उनके ध्यान में आई है कि कुछ मास पहले निर्यात हकदारी प्राप्त करने का आधार अचानक केवल कुछ सप्ताह के लिए बदल दिया गया था और बाद में वही पुराना आधार बहाल कर दिया गया और यदि उन्हें इसका पता है, तो ऐसा क्यों किया गया था ?

श्री ब० रा० भगत : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री एस० के० सम्बन्धन : क्या निर्यात हकदारी प्रतिपूर्ति तथा निर्यात शुल्क वापसी में देरी के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? अधिकांश शिकायतें सम्बन्धित निर्यात संवर्धन परिषदों को की जाती हैं । उदाहरण के लिए हमने हथकरघा संवर्धन परिषद् को शिकायत की है । क्या ऐसी शिकायतें सरकार के ध्यान में लाई जाती हैं और क्या सरकार निर्यात संवर्धन परिषदों को ऐसी शिकायतें समय पर सरकार को भेजने के लिए कहेगी ताकि सरकार उन पर कार्यवाही कर सके ?

श्री ब० रा० भगत : यह सच है कि दावों को निपटाने में कुछ देरी हो जाती है हालांकि हमारी कोशिश दावों का निपटारा जल्दी से जल्दी करने की होती है । निर्यात संवर्धन परिषदों तथा अन्य संस्थाओं की सिफारिशें हमारे पास हैं । कुछ मामले विचाराधीन हैं । हम प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रश्न पर निरन्तर विचार कर रहे हैं ताकि दावों का जल्दी से जल्दी निपटारा किया जा सके । इस प्रश्न का सम्बन्ध इस बात से है कि क्या मंत्रालय में अवांछनीय तत्वों के कारण

देरी होती है। हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और न ही गुप्त स्रोतों से ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : यह एक बड़ा गम्भीर मामला है कि निर्यात हकदारी का आधार कुछ सप्ताह के लिए बदल दिया गया था और उसे फिर बहाल कर दिया गया। इसमें कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। क्या मंत्री महोदय सभा को बतायेंगे कि ऐसा क्यों किया गया था ?

श्री ब० रा० भगत : मैं बता चुका हूं कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या मंत्री महोदय मंत्रालय से पता लगायेंगे ?

श्री ब० रा० भगत : मैं अवश्य ही पता लगाऊंगा।

श्री सु० कु० तापड़िया : मंत्री महोदय हमें बता दें कि उनके पास क्या-क्या जानकारी है ताकि हम उनसे उसके बारे में ही प्रश्न पूछ सकें।

श्री लोबो प्रभु : निर्यात हकदारी के सम्बन्ध में अवमूल्यन का एक कारण यह दिया गया था कि इसका बहुत दुरुपयोग हुआ। इस समय यह सुविदित है कि निर्यात मद तरागत मूल्य से चार या पांच गुना मूल्य पर बिकते हैं और इसे और इस तरह की चीज को प्राप्त करने के लिए निर्यात बाध्य कर दिया गया है और उससे हमारे देश में मार्केट पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार निर्यात हकदारी योजना समाप्त क्यों नहीं कर देती और यदि वह आवश्यकता समझें तो कर या कर प्रमाण-पत्र में रियायतें क्यों नहीं दे देती ?

श्री ब० रा० भगत : जैसा उन्होंने कहा है छः या सात गुना वाली कोई बात नहीं है। हकदारी तथा अन्य सहायता केवल चुनींदा वस्तुओं के लिए ही दी जाती है जिसका उद्देश्य उनके निर्यात में सहायता देना होता है और वह अनुमानतः 2 से 25 प्रतिशत तक होती है, छः या सात गुना नहीं।

श्री लोबो प्रभु : उन्हें इसकी बजाये कर प्रमाण-पत्र या करों में रियायतें क्यों नहीं दी जाती हैं ?

श्री ब० रा० भगत : जहां इसे उपयोगी समझा गया वहां इसे अपनाया गया। उदाहरण के तौर पर सूती कपड़े के मामले में करों में रियायत दी गई है। कई प्रकार की नीतियों का पालन किया जाता है।

Shri Rabi Ray : The hon. Minister has just now stated that they want to modify the procedure relating to the export of certain products. What is wrong with the present policies which has necessitated this change ?

Shri B. R. Bhagat : There is some delay in the disposal of claims for export entitlements. We have tried to simplify the procedure to obviate such complaints. We have even made arrangements for carrying out physical check at posts and other places in order to reduce this time lag as far as possible.

सूती कपड़े का निर्यात

*1264. **श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष भारत से कितने रुपयों के मूल्य का सूती कपड़ा निर्यात किया गया; और

(ख) उक्त वर्ष में सूती कपड़ा उद्योग में प्रयोग के लिए कितने मूल्य की रुई, कपड़ा मशीनों और रंगों का आयात किया गया ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). वर्ष 1967-68 में हथकरघा के माल सहित सूती वस्त्रों के निर्यात का मूल्य 90.71 करोड़ रुपया था। वर्ष 1967-68 में सं० रा० अमरीका से, प्रमुखत: पी० एल० 480 कार्यक्रम के अन्तर्गत, आयातित रुई का मूल्य 44.59 करोड़ रु० तथा अन्य देशों से आयातित रुई का मूल्य 38.89 करोड़ रु० था। उसी वर्ष 12.37 करोड़ रु० मूल्य की मशीनों का आयात किया गया। अनन्य रूप से सूती वस्त्र उद्योग के लिए रंजकों के आयात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री वेदव्रत बरुआ : भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ द्वारा दिये गये आंकड़ों से पता चलता है कि सूती कपड़ा निर्यात मूल्य लगभग 100 करोड़ रुपये है और रुई के आयात पर भी इतनी ही राशि खर्च हुई है। इसका अर्थ हुआ कि यह उद्योग निर्यात उद्योग नहीं है। हमें यह ध्यान में रखना है कि प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपये के मूल्य की हथकरघा वस्तुओं का निर्यात होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम वास्तव में बड़ी कठिनाई में हैं। क्या यह सच है कि हमारे सूती कपड़े के निर्यात में भी देसी रुई से बने कपड़े का अंश 85 प्रतिशत है और आयातित रुई से बढ़िया कपड़ा बनाया जाता है जिसका देश के फैशनपरस्त वर्गों द्वारा प्रयोग किया जाता है ? ऐसी स्थिति ज्यादा देर तक नहीं चल सकती विशेषकर जबकि इससे जनसाधारण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उस नीति को कैसे जारी रखा जा रहा है ? क्या नए लाइसेंस उन मिलों को नहीं दिये जायेंगे, जो फैशनी कपड़े बनाते हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : हालांकि माननीय सदस्य ने अनेक बातें उठाई हैं, परन्तु मुख्य बात यह है कि यह उद्योग 100 करोड़ रुपये के रुई आयात पर निर्भर करता है। मैंने 1967-68 के आंकड़े दिये हैं। इस उद्योग का आयात जिसमें निर्यात यह बहुत महत्वपूर्ण हैं—तथा घरेलू उपभोग के लिये उत्पादन भी शामिल है 95.85 करोड़ रुपये है। यह केवल निर्यात के लिये नहीं है, लम्बे रेशे की कपास हमारे यहां उतनी मात्रा में पैदा नहीं होती है जितनी कि हमारी आवश्यकता है। यह सही है कि सुपर-फाइन तथा फाइन (बढ़िया) कपड़ा देश में खपत के लिये बनाया जाता है। मेरे अनुसार उत्तर यह है कि हमें कपास से उत्पादन में आत्मनिर्भर होने की कोशिश करनी चाहिये। और धीरे-धीरे कपड़ा मिल मशीनों का आयात कम कर देना चाहिये। हमारी नीति तथा उद्देश्य यही है जिसे हम विभिन्न उपायों से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री वेदव्रत बरुआ : कपास के मूल्यों तथा उत्पादकों को कपास के अच्छे दाम नहीं मिलते हैं, इस बारे में काफी कुछ कहा गया है। क्या यह सच नहीं है कि अधिकांश मुनाफा बिचौलिये को मिलता है ? क्या कपास की चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो या गैर-सरकारी क्षेत्र में केन्द्र द्वारा खरीद का कोई प्रस्ताव है ताकि उत्पादक को अच्छे दाम मिल सकें और वह अधिक तथा बढ़िया कपास पैदा कर सके ?

श्री ब० रा० भगत : गत दो-तीन वर्षों से बाजार भाव समर्थन मूल्य से अधिक रहा है। हमारा उद्देश्य यह है कि व्यापारी या बिचौलिये को लाभ नहीं मिलना चाहिये और यदि मूल्य अधिक हों तो उत्पादक को लाभ मिलना चाहिये। हम विभिन्न अनुपूरक संस्थाओं के माध्यम से उत्पादकों से कपास खरीदने के लिये प्रयास कर रहे हैं ताकि उत्पादक को लाभ मिल सके। इस सम्बन्ध में संगठन को मजबूत बनाने की आवश्यकता है और उस बारे में सोच रहे हैं।

श्री नन्द कुमार सोमानी : सूती कपड़े का निर्यात कम होने के दो-तीन महत्वपूर्ण कारण हैं एक तो ब्रिटिश टेक्सटाइल कौंसिल द्वारा हाल में 15 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जाना है। ओटावा व्यापार करार का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। यदि यह मामला वैदेशिक व्यापार मंत्री के स्तर पर तय न किया जा सके तो प्रधान मंत्री को इसे ऊंचे स्तर पर उठाना चाहिये ताकि हमारा निर्यात बना रहे। दूसरा कारण कपास के मूल्य में आकस्मिक वृद्धि है जिसे कुछ दिन पहले वाद-विवाद का उत्तर देते हुए स्वयं मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है। इसलिये भारत सरकार को पी० एल०-480 के अन्तर्गत रुई के आयात की घोषणा करने के सम्बन्ध में उचित उपाय करने चाहिये, जिससे इस महत्वपूर्ण कच्चे माल पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इन दो महत्वपूर्ण विषयों के बारे में सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

श्री ब० रा० भगत : जमा योजना के अन्तर्गत ब्रिटेन की कठिनाइयों के बावजूद हमारा निर्यात कम नहीं हुआ है अपितु बढ़ा है—यह 84 प्रतिशत की तुलना में 90.7 प्रतिशत है। परन्तु तथ्य यह है कि यह प्रतिबन्ध ब्रिटेन जैसे देशों को निर्यात के मामले में बाधा उपस्थित करता है। इस मामले में ब्रिटिश सरकार से बातचीत की गई थी। परन्तु उन्होंने इस मामले में कुछ भी नहीं किया है। इसे उच्च स्तर पर उठाने में कोई तुक नहीं है। हम उनसे इस मामले में निरन्तर बातचीत कर रहे हैं।

जहां तक रुई के मूल्य तथा माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव का सम्बन्ध है, हम पहले ही कह चुके हैं कि हम पी० एल०-480 के अन्तर्गत आयात करने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही करार हो जायेगा, हम इसकी घोषणा कर देंगे।

Shri Achal Singh : Due to shortage of cotton, mills have closed down and a grave danger is facing the cotton textile industry. What efforts are being made by the Government to protect the industry ?

Shri B. R. Bhagat : The affairs of the mills that have been closed down together with the reasons for their closure and the possibility of resumption of work in them are

being looked into. The Textile Corporation is investigating into all these matters with a view to run most of the mills. Other efforts to overcome these difficulties are also being made.

Shri Hukam Chand Kachwai: The sale of our hand made cloth in foreign countries has largely declined. The reasons for this are that the progressive textile industries who enjoy a monopoly in the trade, fetch more markets in foreign countries. This has adversely affected our hand made cloth industries. What special efforts are being made by the Government to promote the sale of hand made cloth ? Whether the Government have drawn up a scheme for the export of cloth produced by the mills which are not functioning properly.

Shri B. R. Bhagat: The cloth to be exported should be of good quality and its price should be competitive. The mills which have gone out of order are not expected to produce good quality cloth. The question of exporting their produce does not arise. We are making efforts to promote the export of products of unorganized sector and also to promote the sale of handloom cloth by establishing a separate corporation.

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : मंत्री महोदय ने एकदम कह दिया है कि कपास की कीमतें बढ़ गई हैं। उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि कपास के मूल्य उस समय बढ़े हैं जब उपज का 90% भाग बिक चुका है तथा कृषकों के पास कुछ भी माल नहीं बचा है और उससे केवल उसी वर्ग को लाभ पहुंचेगा जिसकी कपड़ा मिलों के साथ पहले ही सांठगांठ है। मंत्री महोदय ने बताया है कि ऐतिहासिक कारणों से लम्बे रेशे वाली कपास का आयात किया जाता है। वे ऐतिहासिक कारण ये हैं कि इस देश के सम्पन्न व्यक्ति वर्ग, अति महीन सूती कपड़े को छोड़कर, किसी भी स्वदेशी वस्तु को छूते तक नहीं। गज भर महीन कपड़े का भी निर्यात नहीं हो पाता।

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय से क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : जब हमारे देश के कृषक, लम्बे से लम्बे रेशे वाली कपास, जो कि विश्व के किसी भी भाग में पैदा होती है, को हमारे यहां पर्याप्त मात्रा में पैदा कर सकते हैं, तब हम मूल्यों को समर्थन क्यों नहीं देते और मूल्य को जान बूझकर कम क्यों रखते हैं ? हम कृषकों को समर्थन नहीं देते जबकि उनको इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। हम कपास के मूल्य नियत न करके रुई के मूल्य नियत करते हैं। क्या हमें ज्ञात नहीं कि रुई खेतों से नहीं अपितु कारखानों से आती है ? वास्तव में हमारी नीति मिल मालिकों को समर्थन देने की रही है न कि किसानों को लाभ पहुंचाने की। क्या सरकार आयातों को इस प्रकार नियमित करेगी, तथा ऐसे विनियम बनाएगी जिससे किसानों को लाभ हो तथा कपास का उचित मूल्य नियत हो ?

श्री ब० रा० भगत : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं।

श्री सु० कु० तापड़िया : मंत्री महोदय ने बताया है कि मूल्य तथा गुण प्रकार के आधार पर ही किसी वस्तु के निर्यात के लिए उपयोगिता निश्चित की जाती है। उन्होंने सरकार की निर्यात नीति के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया। इस बारे में विवाद का प्रश्न यह है कि अवांछनीय तत्वों का प्रवेश तब होता है जब सचिव तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा मंत्रियों को गलत परामर्श दिया जाता है और मंत्रीगण उस पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं। क्या यह सत्य नहीं

है कि जब इंग्लैंड को निर्यात किये जाने वाले कपड़े के कोटे निश्चित करने की नीति तय की जा रही थी तब हममें से कुछ व्यक्तियों ने उसका विरोध करते हुए कहा था कि उससे निर्यात घटेगा, परन्तु उस परामर्श की ओर ध्यान नहीं दिया गया था। पिछले 6 मास में कितना सूती वस्त्र इंग्लैंड को निर्यात किया गया तथा क्या वह निर्यात पूर्व के 6 महीनों से कम नहीं है और यदि ऐसा है तो कितना कम है ?

श्री ब० रा० भगत : मेरे पास सभी महीनों के आंकड़े नहीं हैं। शुल्क लगाए जाने तथा 50% जमा योजना लागू करने के पश्चात् हमारा निर्यात व्यापार घट गया था परन्तु बाद के महीनों में निर्यात पुनः बढ़ गया है।

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या सरकार ने कोटे नियत किये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : कोटे निर्यात को विनियमित करने के लिए ही नियत किए जाते हैं।

श्री सु० कु० तापड़िया : इस निर्यात कोटे का अभिप्राय क्या है ? क्या इसका अर्थ यह है कि आयात करने वाले देश माल का आयात करने के जितने इच्छुक हैं उससे अधिक लोग माल का निर्यात करना चाहते हैं। कोटे द्वारा अधिक निर्यात नहीं हो पाता। क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि कोटे नियत करना गलत नीति है ?

श्री ब० रा० भगत : कोटा निर्यात को कम करने के लिए नहीं है। 50% जमा-योजना के साथ निर्यात-कर्ताओं को अनेक सुविधाएं भी दी गई थीं और इसको नियमित रूप से बढ़ाना ही अभिप्रेत है, न कि उसे घटाना।

श्री मणिभाई जे० पटेल : स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व 52 करोड़ रुपए के मूल्य का कपड़ा आयात किया जाता था, उस पर हमें बहुत क्षोभ था। अब हम 95·8 करोड़ रुपए मूल्य की कपास का आयात करते हैं। क्या सरकार कपास उगाने वालों को, अधिक समर्थन मूल्य देकर प्रोत्साहित करेगी जिससे कि इतनी बड़ी विदेशी मुद्रा का अन्यत्र उपयोग किया जा सके ?

श्री ब० रा० भगत : हमारी योजना में यही सब से कमजोर बात है कि हम लम्बे रेशे वाली कपास के गुण प्रकार बढ़ा नहीं पाए। इसके लिये अन्वेषण, पूंजी विनियोजन तथा कृषकों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

Indo-Ceylon Agreement on Tea

*1265. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4798 on the 17th December, 1968 and state :

(a) whether the joint meeting of the Working Groups of both the countries regarding the agreement reached between India and Ceylon on Tea has been held ;

(b) if so, the decisions taken in this meeting ; and

(c) if not, when it is proposed to be held ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ज्यों ही भारत तथा श्रीलंका के कार्यकारी दलों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों पर उनकी सम्बद्ध सरकार द्वारा विचार कर लिया जायेगा, त्यों ही उन दलों की संयुक्त बैठक बुलाई जायेगी ।

Shri Ram Swarup Vidyarthi : Part 'A' of the original question reads as follows :—

"whether the joint meeting of the Working Groups of both the countries regarding the agreement reached between India and Ceylon on tea has been held."

The Hon. Minister replied to that part in negative. Has the Standing Committee, formation of which recommended under the agreement, been formed ? If not, what are the hinderances in it's way ? Who are the members of the Standing Committee from our side.

Shri B. R. Bhagat : There is separate Standing Committee of the Working Group. We have received the report of the Working Group which is under considerations. A meeting of the Joint Working Committee was held a few days ago and the Secretary of the Foreign Trade Ministry participated in that as leader of our delegation. I do not have the names of other members.

Shri Ram Swarup Vidyarthi : The agreement is pretty old and our Government does not appear to have made efforts required to implement it. Some difficulties might have arisen in the matter but the official machinery did not like cooperation between India and Ceylon in the matter of export of tea which would have enabled this country to earn sufficient amount of foreign exchange. Were not hinderances put by the officials in the way of implementation of the agreement? Was some representation received from the trade against such an official attitude ? If so, what decision was taken in the matter ?

Shri B. R. Bhagat : So far as, initiation of joint action by India and Ceylon, with a view to fetch higher unit price for tea, it is not solely in our hands. The matter can proceed further only by agreement between the two countries. We, as a large scale exporter of tea, are anxious to increase export and to exhance its unit value. We are also interested to take up blending packaging and enhancing marketing of tea.

Shri Ram Swarup Vidyarthi : My question was as to whether any complaint was received or not ?

Shri B. R. Bhagat : There is no question of any complaint. We receive suggestions which are considered by the tea board and also by planters.

श्री हेम बरुआ : भारत तथा लंका विश्व के बाजारों में अपनी चाय अत्यन्त अनुकूल शर्तों पर बेचना चाहते हैं । लंका की अपेक्षा भारतीय चाय को पूर्वी अफ्रीकी देशों के साथ अधिक प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है । उसका सामना करने के लिए दोनों देशों के संयुक्त प्रयत्नों को समन्वित करने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत : दोनों देश परस्पर सहयोग कर रहे हैं और उनकी एक स्थायी समिति बनी है जो इन सभी प्रश्नों पर तथा समस्या के सभी पहलुओं पर ध्यान दे रही है तथा

कार्यकारी पत्र तैयार कर लिए गये हैं जो अन्तिम स्वीकृति के लिए दोनों देशों के विचाराधीन हैं।

श्री हेम बरुआ : स्थायी समिति का एकमात्र उद्देश्य दोनों देशों के मध्य आपसी प्रतियोगिता को कम करना है। मैं जानना चाहता हूं कि पूर्वी अफ्रीकी देशों की ओर से होने वाली प्रतियोगिता को घटाने की दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री ब० रा० भगत : स्थायी समिति का उद्देश्य दोनों देशों के मध्य प्रतियोगिता घटाना नहीं है। दोनों देश चाय के मुख्य विक्रेता हैं तथा उनकी रुचि निर्यात के सभी पहलुओं में है।

Shri Sitaram Kesri : I learn from the newspapers that both the Governments have started a joint venture and have also decided to establish a joint company to meet the competition from East African countries. I want to know whether the newspaper report is correct ?

Shri B. R. Bhagat : It is neither the intention of Indian nor of Ceylon to establish any consortium to meet the competition from East African countries. A meeting of tea producing countries was held at Kampala. India, Ceylon and some East African countries are jointly considering the problems relating to marketing of tea in the world and in case it's unit value declines, what facilities should be acquired. The production of East African countries is still on the low side. I want to make it clear that we have nothing against these countries.

Shri Sitaram Kesri : My question was whether India and Ceylon have established any joint company ?

Shri B. R. Bhagat : The report of the working group formed for establishment of a consortium of the two countries. It could be formed after arriving at an agreement and after the report has been fully considered.

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत और लंका के संयुक्त प्रयत्नों का विचार सर्व प्रथम उस समय उठा था जब प्रधान मंत्री सितम्बर, 1967 में लंका गई थीं। तत्पश्चात् जून, 1968 को वाणिज्य मंत्री की यात्रा के दौरान समिति का गठन हुआ। उक्त समिति को बाद में छोटे-छोटे अध्ययन दलों में विभाजित कर दिया गया जिनकी बैठकें समय-समय पर होती रही हैं। इन सब प्रयत्नों के बावजूद भी $1\frac{1}{2}$ वर्ष की अवधि में निर्यात बढ़ाने के संयुक्त प्रयत्नों का कुछ भी ठोस परिणाम नहीं निकला है। ऐसे स्पष्ट संकेत मिले हैं कि लंका इस मामले में उत्सुक नहीं है। अभी हाल में हुआ कम्पाला सम्मेलन में, जिसमें लंका के वाणिज्य मंत्री ने भाग लिया था, लंका सरकार की ओर से स्पष्ट संकेत दिया गया था कि भारत लंका का संयुक्त सार्थ-संघ स्थापित होने की सम्भावना नहीं है।

श्री ब० रा० भगत : मैं अपने देश के बारे में आश्वासन दे सकता हूं। यदि लंका से सहयोग नहीं मिलता तो हम अपने हितों की रक्षा के लिए समुचित कार्यवाही करेंगे।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या वाणिज्य मंत्री के कथनानुसार सार्थ-संघ बनने की सम्भावना नहीं है ?

श्री ब० रा० भगत : जब तक वे इन्तजार नहीं करते, कार्य चलता रहेगा।

Export to U.S.S.R. and Rumania

*1266. **Shri Suraj Bhan :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that export of Indian goods to Russia and Rumania has declined during the recent past ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action taken in this connection ?

The Minister of Foreign Trade and Supply (Shri B. R. Bhagat) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Shri Suraj Bhan : The statement of the Hon. Minister is astonishing We read in the newspapers that our annual trade with Russia is worth Rs. 300 crores of rupees. What is the position of price finalization in respect of our wagon deal with that country ?

Shri B. R. Bhagat : All that is published in the newspapers is not correct and requires investigation of facts. The export of our goods to Rumania and Russia has increased especially in 1968, when our export was to the tune of 139 crores of rupees. There has been no agreement yet on wagon deal. A copy of the agreement will be placed on the Table of the House when it is finalised.

Shri Suraj Bhan : Are all our export items usual one like tea etc. or some new items have been added ?

Shri B. R. Bhagat : There are old items as well new ones on the increase. There has been an increase in export of Engineering goods from 3.2 crores in 1967 to 11.9 crores in 1968.

श्री स्वैल : ऐसी अफ्वाहें हैं कि रूसियों ने इन माल डिब्बों के मूल्य बहुत अधिक निर्धारित किए हैं ताकि सभी व्यावहारिक प्रयोजनों से रूसियों के साथ यह सौदा नहीं हो सका। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इन माल डिब्बों के वर्तमान मूल्य क्या हैं जिनके बारे में बातचीत हो रही है और क्या सरकार इन मूल्यों को लाभप्रद समझती है।

श्री ब० रा० भगत : समझौता वार्ता महत्वपूर्ण स्थिति में है तथा शर्तों व मूल्यों आदि का बनाना लोक महत्व में नहीं है।

Gift of Tractors from Relations Living Abroad

×

*1267. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the number of persons who made use of the facility given some time back regarding sending of tractors by the Indians residing abroad to their relatives ;

(b) whether Government have given some facility also in regard to the import of parts of those tractors ; and

(c) whether the question of further liberalising the rules for the said facility is being considered, until the tractors are not manufactured in India upto our requirements ?

The Minister of Foreign Trade and Supply (Shri B. R. Bhagat) : (a) 190 persons have been granted Customs Clearance Permits for the Import of Tractors under the Gift Scheme so far.

(b) Yes, Sir, permissible spare parts can be imported up to 12 per cent of the C.I.F value of the tractor.

(c) No such proposal is under consideration at present.

Shri Prakash Vir Shastri : While replying to the similar question previously the hon. Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture, Shri Annasahib Shinde, had stated that the scheme was being exercised on experimental basis. Any attempts for liberalising that scheme would be taken after the receipt of the outcomes of those experiments. May I know the period scheduled for making experiments and the procedure on which any adjustment in this scheme would be done ?

Shri B. R. Bhagat : This scheme would remain upto 31st October, 1969. The liberalisation in this scheme could be done on the basis of the demand noted during this period.

Shri Prakash Vir Shastri : It has been the policy of the Government to promote the production of the indigenous foodgrains and I feel that our production has also increased to considerable size due to the sowing of Maxican wheat etc. which was imported from foreign countries. But due to the non-availability of adequate numbers of tractors the Indian farmers could not produce as much as they would like to do. May I know whether the Government will reconsider the scheme and make certain provision under which more and more tractors can be imported without involving any amount of foreign exchange ?

Shri B. R. Bhagat : Keeping the same point in view the clearance has been made to import 15,000 tractors and the foreign Exchange has been allocated for this item. The attempts are also being made to obtain adequate number of tractors under the Gift scheme.

I admit the need for tractors today. Tractors numbring 16,000 are manufactured in our country and 15,000 tractors are to be imported. Apart from this some tractors will be obtained under gift scheme. But the demand of the people for the tractors is much more than this. If we were not in deficit of foreign exchange many more tractors would have been imported. All these things would be in mind while considering this scheme.

Shri Prahash Vir Shastri : How much money in foreign exchange is involved in this case when he says that the tractors should be purchased in the country concerned and then sent to India ? May I know the difficulty in importing such tractors as do not involve any amount of foreign exchange ?

Shri B. R. Bhagat : I have stated that we have no objection to accept a genuine gift. Besides this, we also import tractors.

Shri Shiv Kumar Shastri : May I know the names of the countries from which 190 tractors have been imported recently and the strength of these tractors ? Are these tractors of more than 20 H. P. or less than this ?

At the same time, may I know whether it is considered that the gift of tractors is donated to the genuine farmers in order to keep aside any sort of evil practice in this scheme ?

Shri B. R. Bhagat : The detailed information in this regard is to be collected. Under the clearance made by the Government all the tractors to be received in India are of 35, 50 H. P. Some of them are more powerful and some of them are less powerful.

Shri Shiv Kumar Shastri : The gift should invariably be bestowed to the genuine agriculturist. This aspect has been considered or not ?

Shri B. R. Bhagat : Yes, Sir, it is always borne in mind that the gift should necessarily go to the actual users.

श्री एम० पी० राणा : क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध है कि कितने अथवा कितने मूल्य के या कितने हार्सपावर के ट्रैक्टरों का आयात हो सकता है ।

श्री ब० रा० भगत : क्या इस योजना के अन्तर्गत इस संबंध में कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि कितने मूल्य तथा कितने हार्सपावर के ट्रैक्टरों का आयात हो ।

श्री वी० कृष्णामूर्ति : मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है कि भारत जैसे देश में जहां बहुत से ट्रैक्टरों की आवश्यकता है । इस योजना के अन्तर्गत समस्त देश के लिए बिना विदेशी मुद्रा खर्च किये केवल 190 ट्रैक्टर प्राप्त किये गये हैं । इसका कारण यही है कि इस विषय में नियम बहुत कड़े हैं तथा केवल निकट सम्बन्धी ही भारत के नागरिकों को उपहार-स्वरूप ट्रैक्टर भेज सकते हैं । सरकार ने समुचित योजना नहीं बनाई है तथा मंत्री महोदय ने स्वीकार भी किया है कि भारत में केवल 16,000 ट्रैक्टरों का ही उत्पादन होता है । विदेशी मुद्रा के अन्तर्गत 15,000 ट्रैक्टरों के आयात की अनुमति दी गई है जबकि भारत में प्रति वर्ष 65,000 ट्रैक्टरों की मांग है । देश में ट्रैक्टरों की मांग को सरकार किस प्रकार पूरा करेगी ? सरकार इस प्रकार की छूट क्यों नहीं देती कि विदेशों में रहने वाले अपने भारतवासी मित्रों को इस प्रकार से ट्रैक्टर भेज सकें जिससे विदेशी मुद्रा का प्रश्न न उठ सके ? क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : 1969-70 में 36,000 तथा 1970-71 में 40,000 ट्रैक्टरों की मांग का अनुमान है । 65,000 की मांग कहीं नहीं है ।

श्री वी० कृष्णामूर्ति : खाद्य तथा कृषि मंत्री ने उल्लेख किया है कि 65,000 ट्रैक्टरों की आवश्यकता है । इस मंत्रालय को इस बात का भी पता नहीं है ।

श्री ब० रा० भगत : मैं अपने मंत्रालय द्वारा निर्धारित संख्या का उल्लेख कर रहा हूं । जैसा कि मैंने निवेदन किया है यह योजना परीक्षण के रूप में बनाई गई है । हम इस पर पूरा ध्यान रख रहे हैं तथा यदि इस परीक्षण के आधार पर कोई उदारता बरतने की आवश्यकता महसूस हुई तो हम उस पर विचार करेंगे । **(व्यवधान)**

श्री वी० कृष्णामूर्ति : यदि विदेशी मित्रों को भारत में ट्रैक्टर भेजने की अनुमति दे दी जाये तो इसमें क्या हानि है ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । श्री मृत्युंजय प्रसाद ।

Shri Mrityunjay Prasad : May I know whether an Indian employed in foreign country or performing any sort of business to earn money abroad is allowed to send a tractor here for using it on his own farms and whether he can send a tractor to his father-in-law or his son-in-law who are his near relations ?

Shri B. R. Bhagat : He is allowed to send it for his own use.

Shri Maharaj Singh Bharti : During the Fourth Five Year Plan the requirement of the tractors in the year 1973-74 has been estimated to be 90,000 by your Agriculture Department **vis-a-vis** the total production of the tractors, as indicated in the draft Fourth Five Year Plan, in the year 1973-74 will be of the order of 50,000 tractors which shows a shortage of 40,000 tractors. May I know the ways and means by which this shortage is sought to be met ? May I know the reasons for restricting the gift scheme upto the 31st October 1969 ? In the existing circumstances, why this scheme should not be announced to be effective during the entire period covered by the Fourth Five Year Plan without considering the occupation of a donor if it is presented to a genuine farmer ?

Shri B. R. Bhagat : We are making efforts to promote the production of tractors in our own country upto the year 1973-74. For this purpose licences have been issued.

श्री वी० कृष्णा मूर्ति : जब माननीय मंत्री को देश की वास्तविक आवश्यकता का ही पता नहीं है तो वह प्रश्नों का उत्तर ही कैसे दे सकते हैं ।

श्री ब० रा० भगत : मैंने इस वर्ष की तथा आगामी वर्ष की अनुमानित आवश्यकता का उल्लेख किया है । माननीय सदस्य के आंकड़े यदि भिन्न हैं तो उसके लिये मैं उत्तरदायी नहीं हूं **(अन्तर्बाधाएं)** मैं दूसरे माननीय सदस्य के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं । उत्पादन में वृद्धि करने के लिये ही हमने इस पर अनुज्ञप्ति देना बन्द कर दिया था । यदि ट्रेक्टरों की मांग हो तथा कोई व्यक्ति अधिक ट्रेक्टरों का उत्पादन करना चाहे तो वह कर सकता है ।

Shri Maharaj Singh Bharti : It has been stated in the draft Fourth Five Year Plan that in 1973-74 the total production of the tractors will be of the order of 50,000.

श्री ब० रा० भगत : जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं चौथी पंचवर्षीय योजना में इस परीक्षण स्वरूप अपनाई गई योजना को यदि आवश्यक समझा गया तो बढ़ा दिया जायेगा । जैसे इस योजना की अवधि समाप्त होगी अक्तूबर, 1969 में हम इस पर पुनर्विचार करेंगे ।

Prices of Nickel imported from USSR and U. K.

*1268. **Shri S. S. Kothari :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that nickel is sold to India by Russia at a price which is 185 per cent higher than the price at which it is sold by U. K. ; and

(b) if so, the reasons for this disparity in prices ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : भारत पूर्वी यूरोपीय देशों से ऊंचे दामों पर माल का आयात करता है तथा उन्हें कम मूल्य पर अपनी वस्तुएं निर्यात करता है । विभिन्न वस्तुओं के बारे में साधारणत: यही प्रक्रिया अपनाई जाती है । सरकार निकल के आयात के लिये रूस पर आश्रित न रहने के बारे में क्या उपाय कर रही है तथा स्वदेश में निकल का उत्पादन करने और ब्रिटेन से इसका आयात करने के सम्बन्ध में भी क्या कदम उठाना चाहती है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : इस सम्बन्ध में वास्तव में साधारण प्रक्रिया ऐसी नहीं है जैसी माननीय सदस्य ने बताई । न ही हम अपनी वस्तुओं का कम मूल्य पर निर्यात करते है और न ही अधिक मूल्य पर दूसरे देशों से किसी वस्तु का आयात करते हैं । उन्होंने मुख्य प्रश्न में भी कहा है कि रूस द्वारा भारत को निकल ब्रिटेन के बिक्री मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है । यद्यपि मैंने उनकी बात का नकारात्मक उत्तर दिया है तथापि माननीय सदस्य अपनी कल्पना किये जा रहे हैं । उड़ीसा में कुछ मात्रा में निकल उपलब्ध है तथा इस बात का पता लगाया जा रहा है कि उसका विदोहन लाभप्रद होगा या नहीं । इसके अतिरिक्त देश में निकल और कहीं नहीं उपलब्ध है । रूस ने प्रतिस्पर्धा मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में निकल देना स्वीकार किया है ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : ऐसा प्रतीत होता है कि एम० एम० टी० सी० द्वारा आयात निश्चित किया जाता है जो 20 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव निकल का आयात करती है तथा 40 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से सप्लाई करती है । यह मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति है । ऐसी स्थिति में क्या सरकार निकल का वास्तव में उपयोग करने वालों को निकल का आयात करने के लिये सीधे अनुज्ञप्ति देगी ?

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य को जैसी शंका है उस प्रकार की कोई मुनाफाखोरी नहीं की जाती है क्योंकि इस मामले में नीति यह है कि कम पूर्ति वाले कच्चे माल का आयात करने से साधारणत: उस माल का बाजार-मूल्य से कम मूल्य लिया जाय । इस मामले में निकल का भारी उपयोग दुर्गापुर इस्पात कारखाने में होता है तथा यह कारखाना सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत है ।

रूस को काजू की गिरियों का निर्यात

*1269. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में रूसको कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की काजू की गिरियों का निर्यात किया गया है ;

(ख) गत दो वर्षों में अन्य देशों को काजू की गिरियों का निर्यात करने से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ; और

(ग) क्या भारत उन सब देशों की मांग को पूरा कर सका है जिन्होंने इस देश से काजू की गिरियों का आयात करने में दिलचस्पी दिखाई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 (अप्रैल-दिसम्बर, 1968) में रूस को निर्यातित काजू की गिरियों का मूल्य तथा परिमाण क्रमशः 9.2 करोड़ रु० की 11,100 मेट्रिक टन तथा 14.1 करोड़ रु० की 14,400 मेट्रिक टन था ।

(ख) वर्ष 1967-68 तथा वर्ष 1968-69 (अप्रैल-दिसम्बर 1968) में रूस को छोड़कर अन्य देशों को काजू की गिरियों के निर्यात द्वारा क्रमशः 33.83 करोड़ तथा 32.19 करोड़ रु० मूल्य की विदेशी मुद्रा का उपार्जन हुआ ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Sitaram Kesri: May I know whether it is a fact that in the month of December, 1968 the shipment containing the Cashew Kernels which were being exported to Russia was stopped at Cochin Port and due to this we could not export the maximum possible quantity of Cashew Kernels?

Shri B. R. Bhagat: How much quantity of Cashew Kernels was to be exported has been exported and no let up has been experienced by us in this regard.

Shri Sitaram Kesri: Secondly I want to know whether certain countries, other than America which is the main buyer of Cashew Kernel, have placed their demands have been met by us, and if not, the reasons thereof? Is it also a fact that in order to meet their demands the Government have imported Cashew Kernels from East Africa ?

Shri B. R. Bhagat: The largest quantity of Cashew Kernels is being exported to America and this is progressively increasing. During the year 1967-68 the Cashew Kernels, valued at Rs. 23 crores were exported and during the period of 9 months (from April to December) more than Rs. 22 crores were earned by way of exporting this commodity. Therefore, there is no question of fall in our export. The actual difficulty is that the imported Cashew Kernels are first processed here and then exported to other countries. If the production of indigenous Cashew Kernels is increased we would be able to promote the export of this commodity.

श्री कृ० मा० कौशिक : सभी जानते हैं कि काजू से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है । यह भी सच है कि काजू की काश्त के लिये किसी विशिष्ट प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है । जब ऐसी स्थिति है तो क्या सरकार ने काजू की काश्त अधिक भूमि में करने तथा उसमें प्रगति लाने के लिये कोई नीति बनाई है ?

श्री ब० रा० भगत : जी, हां । पिछले वर्षों में भी हमारा यह प्रयत्न रहा था कि काजू की काश्त में वृद्धि की जाय । वास्तव में 1961-62 से अब तक यह 1,18,000 हैक्टर से बढ़ कर 2,20,000 हैक्टर हो गई है तथा लगातार बढ़ती जा रही है । आगामी वर्षों में भी काजू का उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न किये जायेंगे ।

श्री समर गुह : यह मानी हुई बात है कि अब विदेशों में भारतीय काजू काफी पसंद किया जाने लगा है । काजू से हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है । प्रायः काजू का उत्पादन समुद्री तटीय क्षेत्रों में ही होता है जो मिदना पुर से केरल तक फैला हुआ है । जहां तक मेरा वैयक्तिक अनुभव है मैंने पाया है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में काजू के उत्पादन की उपेक्षा की जाती है । उड़ीसा के कौन्तेय सब-डिवीजन में तथा अन्य क्षेत्रों में भी काजू के उत्पादन में वृद्धि करने की काफी सम्भावनायें हैं किन्तु वहां के लोगों को ऋण सम्बन्धी तथा माल को बाजार में लाने-ले जाने की सुविधायें नहीं हैं । क्या सरकार बतायेगी कि वहां के लोगों को ये सुविधायें प्रदान करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है अथवा करना चाहती है ?

श्री ब० रा० भगत : जहां तक मिदनापुर जिले का प्रश्न है, मुझे यह पता लगाना पड़ेगा कि वहां काजू की पैदावार बढ़ाने के लिये क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं । किन्तु काजू की अधिकतर पैदावार पश्चिमी समुद्रतट पर केरल, मैसूर, तामिल नाडु राज्यों में तथा आंध्र प्रदेश के कुछ भाग और गोआ तथा बम्बई में भी की जाती है । इसमें विस्तार भी किया जा सकता है । मैंने पहले भी कहा था कि गत वर्षों में भी हमने काजू के उत्पादन में वृद्धि की है तथा आगे भी हमारा यही प्रयत्न रहेगा कि अधिक से अधिक भूमि में काजू की काश्त की जाय । यह निर्णय कर सकना कठिन है कि काजू का उत्पादन किसी अन्य फसल के बदले में किया जाय अथवा इसे ऐसी भूमि में पैदा किया जाय जिसे हाल ही में कृषि योग्य बनाया गया है । इन सभी बातों पर विचार करना होगा ।

श्री समर गुह : महोदय, मेरा कुछ और ही प्रश्न था ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि मिदनापुर के बारे में मुझे पता नहीं है ।

श्री समर गुह : वह इतना तो कह सकते हैं कि मैं प्रश्न पर विचार करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि करेंगे ।

संशिलिष्ट धागे पर नैपाल द्वारा उत्पादन शुल्क घटाया जाना

*1270. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नेपाल द्वारा दिसम्बर, 1968 में अन्य देशों से संशिलिष्ट धागे के आयात पर उत्पादन शुल्क में की गई कटौती की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका नेपाल से भारत में इस धागे अथवा इसके बने कपड़ों के आयात पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ; और

(ग) देश के उद्योग-पूंजी तथा श्रमिकों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं । नेपाल में संश्लिष्ट धागे के आयात पर कोई उत्पादन शुल्क नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Shri Madhu Limaye : It was decided in the agreement reached between India and Nepal in the month of November that Nepal would export the synthetic fabrics to India to the tune Rs. 90 lakhs only. I have constantly made suggestions to prevent the additional exports of the synthetic fabrics exercised by Nepal. May I know whether the Government have made provisions to import the synthetic fabrics from Nepal through S. T. C. and to put stamp on it ? If such measures have already been taken the Government should let the House know, otherwise Nepal would go on exporting it to India and it would create a distressing situation for Indian industries. Workers would be rendered jobless and our foreign exchange would also be reduced.

Shri B. R. Bhagat : As I have said, it has been brought to the notice of Nepal Government. I agree with the Hon. Member that the extra import of synthetic fabrics from Nepal should be necessarily checked. It has been informed to the Government of Nepal that this practice is against the spirit of the agreement and we are bound to take certain remedial measures in this connection.

Shri Madhu Limaye : By what time these are expected to be taken ?

Shri B. R. Bhagat : Negotiations are going on and a decision would be taken shortly.

Shri Madhu Limaye : This matter is outstanding for a long period. Since November I have been pointing out this matter. At the time when the Custom Amendment Act was adopted I asked a question as to whether the traders would have to declare the quantum of stores imported from Nepal under the provisions, if any, made in this Act. In the reply to this question the hon. Minister has written to me that he has looked into this matter in accordance with the rules laid down in the enactment and that the custom Amendment Act would be applicable to such traders. May I know whether the Ministry of Foreign Trade and Supply or the Ministry of Finance or any other Department of the Government of India have circulated the necessary instructions to the concerned authorities to the effect that the traders should declare the quantity of the imported stocks from Nepal ?

Shri B. R. Bhagat : The figures of the stocks imported through custom Post are, undoubtedly collected, by the Government but, as the hon. Member might be knowing, it is not easy to work out the detailed position of the goods imported through smuggling.

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister could not understand my point. My main point is whether the traders are supposed to declare the quantity of imported goods in their possession under this Act. In this connection I wrote to the Finance Ministry. The hon. Finance Minister replied to this question affirmatively and stated that that Act was also

applicable to the goods coming from Nepal and that the steps were being taken in that connection. May I know whether such instructions are also being issued by your Ministry ?

Shri B. R. Bhagat: It is to be done by the Ministry of Finance. I have no information in this regard.

Shri Madhu Limaye: I have repeatedly raised this question with all vehemance at my command that such matters as connected to two or three Ministers at the same time should be replied to by the Hon. Prime Minister. The Prime Minister is supposed to intervene in such matters.

Shri B. R. Bhagat: It is a matter of custom notification and as such this Ministry are not ccncerned with it.

Shri Madhu Limaye: Your Ministry is concerned with the import while the Finance Ministry is concerned with the task of custom.

Shri B. R. Bhagat: The Hon. Member has himself pointed out that under the custom notification the declaration of the imported goods from Nepal is in vogue. And when the Hon. Finance Minister has also admitted this fact, the Hon. Member should put any question pertaining this matter to the Finance Minister.

Shri Madhu Limaye: What is the difficulty in the way of the Hon. Minister to mention whether the instructions have or have not been issued ?

श्री नाथपाई : यदि सरकार नेपाल के साथ सद्भावना बनाये रखने के ध्यान से उसे कुछ छूट देना चाहती है तो मेरे विचार से इस मामले में सदन को कोई आपत्ति भी नहीं हो सकती । किन्तु यह प्रश्न तो नितांत भिन्न है । क्या सरकार को इस बात का पता है कि बम्बई के नेपाल में बसे व्यापारी वहां पर विशेष सुविधाओं का लाभ उठा रहें हैं तथा माल का उत्पादन करके भारत में तस्कर व्यापार कर रहे हैं और सभी कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं जिससे भारतीय व्यापारियों को विशेष का भारतीय कर्मचारियों को हानि उठानी पड़ रही है ? क्या सरकार नेपाल सरकार का ध्यान इस ओर दिलाने का प्रयत्न कर रही है कि भारत नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता तथा नेपाल के छूट देने में भारत को कोई आपत्ति नहीं है किन्तु यह छूट नेपाल को न होकर भारत में कालाबाजार चलाने वालों को हैं पूरे झगड़े का यही सारांश है । इस दिशा में सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है । हमने इस बात की ओर नेपाल सरकार का ध्यान दिलाया है कि वास्तव में यह नेपाल का औद्योगिक करण नहीं है । जो रास्ता अपनाया जा रहा है उससे तो कुछ मूलभूत आर्थिक नीतियों का उल्लंघन किया जा रहा है ।

ल्हासा में तिब्बतियों द्वारा प्रदर्शन

1272. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी रेडियो ने यह आरोप लगाया है कि 30 दिसम्बर,

1968 को ल्हासा में तिब्बतियों द्वारा जो प्रदर्शन किया गया था उसके लिये चीनियों को परेशान करने के लिये भारत द्वारा तिब्बतियों को धन तथा शस्त्रास्त्र देकर उकसाया गया था ;

(ख) क्या चीन में इसके विरुद्ध विरोध पत्र भेजा है और भारत से मुआवजा भी मांगा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार को पाकिस्तान रेडियो के ऐसे किसी प्रसारण के बारे में जानकारी नहीं है जिसमें ल्हासा के प्रदर्शन के भारत का हाथ होने का आरोप लगाया गया हो। लेकिन रेडियो पाकिस्तान ने नवचीन समाचार एजेंसी की खबरों को दोहराया है जिसमें भारत पर 30,12,1968 को नई दिल्ली में चीनी राजदूतावास के सामने तिब्बतियों को प्रदर्शन करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया है।

(ख) चीन सरकार ने 30 दिसम्बर, 1968 को नई दिल्ली में चीनी राजदूतावास के सामने किये गये प्रदर्शन के खिलाफ विरोध प्रकट किया है और कहा है कि प्रदर्शनकारियों ने राजदूतावास की इमारत में जो नुकसान किया है, उसका मुआवजा दिया जाए।

(ग) भारत सरकार ने चीनी विरोध का जवाब दे दिया है और इन बेबुनियाद चीनी आरोपों को स्वीकार किया है।

Shri Shri Chand Goyal : May I know the steps proposed to be taken by the Government against Pakistan which has been trying to affect our relations with the other countries by resorting to anti-India broadcast ? Is there any scheme under which an effective propaganda can be launched by us in this connection ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : Whenever Pakistan made any wrong propaganda against our country amongst various other countries we counteract that propaganda and try to depict the true picture of the circumstances and the stand of our country. We also try to manifest the wrong aspects involved in the propaganda made by Radio Pakistan.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

माडल वूलन मिल्स, बम्बई

*1262. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री 13 फरवरी, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 8 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "केन्द्रीय जांच ब्यूरो" ने माडल वूलन मिल्स, बम्बई को 2/15 तथा 1/10 नम्बर के 50,000 पौंड वर्सटेड धागा दिये जाने से सम्बन्धित आरोपों के बारे में इस बीच जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट प्रश्न के उत्तर में बताया गया था, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच पूरी कर ली गई है। परन्तु मामला अब भी सरकार के विचाराधीन है।

विमान इंजनों के फालतू पुर्जों के बन्द बक्सों की नीलामी

*1263. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 13 नवम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 77 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमान इंजनों के फालतू पुर्जों के बन्द बक्सों को बिना खोले ही नीलाम कर देने के क्या कारण थे;

(ख) क्या मद्रास पत्तन न्यास ने सामान के नीलाम से पूर्व भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से पूछा था कि क्या वह सामान उनका है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). इस मामले का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (1968-69) द्वारा उनकी 69वीं रिपोर्ट के 128 से 137 पृष्ठों के अनुसार विस्तृत निरीक्षण किया गया है। कमेटी के निर्णय दर्शाने वाले पैरा 5.20 से 5.23 की प्रति संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 860/69]** सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही कमेटी की सिफारिशों पर की जाएंगी।

Ownership of Newly Discovered Countries

*1271. **Shri Narain Swarup Sharma :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government think it proper to get changed or amended the law of the International Court of Justice that whichever nation explores some new Island or country or reaches there first of all, she becomes its owner ;

(b) whether it is a fact that taking shelter behind this law a handful of persons have become owners of regions like Australia, etc., where crores of people can be settled ;

(c) whether it is also a fact that due to this very law, the moon is also going to be the victim of future political struggle ;

(d) if so, whether Government would make efforts to get this inhuman and communal section abrogated ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir ; this is now a part of history ;

(c) No, Sir, an international treaty was concluded in 1967, whereby the moon will not be subject to national appropriation by claim of sovereignty, use, occupation or other means.

(d) Does not arise

(e) Does not arise.

Indian Army

*1273. **Shri Maharaj Singh Bharti :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state the time by which all the Divisions of the Indian Army will be converted into Armoured Divisions ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : The army has to be a balanced force of various arms and supporting services. Infantry divisions earmarked for an operational role are provided with armour depending on the nature of terrain and the strategy to be adopted.

Restrictions on Rhodesia

*1274. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the restrictions imposed by Britain and other countries against the minority Government in Rhodesia have not been very effective ;

(b) the proposal submitted by different countries for taking new measures against the Smith Government ; and

(c) the reaction of the Government of India in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) A number of countries have suggested intensification of sanctions. Quite a few have suggested the use of force. The U. N. General Assembly in a Resolution adopted on 8th November, 1968, called upon the Government of U. K. to use force to put an immediate end to the illegal regime.

(c) The Government of India hold the view that it is the responsibility of the British Government to lead Zimbabwe to independence based on majority rule and that as the Administering Power she should take stern measures, including the use of force, to remove the illegal regime.

Guerilla Training being given to Pakistanis by China

*1275. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the statement made by the Jammu and Kashmir Chief Minister, Shri G. M. Sadiq that the Chinese are giving guerilla training to the Pakistani soldiers in the occupied-Kashmir ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

Thr Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). As indicated in the House on 31st July, 1968 in answer to Starred Question No. 219, Government are aware of the training being imparted by Chinese instructors to Pakistani personnel in guerilla tactics, etc. This has been taken into account in making our plans for the security of the country.

आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिक

*1276. **श्री समर गुह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों को जब्त वेतन तथा भर्ती की वहाली के बारे में आश्वासन को पूरा करते समय आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों को वही मूल वेतन, समुद्र पार वेतन तथा भत्ते दिये जाने चाहिए जो अंग्रेजों द्वारा "श्वेत" घोषित गैर-आई० एन० ए० कर्मचारियों को दिये गये हैं;

(ख) क्या वेतन से चौथाई हिस्सा नहीं काटा जाना चाहिए जैसा कि "श्वेत" युद्धबन्दियों के मामलों में किया जाता है;

(ग) क्या तीन मास का वेतन, जो सभी युद्धबन्दियों को विशेष सहायता के रूप में दिया जाता है, नहीं काटा जाना चाहिए जैसा कि गैर-आई० एन० ए० युद्धबन्दियों के मामले में किया जाता है और आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों को सभी देय राशियां उसी नीति के आधार पर तथा उसी मात्रा में दी जानी चाहिए, जैसा कि अन्य गैर-आई० एन० ए० "श्वेत युद्धबन्दियों" के मामले में किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो आजाद हिन्द फौज के देश भक्तों के साथ भेदभाव करने के क्या कारण हैं, जब कि उन युद्धबन्दियों के मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है जिन्होंने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में स्वतंत्रता आन्दोलन में शामिल होने से इन्कार कर दिया था ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). इस समय भूतपूर्व आई० एन० ए० सेविवर्ग के जब्तशुदा वेतन और भत्तों का हिसाब मूल वेतन और मूल भत्तों जैसे कि युद्ध सेवा सम्बन्धी तरक्की, युद्ध कालीन दक्षता वेतन, नान ट्रेडेजमेन पे, अतिरिक्त ड्यूटि वेतन और निलंबित वेतन के संदर्भ में किया जाता है । इन अदायगियों में अपनाये गये ढंग और "शुल्क" के तौर पर वर्गीकृत युद्धबन्दियों को की गई अदायगियों के लिये अपनाये गये ढंग में अन्तर उत्तरोत्तर के विस्तारों के संदर्भ में ही निर्धारित किया जा सकता है, जो सहज प्राप्य नहीं है और इकट्ठे किये जा रहे हैं ।

तेज़ी से चलने वाला बिजली का अंगुलि संगणक

*1277. **श्री बे० कु० दासचौधरी :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे में तेजी से चलने

वाले जिस अंगुलि संगणक का डिजाइन तैयार किया है तथा उसे बनाया है उसका भारत में वाणिज्यिक स्तर पर निर्माण किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो पहले वाणिज्यिक एकक के कब तक तैयार हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) संगणक का मूल्य लगभग क्या होगा ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) पहले वाणिज्यिक एकक के सन् 1970 के अन्त तक तैयार हो जाने की संभावना है।

(ग) लगभग 7 लाख रुपये ।

नौसेना के संस्थान

*1278. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की नौसेना के विस्तार कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए देश में और अधिक नौसेना सम्बन्धी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वे किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) क्या देश की लम्बी तटीय सीमा की सुरक्षा के लिए हमारी नौसेना की शक्ति पर्याप्त है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). नौसेना को अपने लम्बे तट को और अच्छी तरह सुरक्षित करने के लिये सशक्त बनाया जा रहा है । इस उद्देश्य के लिये किये जा रहे उपाय हैं एक नौसैनिक अड्डे और विशाखापत्तनम में डाकयार्ड तथा पोर्ट ब्लेयर में एक नौसैनिक अड्डे की स्थापना, बम्बई में नौसैनिक अड्डे का प्रसार, गोवा में नौसैनिक अड्डे का विकास और नाविक प्रशिक्षण सिब्बन्दी की स्थापना, और लड़कों के लिये प्रशिक्षण सिब्बन्दी का विशाखापत्तनम से किसी उपयुक्त स्थान को तबदीली ।

इंडोनेशिया तथा नेपाल को मिलों में बने सूती कपड़े के थानों का निर्यात

*1279. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में इंडोनेशिया तथा नेपाल को कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के (रुपयों में) विभिन्न प्रकार के सूती कपड़े के थानों का निर्यात किया गया; और

(ख) क्या यह सच है कि नेपाल भारत के सूती कपड़े के थानों को पुनः पाकिस्तान को बेच देता है जो कि विदेशी मुद्रा कमाने के लिये उन्हें फिर ईरान, मिस्र तथा अन्य मुस्लिम देशों को बेच देता है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) वर्ष 1967-68 में नेपाल तथा इंडोनेशिया को मिल निर्मित थान वाले सूती वस्त्र के निर्यात निम्न-लिखित थे :—

	परिमाण हजार वर्ग मीटर में मूल्य लाख रु० में	
	परिमाण	मूल्य
नेपाल	37,503	5,15
इंडोनेशिया	15,499	2,13

(ख) इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि भारत से नेपाल में आयातित थान वाले सूती वस्त्र ईरान तथा संयुक्त अरब गणराज्य आदि अन्य देशों को पुनः बेचे जाते हैं।

गोवा, दमन और दीव की मुक्ति

*1280. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका और ब्रिटेन की सरकारों को कोशिश से ही सुरक्षा परिषद् द्वारा उस प्रस्ताव को पारित किया गया था जिसमें भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा गोआ दमन और दीव की मुक्ति को भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा आक्रमण को संज्ञा दी गई थी और भारत को वहां से हटने के लिये कहा गया था;

(ख) क्या अब ये दोनों सरकारें गोआ दमन और दीव आदि को भारत का अंग मानती हैं; और

(ग) यदि नहीं तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) गोआ, दमण और दीव के सम्बन्ध में सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस और टर्की ने प्रस्ताव का एक मसौदा रखा, जिसमें भारत सरकार से अपनी सेना वापस बुला लेने के लिये आग्रह किया गया। वह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। सोवियत रूस ने इसके विरुद्ध अपना मत दिया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 1807 (सत्रह) में गोआ दमण और दीव को भारत का अंग स्वीकार किया है। हमारी यह आशा है कि संयुक्त राज्य अमरीका भी इस स्थापित तथ्य को स्वीकार करेगा, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने मान्यता दी है।

चाय पर निर्यात शुल्क समाप्त करना

*1281. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में चाय संघ ने हाल में सरकार से यह अनुरोध किया है

कि चाय पर निर्यात शुल्क को समाप्त करके चाय उद्योग की वित्तीय सहायता की जाये;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार चाय उद्योग की मांग स्वीकार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो किस आधार पर ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). नवम्बर, 1967 में पौंड स्टर्लिंग तथा श्रीलंका के रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप, चाय के मूल्यों में भारतीय नीलामों तथा लन्दन के नीलामों में 1967 की अपेक्षा 1968 में व्यापक गिरावट को देखते हुये, भारत सरकार ने स्थिति पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद 1 अक्तूबर, 1968 से दी गई राहतों के अतिरिक्त, 1969-70 के बजट प्रस्तावों में निर्यात शुल्क में पर्याप्त कमी कर दी है। स्थिति पर सरकार विचार करती रहती है।

टायरों में प्रयुक्त होने वाले धागे का आयात

*1282. **श्री देवेन सेन** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टायर में प्रयुक्त होने वाले धागे के अन्य देशों से आयात पर कितनी राशि व्यय की जाती है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में टायरों के धागे का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार टायरों में प्रयोग होने वाले धागे के आयात को बन्द करने पर विचार करेगी ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) टायरों में प्रयुक्त होने वाले नायलन धागे का ही आयात किया जाता है वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 (दिसम्बर 68 तक) में क्रमश: 11,24,000 रुपये तथा 3,23,000 रुपये मूल्य के आयात किये गये।

(ख) टायरों में प्रयुक्त होने वाले रेयन तथा सूती धागे का देश में पर्याप्त परिमाण में निर्माण होता है। इस समय टायरों में प्रयुक्त होने वाले नायलन धागे का देश में निर्माण नहीं हो रहा है।

(ग) टायरों में प्रयुक्त होने वाले सूती तथा रेयन धागे का आयात पहले से ही बन्द कर दिया गया है। टायरों में प्रयुक्त होने वाले केवल नायलन धागे का सीमित परिमाण में प्रतिबन्धित आधार पर आयात करने की अनुमति दी जाती है।

Trade with Bhutan

*1283. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the extent of our annual trade with Bhutan at present ; and

(b) the steps taken to increase our exports to that country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b). The Indo-Bhutan Treaty of 1949, **inter alia**, provides that "There shall, as heretofore, be free trade and commerce between the territories of the Government of India and of the Government of Bhutan.....". Almost all of Bhutan's trade is at present with India. However, no arrangements exist, at present, for recording the volume of trade between the two countries.

योजना की सफलताओं सम्बन्धी प्रतिवेदनों की जांच के लिए संसदीय समिति

*1284. **श्री पी० विश्वम्भरन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सिफारिश की है कि योजना की सफलताओं सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच के लिए एक विशेष संसदीय समिति गठित की जाये;

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि सरकार ने इस सिफारिश को अस्वीकार कर दिया है तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). योजना के कार्य सहित पंचवर्षीय योजनाओं से सम्बन्धित विषय, समय-समय पर सदन के विचारार्थ आते रहते हैं । अतः सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि इस कार्य के लिये विशेष संसदीय समिति का गठन किया जाये ।

प्राथमिकता प्राप्त उद्योग

*1285. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात के लाइसेंस प्राप्त करने के उद्देश्य से प्राथमिकता प्राप्त उद्योग के रूप में घोषित हुये प्रत्येक उद्योग द्वारा निर्यात में कितनी वृद्धि की गई है; और

(ख) किन-किन देशों को किये जाने वाले निर्यात में वृद्धि हुई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 861/69]

(ख) उद्योगों की प्राथमिकता सूची के उत्पादों के निर्यातों के देशवार आंकड़े शीघ्र सुलभ नहीं हैं ।

रूस से व्यापार प्रतिनिधिमंडल

*1286. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1969 में रूस के व्यापार प्रतिनिधिमंडल से बातचीत हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) क्या बातचीत के फलस्वरूप भारत का निर्यात रूस को बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई करार हुआ है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

विदेशों में हमारे मिशनों द्वारा जन-सम्पर्क व्यवस्था का प्रचार

*1287. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 19 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 346 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित हमारे मिशनों में हमारे उन नागरिकों के लिये जिन्हें सहायता तथा सम्पर्क की आवश्यकता होती है जन सम्पर्क सम्बन्धी क्या व्यवस्था है ;

(ख) यदि ऐसी व्यवस्था है तो हमारे नागरिकों के लाभ के लिये इस व्यवस्था के बारे में प्रचार न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें हमारे नागरिक समय-समय पर परस्पर मिलकर विचार-विमर्श कर सकें ; और

(घ) यदि नहीं, तो कम से कम गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस पर ऐसी व्यवस्था की जायेगी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) विदेश स्थित हमारे सभी मिशन भारत से जाने वाले लोगों और उनके क्षेत्राधिकरण में निवास करने वाले भारतीयों के साथ गहरा और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखते हैं और जब कभी उन्हें स्थानीय लोगों या अधिकारियों से सम्बन्ध स्थापित करने में जरूरत पड़ती है, उन्हें वे सलाह देते हैं। जब उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो मिशन उन्हें यथासाध्य अपना सहयोग प्रदान करते हैं ।

(ख) विदेश स्थित हमारे मिशनों के लिए जो अनुदेश ऐसे कोंसली कार्यों के सम्बन्ध में जारी किये जाते हैं, वे केवल 'सरकारी कार्य' के लिए होते हैं। उनमें निर्देशन और मार्गदर्शन होते हैं। अतः उन्हें प्रकाशित करना जनहित में उचित नहीं होगा।

(ग) और (घ). हम इस बात से अवगत हैं कि विदेश स्थित हमारे मिशनों के संरक्षण में समय-समय पर समाज-सभाओं का आयोजन होता रहता है। उनमें से कुछ अवसर ये हैं— स्वतंत्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस, प्रसिद्ध शताब्दी-समारोह, त्यौहार और भारत से जाने वाले विशिष्ट अतिथियों के सम्मान में आयोजित समारोह।

शत्रु सम्पत्ति

*1288. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में शत्रु-सम्पत्ति परिरक्षक (कस्टोडियन आफ एनेमी प्रापर्टी) पाकिस्तानी मालिकों की ओर से उनकी सम्पत्ति को उचित ढंग से देखभाल करते हैं परन्तु पाकिस्तान में शत्रु सम्पत्ति परिरक्षक के नियंत्रणाधीन भारतीय राष्ट्रिकों की सम्पत्ति को पाकिस्तान सरकार द्वारा बेचा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सम्पत्तियों के मालिकों के नाम क्या हैं जिनकी सम्पत्ति पाकिस्तान सरकार द्वारा बेची गई है ;

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रिकों की सम्पत्ति को बेचने से रोकने के लिए सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ; और

(घ) क्या सम्बन्धित देशों के राष्ट्रिकों को उनकी सम्पत्तियां लौटाये जाने की कोई सम्भावना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). अखबार की खबरों से सरकार को यह पता चला है कि पाकिस्तान में शत्रु सम्पत्ति संरक्षक के पास भारतीयों की जो सम्पत्ति है, उसे पाकिस्तान सरकार बेच देना चाहती है। लेकिन, भारत सरकार को अपने विरोध-पत्र के उत्तर में अभी तक यह सूचना नहीं दी गयी है कि क्या इस प्रकार की बिक्री वाकई हो गई है।

(ग) और (घ). भारत सरकार को इस बिक्री के बारे में जब पता चला तो उसने फौरन भारतीय राष्ट्रिकों की सम्पत्ति बेचने के खिलाफ पाकिस्तान सरकार से कड़ा विरोध प्रकट किया था और कहा था कि ताशकन्द घोषणा के अनुच्छेद-आठ के अन्तर्गत इस संघर्ष के दौरान दोनों देशों द्वारा जब्त की गई सम्पत्ति की वापसी के प्रश्न पर बातचीत की जाए। लेकिन, पाकिस्तान सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक हमारी दलीलों और विरोधों का कोई उत्तर नहीं दिया है।

Resignations by Members of Jhansi Cantonment Board

*1289. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that six members of the Jhansi Cantonment Board have submitted their resignations on the question of Central Government's land policy ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Representatives of All-India Cantonment Elected Members Conference had a discussion with the Minister of Defence on 1st April, 1969, in the light of which the resignations have not been accepted and it is understood that the Members, who had earlier resigned, will continue to function.

कोल्हापुर जिले से टैक्स मार्क शुल्क की वापसी का दावा

*1290. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इचालकरणजी (कोल्हापुर जिला) के श्री शांतिलाल वी० मेहता से विद्युतचालित करघों के विभिन्न आवेदनकर्ताओं की ओर से टैक्स मार्क के शुल्क की वापसी के सम्बन्ध में कोई दावा प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने दावे प्राप्त हुए हैं और सम्बन्धित आवेदनकर्ताओं के नाम क्या हैं ;

(ग) इन दावों का आधार क्या है ; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) दावों की संख्या—3

आवेदनकर्ताओं के नाम :

1. श्री अभय कुमार अप्पन्ना कास्था
2. श्री प्रकाश अल्लप्पा अवाडे
3. श्रीमती इन्दुमती कल्लप्पा अवाडे
4. श्री मनोहर देवप्पा भनेरे
5. श्रीमती लीलावती अप्पा साहिब भनेरे
6. श्री श्रीपाल भाऊ शेट्टी
7. श्री चारुदत्त भाऊ शेट्टी
8. श्री श्रीधर भाऊ शेट्टी

(ग) विद्युतचालित करघे स्थापित करने के आवेदनपत्र राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये ।

(घ) आवेदनकर्ताओं को 5 जुलाई, 1968 को अलग-अलग सूचित किया गया था कि वे जमा राशियों का सत्यापन संबद्ध कोषाधिकारी से कराने के बाद धनवापिसी के लिये आवेदन कर सकते हैं ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा मैंगनीज अयस्क का निर्यात

7296. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने मैंगनीज अयस्क का निर्यात किस तारीख से आरम्भ किया था और किस तारीख से अब तक उसने प्रतिवर्ष किन-किन देशों को कितने परिमाण में और कितने मूल्य के मैंगनीज अयस्क का निर्यात किया ;

(ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा निर्यात व्यापार अपने नियंत्रण में लिये जाने से तुरन्त पहले तक तीन वर्षों में गैर-सरकारी निर्यातकों के माध्यम से प्रतिवर्ष किन-किन देशों को कितने परिमाण में और कितने मूल्य के मैंगनीज अयस्क का निर्यात किया गया था ;

(ग) खनिज तथा धातु व्यापार निगम से पहले गैर-सरकारी निर्यातकों द्वारा लिया जाने वाला प्रति टन औसत निर्यात मूल्य कितना था तथा खनिज तथा धातु निगम इस समय औसत निर्यात मूल्य कितना लेता है ; और

(घ) सरकार द्वारा मैंगनीज अयस्क निर्यातकों द्वारा सरकार से किये गये इस अनुरोध को अस्वीकार किये जाने के क्या विशेष कारण हैं कि उन्हें सीधे निर्यात करने के लिये बातचीत करने की स्वतन्त्रता दी जाये ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम की स्थापना 1-10-1963 को की गई थी । एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें मैंगनीज अयस्क के निर्यात और देशों के नाम दिये गये हैं (विवरण 'क', अंग्रेजी में) । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 862/69]

(ख) मैंगनीज अयस्क के निर्यात 12-7-1965 से केवल खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से ही किये जाते हैं । एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें 1962, 1963, 1964 तथा 1965 में माल भेजने वाले गैर-सरकारी पक्षों तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम (रा० व्या० नि०) द्वारा किये गये मैंगनीज अयस्क के निर्यात और देशों के नाम दिखाये गये हैं (विवरण 'ख', अंग्रेजी में) । [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 862/69]

(ग) भारत मैंगनीज अयस्क की अनेक किस्मों का निर्यात करता रहा है जिनकी

रासायनिक तथा यांत्रिक संरचना दोनों में विभिन्नता होती है। क्योंकि कई किस्मों का माल विभिन्न मात्राओं में निर्यात किया जाता है, अतः कोई युक्तियुक्त हवाई मूल्य निर्धारित करना सम्भव नहीं है। निर्यात से प्राप्त होने वाले मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के चालू भावों पर निर्भर होता है और उसमें भारी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं जो मांग तथा पूर्ति की स्थिति में और विश्व के बाजार में प्रतियोगिता पर निर्भर होते हैं।

(घ) अनुरोध और विदेशों में बाजार की स्थिति पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, भारतीय मैंगनीज अयस्क उद्योग के सर्वोपरि हित के लिये यह निश्चय किया गया है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात करने की वर्तमान नीति को जारी रखा जाये।

चलचित्रों का निर्यात

7297. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशी चलचित्रों के आयात के लिये अमरीका इंक की मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट एसोसिएशन और सोवरएक्सपोर्ट फिल्म के साथ हुए द्विपक्षीय समझौते किन-किन तारीखों को हुए तथा उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) गत पांच वर्षों में उन करारों के अन्तर्गत वर्षवार कितने तथा कितने मूल्य के विदेशी चलचित्रों का आयात किया गया ;

(ग) गत पांच वर्षों से उस आयात के सम्बन्ध में वर्षवार कितनी धनराशि अन्य देशों को भेजने की अनुमति दी गई ; और

(घ) द्विपक्षीय करारों के परिणामस्वरूप गत पांच वर्षों में कितने भारतीय चलचित्रों का अमरीका और रूस को निर्यात किया गया तथा उनका मूल्य कितना था ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) संयुक्त राज्य अमरीका तथा सोवियत संघ से फिल्मों के आयात के लिये मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट एसोसिएशन आफ अमरीका इंक तथा सोव-एक्सपोर्ट फिल्म, बम्बई के साथ क्रमशः 24-4-68 और 19-8-68 को द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किये गये। इन व्यवस्थाओं की मुख्य-मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 863/69]**

(ख) तथा (घ) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि फिल्मों के आयात तथा निर्यात के आंकड़े करारों/प्रबन्धों के अनुसार नहीं रखे जाते।

(ग) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है जिसमें मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट एसोसिएशन आफ अमरीका इंक के सदस्य समवायों द्वारा 1963-64 से 1967-68 की अवधि में भारत से

बाहर भेजी गई राशियां दिखाई गयी हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 863/69]

सोव-एक्सपोर्ट फिल्म, बम्बई के साथ की गई व्यवस्था के अन्तर्गत धन भेजने की अनुमति नहीं है।

भारत-ईरान व्यापार

7298. **श्री बाबूराव पटेल :**

श्री जे० एन० पटेल :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और ईरान के बीच व्यापार-करार किस तारीख को हुआ था तथा उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों में ईरान से कितने मूल्य के माल का आयात किया गया तथा ईरान को कितने मूल्य के माल का निर्यात किया गया ;

(ग) ईरान ने भारत से खरीदी जाने वाली वस्तुओं में से किन वस्तुओं को गत तीन वर्षों में खरीदना बन्द कर दिया है और उन्हें अब पाकिस्तान से खरीद रहा है तथा इसके कारण हमें कितनी वार्षिक हानि हुई है ;

(घ) क्या ईरान के शाह की भारत यात्रा के परिणामस्वरूप व्यापार करार में कोई संशोधन किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) भारत तथा ईरान के बीच एक व्यापार करार 11 मार्च, 1964 को सम्पन्न हुआ था और वह 10 मार्च, 1970 तक वैध है। करार की एक प्रति पहले ही संसद् पुस्तकालय में रख दी गई है।

(ख) 1966-67, 1967-68 और 1968-69 (अप्रैल-दिसम्बर) के वर्षों में ईरान से हमारे आयात क्रमशः 3049 लाख रु०, 3289 लाख रु० तथा 2644 लाख रु० के लगभग थे। उन्हीं वर्षों में भारत से ईरान को क्रमशः 1031 लाख रु०, 1420 लाख रु० तथा 1584 लाख रु० के लगभग के निर्यात हुए।

(ग) ईरान में भारत से अथवा पाकिस्तान से माल के आयात को किसी देशवार लाइसेंस देने अथवा आयात कोटा प्रणाली द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। सामान्य वाणिज्यिक बातों के आधार पर माल का प्रवाह निर्भर होता है। वास्तव में प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में दिये गये आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि ईरान को भारतीय निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। किन्तु, हल्दी तथा सोडा वाई-कार्बोनेट जैसी कतिपय अपेक्षाकृत छोटी वस्तुओं के सम्बन्ध में व्यापार में उतार-चढ़ाव देखा गया है और उनके सम्बन्ध में ईरान को पाकिस्तान के निर्यातों की

स्थिति भारत की तुलना में अच्छी रही है। भारत के पक्ष में भी इसी प्रकार के उदाहरण हैं। किन्तु, विदेशी मुद्रा की हानि का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य व्यापार निगम

7299. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जनवरी, 1969 के 'इकनामिक टाइम्स' में राज्य व्यापार निगम के कार्यसंचालन के बारे में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि स्वतंत्र प्रतियोगिता वाले देशों में इसको आमतौर पर बहुत कम सफलता मिली है और राज्य व्यापार निगम केवल उन क्षेत्रों में नये व्यापार सम्पर्क स्थापित कर सका है जहां क्रेता तथा विक्रेता सरकारी फर्मों से व्यापार करने को प्राथमिकता देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या कलकत्ता के उद्योगपतियों ने यह जोरदार मांग की है कि राज्य व्यापार निगम व्यापार में पर्याप्त विश्वास उत्पन्न नहीं कर सका है इसके कार्य-संचालन के रिकार्ड की पूरी तरह जांच की जाये ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ). सरकार ने निर्दिष्ट प्रेस समाचार को देखा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य व्यापार निगम के व्यवस्थात्मक संगठन के बारे में जांच करने के लिये कलकत्ता के उद्योगपतियों के सुझाव का भी उल्लेख किया गया है।

हाल ही के वर्षों में राज्य व्यापार निगम ने स्वतन्त्र विपणन अर्थ-व्यवस्था वाले देशों के साथ उत्तरोत्तर अधिकाधिक व्यापार सम्पर्क स्थापित किये हैं जो परम्परागत तथा अपरम्परागत मदों के लिये नये निर्यात बाजार स्थापित करने के रूप में और आवश्यक आयात की वस्तुएं प्राप्त करने के रूप में भी हैं। इसलिए यह कहना ठीक नहीं होगा कि इन देशों के साथ राज्य व्यापार निगम का व्यापार न्यूनतम रहा है।

कोई विशेष जांच आवश्यक नहीं समझी जाती क्योंकि सरकार द्वारा नियुक्त समीक्षा समिति पहले ही कारपोरेशन के व्यवस्थापक और व्यापार सम्बन्धी तकनीकों से सम्बन्धित विविध मामलों की जांच कर रही है और उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है। इस समिति के अन्तिम प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

गुजरात राज्य में हथकरघा उद्योग

7300. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में गुजरात राज्य में हथकरघा उद्योग के विकास के लिये कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(ख) वर्ष 1969 में इस उद्योग के विकास के लिये कितनी धनराशि नियत करने का प्रस्ताव है ;

(ग) इस राज्य में इस उद्योग के विकास के लिये अधिक सहायता देने के सम्बन्ध में गुजरात सरकार का क्या प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन बुनकरों को, जिनके परिवार पूर्णतया इस उद्योग पर निर्भर हैं, सहायता देने का है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) वर्ष 1968-69 में अनुमानतः 6·86 लाख रु० ।

(ख) 5·07 लाख रु० (1969-70) ।

(ग) तथा (घ). हथकरघों पर अंशतः अथवा पूर्णतः आश्रित तथा बुनकर सहकारी समितियों में संगठित हथकरघा बुनकरों को गुजरात सरकार सहायता देती है । यह सहायता बुनकर सहकारी समितियों के शेयरों की खरीद, बेहतर करघों तथा सह-साधनों की खरीद, हथकरघा वस्त्र की बिक्री पर छूट आदि योजनाओं के लिये है ।

काजू के छिलके से तेल निकालने का उद्योग

7301. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अफ्रीकी देशों से कड़ी प्रतियोगिता के कारण काजू के छिलके के तेल के निर्यात में भारी कमी होने के फलस्वरूप उत्पन्न समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1968-69 के अनुमानों सहित वर्ष 1965-66 से वर्ष-वार इस वस्तु का कितना निर्यात किया गया ; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे काजू छिलका तेल उद्योग अपनी पहले वाली प्रभावशाली स्थिति बनाये रख सके और क्या इस प्रयोजन हेतु कोई प्रोत्साहन दिया जा रहा है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) 1965-66 से आगे के वर्षों में काजू के छिलकों के तेल के निर्यात निम्नलिखित रहे हैं :

मात्रा लाख कि०ग्रा० में / लाख रु० में

1965-66		1966-67		1967-68		1968-69 (अप्रैल-जनवरी)	
परि०	मूल्य	परि०	मूल्य	परि०	मूल्य	परि०	मूल्य
122	183	117	220	94	139	86	103

(ग) काजू के छिलके के तेल पर फरवरी, 1969 में एक गोष्ठी आयोजित की गई जिसमें उद्योग की समस्याओं, उत्पाद की संभावनाओं, निर्यात के लिये सम्भाव्यताओं आदि पर विचार किया गया । काजू निर्यात संवर्धन परिषद् काजू के छिलके के तेल के विभिन्न औद्योगिक उत्पाद तैयार करने के लिये उपयुक्त आर्थिक दृष्टि से विकासक्षम उत्पादन एककों का सुझाव देने की व्यवहार्यता पर विचार कर रही है ।

इसके अतिरिक्त, सं० रा० अमरीका तथा जापान में काजू के छिलके के तेल की वर्तमान तथा साधित दशा में उसके लिये विपणन सर्वेक्षण किये जा रहे हैं । कतिपय केन्द्रीय गवेषणा प्रयोगशालाएं काजू के छिलके के तेल के औद्योगिक प्रयोगों के सम्बन्ध में पहले ही गवेषणा कर रही है ।

पाकिस्तानी विशेषज्ञों द्वारा कच्छ में ड्रिलिंग

7302. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी विशेषज्ञ कच्छ की रन में तट दूर ड्रिलिंग कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कच्छ पंचाट के उल्लंघन को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) कच्छ के तट के निकट पाकिस्तानी विशेषज्ञों द्वारा कुएं खोदे जाने की कोई खबर सरकार को नहीं मिली है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

निर्यात माल के लिये प्रादेशिक परीक्षण गृह

7303. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के गुण चयन की जांच करने के लिये संयुक्तराष्ट्र

विकास कार्यक्रम की सहायता से एक प्रायोगिक प्रादेशिक परीक्षण गृह स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो यह कहां पर स्थापित किया जायेगा और यह अपना कार्य कब आरम्भ कर देगा ; और

(ग) इस परीक्षण गृह द्वारा किये जाने वाले कार्यों का ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). प्रस्ताव तैयारी की आरम्भिक अवस्थाओं में है।

घटिया किस्म का रोगाणुनाशक औषधि की सप्लाई

7304. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक फर्म द्वारा, जो दिवाला निकाल गई है, दक्षिण रेलवे तथा मेडिकल स्टोर विभाग को घटिया किस्म की रोगाणुनाशक तरल औषधि सप्लाई किये जाने के मामले की जांच के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो के क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). फर्म द्वारा दक्षिण रेलवे तथा मेडिकल स्टोर विभाग को की गई सप्लाई के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कोई जांच नहीं की है।

प्रधान मंत्री का सिंगापुर और मलयेशिया का दौरा

7305. **श्री ए० श्रीधरन** :
श्री क० लकप्पा :
श्री देवेन सेन :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री द० रा० परमार :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री किकर सिंह :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968 में प्रधान मंत्री के मलयेशिया और सिंगापुर के दौरे में कोई व्यापार करार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस करार की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

भावात्मक एकता को बनाये रखने के लिये कार्यवाही

7306. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री बलराज मधोक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय तथा राज्य मंत्रिमण्डलों को इस बारे में निदेश देने का विचार है कि देश में भावनात्मक एकता को बनाए रखने के विचार से किसी मंत्री को ऐसे संगठनों तथा सम्मेलनों में भाग नहीं लेना चाहिए जो जातिवाद तथा प्रान्तीयता को बढ़ावा देने के लिये आयोजित किए गए हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). अपने पद का कार्यभार सम्भालते समय केन्द्रीय तथा राज्यों के मन्त्रियों को संविधान के प्रति श्रद्धा (विश्वास) एवं निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती है । अन्य बातों के साथ-साथ संविधान में इस बात की भी व्यवस्था है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, प्रजाति (नस्ल), जाति, लिंग, जन्म-स्थान अथवा इनमें से किसी एक के कारण भेद भाव नहीं, करेगा । उसी शपथ के अनुसार मन्त्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी प्रकार के लोगों के साथ संविधान एवं कानून के आधार पर भय या पक्षपात रहित, लगाव अथवा द्वेष रहित होकर न्याय का व्यवहार करें । इसके अतिरिक्त उनके द्वारा धारित उच्च राजकीय पदों में अन्तर्निहित दायित्व (कर्त्तव्य) उनको इस बात की प्रेरणा देता है कि वे जातिवाद एवं प्रान्तीयता से दूर रहें और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन दें । इसलिए सरकार इस सम्बन्ध में अलग से कोई विशेष निदेश जारी करने का विचार नहीं करती क्योंकि इस प्रकार के निदेश आवश्यक नहीं हैं ।

छोटे पैमाने पर रबर की खेती करने वालों के सम्बन्ध में समिति

7307. **कुमारी कमला कुमारी** :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री बलराज मधोक :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री 17 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4875 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने पर रबड़ की खेती करने वालों के सम्बन्ध में अब्दुल्लाह समिति द्वारा दी गई सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया गया है ।

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) समिति द्वारा की गई सिफारिशें अब भी सरकार के विचाराधीन हैं और यथाशीघ्र विनिश्चय किया जायेगा।

एक्सपोर्ट क्रेडिट एण्ड गारंटी कार्पोरेशन लिमिटेड

7308. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक्सपोर्ट क्रेडिट एण्ड गारंटी कार्पोरेशन लिमिटेड की अधिकृत और प्रदत्त पूंजी इसकी स्थापना के समय और 31 मार्च, 1968 को कितनी थी ;

(ख) 31 मार्च, 1968 तक कार्पोरेशन को सरकार, बैंकों अथवा अन्य फर्मों से कितना कितना ऋण प्राप्त हुआ था ;

(ग) गत तीन वर्षों में कार्पोरेशन ने कितनी राशि ब्याज के रूप में दी है ;

(घ) गत तीन वर्षों में कार्पोरेशन द्वारा किये गये कार्य का ब्योरा क्या है ; उसे कितना मुनाफा हुआ है अथवा यदि हानि हुई है तो कितनी ; और

(ङ) यदि हानि हुई है तो उसके क्या कारण हैं और वर्ष 1968-69 के लिये क्या अनुमान है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम सीमित, बम्बई की अधिकृत और प्रदत्त पूंजी उसकी स्थापना के समय क्रमशः 5 करोड़ रु० तथा 50 लाख रु० थी। 31 मार्च, 1968 को अधिकृत पूंजी तो पहले के समान 5 करोड़ रुपये ही है परन्तु प्रदत्त पूंजी बढ़कर 1 करोड़ रु० हो गई है।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) कुछ नहीं।

(घ) गत तीन वर्षों में निगम द्वारा दिये गये कार्य का ब्योरा निम्नलिखित है :

	1966	1967	1968
		(लाख रु० में)	
चालू पालिसियां तथा गारंटियां	1,715	2,273	3,100
अधिकतम दायित्व	4,414	63,991	10,623
जोखिम मूल्य	7,464	11,994	18,025
प्रीमियम आय	19.98	25.19	47.19
रक्षित निधि	31.85	43.13	73.30 (अस्थायी)

(ङ) निगम को अपने कार्यकलापों में अभी तक कोई हानि नहीं हुई है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम

7309. **श्री क० लकप्पा** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनियमितताओं, चोरियों तथा माल में कमी होने के कारण खनिज तथा धातु व्यापार निगम को गत तीन वर्षों में वर्षवार कितनी हानि हुई ;

(ख) क्या इन मामलों की जांच की गई थी और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) इस निगम की कमियों का पता लगाने और उसके कार्य संचालन को सुधारने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). अनियमितताओं के कारणों गत तीन वर्षों में कोई हानि नहीं हुई है। 1966,1967 और 1968 में चोरी के कारण क्रमश: 1,135, 535 और 3,750 रुपये की हानि हुई है। गत तीन वर्षों में भण्डार में कोई असाधारण कमी नहीं पाई गई है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम प्रत्येक वर्ष के अन्त में खनिजों तथा धातुओं की भौतिक जांच कराता है और कमी / वृद्धि को लेखे में जोड़ दिया जाता है। अत्यधिक मात्रा में वस्तुओं को देकर हिसाब रखने में इतनी कमी होना अनिवार्य है।

चोरी के सभी मामले पुलिस में दर्ज कराये गये थे और जिन 1140 रुपये के मदों का पता नहीं लगाया जा सका निगम द्वारा इसको बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

(ग) इस सम्बन्ध में किसी त्रुटि का पता नहीं लगा है। निगम ने भण्डार का सामयिक सत्यापन कराने और आकस्मिक जांच करने की प्रक्रिया बनाई है ताकि अत्यधिक वस्तुओं का हिसाब रखते समय उनमें कोई असाधारण कमी न हो।

Difficulties over the Education of School Children in East Africa

7310. **Shri Narain Swarup Sharma** : **Kumari Kamala Kumari** :
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Shri Om Prakash Tyagi** :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Governments of the East African countries permit the admission of only two per cent of the children of those persons who are not the citizens of those countries in their schools ;

(b) whether Government have tried to ascertain the number of those Indian children or the children of those Indian Nationals possessing British Passports who were not given permission for admission into schools ;

(c) if so, the number thereof ; and

(d) the arrangements made by the Government of India or the assistance rendered by them for making arrangements for the education of those children who could not get admission ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Except in Kenya where 75% of the seats in the secondary schools have been reserved for African children for the academic year began in January, 1969, we have not received any such information from other African countries.

(b) and (c). The Government are not aware of the exact number of Indian children or children of persons holding British Passports who may have been refused admission in the schools in East Africa.

(d) The restriction regarding reservation of seats in Kenya applies only to Government-aided schools. Private schools, where the majority of children of Asian parents who are not citizens of Kenya are educated, do not come under this restriction.

काश्मीर के बारे में प्रधान मंत्री की रूसी नेताओं के साथ बातचीत

7311. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रणजीत सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बलराज मधोक :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दिसम्बर, में भारत और रूस के बीच मंत्रि स्तर पर हुई बातचीत में काश्मीर के प्रश्न पर भी विचार-विमर्श हुआ था ;

(ख) क्या प्रधान मंत्री ने राष्ट्र मंडलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिये लंदन जाते समय मास्को में ठहरने की अवधि में रूसी नेताओं के साथ काश्मीर के प्रश्न पर बातचीत की थी ; और

(ग) उनकी प्रतिक्रिया क्या थी तथा क्या भारत ने रूसी नेताओं से यह आश्वासन मांगा है कि यदि संयुक्त राष्ट्र संघ में काश्मीर का प्रश्न उठाया गया तो वे भारत का समर्थन करेंगे तथा भारत की सहायता करने के लिये पहले की भांति 'वीटो' का प्रयोग करेंगे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). माननीय सदस्य सम्भवतः भारत सोवियत द्विपक्षीय वार्ता की चर्चा कर रहे हैं जो दिसम्बर में हुई थी। काश्मीर के सम्बन्ध में हम अपनी स्थिति अनेक बार सोवियत संघ को तथा दूसरे मित्र देशों को समझा चुके हैं। जो सवाल हल करना है वह इस राज्य के एक अंग पर पाकिस्तान को गैर-कानूनी कब्जे का है और यह सवाल सिर्फ दुतरफा बातचीत करके ही तय किया जा सकता है।

(ग) सोवियत प्राधिकारी हमसे इस बात पर सहमत हैं कि यह सवाल भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत करके तय होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि काश्मीर के मामले में उनका रवैया पहले जैसा ही है।

विदेश जाने वाले अधिकारियों को दैनिक भत्ता

7312. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन अधिकारियों को दिये जाने वाले दैनिक भत्ता के भुगतान पर होने वाले खर्च में कमी करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है जो विदेशों में जाते हैं और होटलों में ठहरते हैं ;

(ख) क्या विदेश सेवा निरीक्षणालय ने इस विषय में कोई अध्ययन किया है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसा अध्ययन कब किया गया था और यदि प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया जा चुका है तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और उसको कब अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) विभिन्न देशों में दैनिक भत्ते की दरें होटलों के भोजन और निवास के तत्कालीन खर्च को ध्यान में रखकर निश्चित की जाती हैं, और उनमें समय-समय पर सुधार लाया जाता है। दैनिक भत्ते पर न्यूनतम खर्च करने तथा इस बात का सुनिश्चय करने के लिये अनुदेश भी जारी किये जाते हैं कि जिन अधिकारियों को विदेशों में तैनात किया जाता है, उन्हें रहने के लिये समय पर मकान की व्यवस्था हो जाय। जिन अधिकारियों को पहली बार होटलों में (रसोईघर या छोटे रसोईघर की सुविधाओं के बिना) ठहरना होता है उन्हें नकद भत्ता तभी दिया जाता है, जब यह पाया जाता है कि विदेशी भत्ता अपर्याप्त है। प्रत्येक मामले की वास्तविक आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के बाद भी दैनिक भत्ते की दर निर्धारित की जाती है और सामान्य रूप से इसकी राशि, 21 दिनों के लिये विदेशी भत्ता से दुगुनी नहीं होनी चाहिए।

(ख) से (घ). विदेश स्थित भारतीय मिशन और केन्द्र के निरीक्षण के दौरान, विदेश सेवा निरीक्षक अन्य बातों के साथ होटलों में निवास और भोजन के खर्च का वहीं जाकर अध्ययन करते हैं और जरूरत पड़ने पर वे दैनिक भत्ते की दरों में सुधार लाने की सिफारिश करते हैं। दरों की उपयुक्ता तथा दैनिक भत्तों पर हुए खर्च के सम्बन्ध में विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों को आवधिक रिपोर्ट भी भेजनी पड़ती है। विदेश मंत्रालय में अविरामी आधार पर इन रिपोर्टों की जांच की जाती है।

पाकिस्तान में मन्दिरों की देखभाल

7313. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि पाकिस्तान में मन्दिरों तथा गुरुद्वारों की देखभाल के लिये नियुक्त किये गये बोर्डों में अल्प संख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). जी हां। इन निकायों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था न होने के खिलाफ सरकार ने विचार-विमर्श के दौरान और पत्रों के द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि इन निकायों में अल्प संख्यकों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Help by Indian Embassies to Victims of Accidents

7314. **Shri Suraj Bhan :** **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Ranjit Singh : **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the nature of assistance given by Indian Embassies abroad to Indians who meet with accidents or who are in difficulty due to other causes in a foreign country ;

(b) whether complaints have been received to the effect that foreigners render all kinds of help into the Indians who meet with serious accidents, but none from Indian Embassies goes even to see them ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The nature of assistance given by the Indian Missions to Indians abroad depends on the merit of each case. A Mission in whose jurisdiction the accident takes place, immediately renders all possible assistance to the victim, including, if necessary, hospitalisation. The relatives of the victim are also telegraphically informed.

In other cases of distress Indian Nationals are aided by our Missions abroad in the matter including repatriation and temporary financial relief pending repatriation, against an undertaking to repay, if no other source of assistance is available to them.

(b) The Government of India is not aware of any complaints of this nature.

(c) Does not arise.

Ex-Servicemen Rehabilitated in Jammu and Kashmir, Rajasthan and Kutch

7315. **Shri Suraj Bhan :** **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Ranjit Singh : **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Atal Bihari Vajpayee :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of ex-servicemen rehabilitated in the border areas of Jammu and Kashmir, Rajasthan and Kutch, State-Wise ; and

(b) the detailed plan and the policy in regard to this type of allotment work ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna): (a) and (b). The information is being collected and will be placed on the table of the House in due course.

मजगांव डॉक्स लिमिटेड

7316. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजगांव डॉक्स लिमिटेड ने गत तीन वर्षों के लिये निर्धारित उत्पादन और विकास के लक्ष्यों को पूरा कर लिया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) यह कम्पनी किन-किन वस्तुओं का और कितना-कितना उत्पादन कर रही है और क्या ये वस्तुयें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की हैं ;

(ग) इस कम्पनी के गत तीन वर्षों के उत्पादन और बिक्री के आंकड़े क्या हैं और कम्पनी द्वारा यदि निर्यात किया गया है तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) क्या इस कम्पनी को इस समय कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उनको कैसे दूर करने का सरकार का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 1968-69 को छोड़कर गत तीन वर्षों में लक्ष्य प्राप्त किये गये थे। मजगांव डॉक्स लिमिटेड, बम्बई में निर्माणाधीन जहाजों के लिए आयातित मशीनरी और उपकरणों के प्राप्त होने में विलम्ब के कारण 1968-69 में कमी हुई है।

(ख) यार्ड में 145 मीटर लम्बे तथा 24 मीटर चौड़े (लगभग 15,000 डी० डब्लू० टी०) विभिन्न प्रकार के जहाज अर्थात् ध्वंसक, फ्रिगेट, यात्री जहाज, यात्री एवं मालवाहक जहाज, माल वाहक जहाज, तलकर्षक जहाज, टग्स, बारजेज, मछली पकड़ने के जहाज, लांचरर्ज, फ्लोटिंग क्रेन्स, फ्लोटिंग डॉक्स, विशेष प्रयोजन के पोनटून और प्रहार नौकाएं बना सकता है। कम्पनी सभी प्रकार के जहाजों की मरम्मत का काम भी हाथ में ले सकती हैं। सामान्य इन्जीनियरिंग काम के लिए भी इसमें पर्याप्त क्षमता है।

अप्रैल, 1960 में सरकार द्वारा इस यार्ड को अपने नियंत्रण में लिए जाने के बाद से अंदमान तथा निकोबार द्वीपों के लिए मजगांव डाक्स में एक यात्री एवं माल वाहक जहाज का निर्माण किया गया है। अनेक टगों, पोनटूनों, बजरों, लांचेज, और अन्य छोटे जहाजों के अलावा भारतीय नौसेना के लिए एक बक्ट तलकर्षक जहाज और एक अन्तरतटीय माइनस्वीपर जहाज बनाया गया है। इस समय कम्पनी में नौसेना के लिए दो आधुनिक फ्रिगेटों, एक अन्तरतटीय माइनस्वीपर, दो एवकेट टैंकरों, शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के लिए एक यात्री एवं मालवाहक जहाज और बम्बई पत्तन न्यास के लिए एक तलकर्षक जहाज बनाया जा रहा है।

कम्पनी को तीसरे फ्रिगेट का क्रयादेश और 'स्टेट आफ बम्बई' और 'स्टेट आफ मद्रास' के स्थान पर दो यात्री जहाजों का क्रयादेश भी मिला है।

सभी जहाज अन्तर्राष्ट्रीय मानक और ललायड और ब्यूरों वेरीरास की वर्गीकरण के हैं।

(ग) उत्पादन, बिक्री और अर्जित की गई विदेशी मुद्रा के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

		लाखों रुपयों में **अनुमानतः**	
	1966-67	1967-68	1968-69
उत्पादन	501.27	692.84	978.00
बिक्री	537.37	458.39	465.00
जहाजों की मरम्मत से अर्जित विदेशी मुद्रा	107.00	149.00	139.00

(घ) कम्पनी को उत्पादन संगठन की सामान्य कठिनाइयों के अतिरिक्त किसी असाधारण कठिनाई का सामना नहीं है।

मध्यावधि चुनावों के बारे में न्यू चाइना न्यूज एजेंसी द्वारा टिप्पणी

7318. **श्री सीता राम केसरी :**
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को न्यू चाइना न्यूज एजेंसी द्वारा 27 दिसम्बर, 1968 को जारी की गई टिप्पणी की जानकारी है जिनमें मध्यावधि चुनावों का बहिष्कार करने के लिये भारतीय क्रान्तिकारियों द्वारा जनता की भावनाओं को भड़काये जाने के बारे में प्रशंसा की हैं ;

(ख) क्या उक्त कार्यवाही देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में चीन सरकार से बातचीत की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). यह भारत की आन्तरिक स्थिति पर, शरारतपूर्ण तथा कुटिलोक्ति है। कुछ समय से चीनी प्रचार तंत्र ऐसा करने पर उतारू है जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार ने पिछले कई अवसरों पर अपना विरोध प्रकट किया है और उसने चीनी सरकार से यह कहा है कि वह सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार अपनाये।

परमाणु शक्ति के क्षेत्र में प्रगति

7319. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में परमाणु शक्ति के क्षेत्र में प्रगति के बारे में तकनीकी ज्ञान

का विकास करने तथा देश में उपकरणों के निर्माण-कार्य को तेज करने के लिये कोई व्यापक योजना बनाई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क)जी, हां ।

पावर रिऐक्टरों का संनिर्माण करने तथा उनके संघटकों एवम् परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए आवश्यक अन्य उपस्करों का अभिकल्पन और संनिर्माण करने की क्षमता का विकास भारत में करने की गति को तेज करने के उद्देश्य से परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत एक विद्युत प्रायोजना इंजीनियरी प्रभाग स्थापित किया गया है ।

परमाणु बिजलीघरों के संचालन के लिए आवश्यक परमाणु ईंधन तथा अन्य विशिष्ट सामग्रियों का उत्पादन करने के लिए हैदराबाद में कई संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं ।

सरकारी क्षेत्र में एक इलैक्ट्रानिक्स फैक्ट्री भी हैदराबाद में लगाई गई है जो परमाणु बिजलीघरों के लिए अत्यन्त ही परिष्कृत उपस्कर तैयार करेगी ।

हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपस्करों तथा तकनीकी जानकारी का देश में ज्यादा से ज्यादा विकास करने का उद्देश्य से अब तक जो कदम उठाये गए हैं उनके परिणामस्वरूप यह आशा की जाती है कि मद्रास में लगाये जाने वाले परमाणु बिजलीघर पर होने वाले व्यय में विदेशी मुद्रा का अंश लगभग 20 प्रतिशत रहेगा । जबकि राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट के लिए यह अंश लगभग 58 प्रतिशत था ।

अमरीका में भारतीय दूतावास के कर्मचारियों पर व्यय

7320. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका में भारतीय दूतावास में इस समय कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ख) वहां दूतावास रखने पर इस समय कितना वार्षिक खर्च होता है ;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में प्रशासनिक व्यय में कमी करने के लिए कोई प्रयास किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 18 राजपत्रित अधिकारी और 84 अराजपत्रित अधिकारी, जिनमें 64 स्थानीय भरती के लोग भी शामिल हैं ।

(ख) 71.84 लाख ।

(ग) और (घ). जी हां । एक विवरण संलग्न है ।

[ऊपर (क) और (ख) में जो आकड़े बताए गए हैं वे इस राजदूतावास की चांसरी और उन सूचना विभागों के हैं जो इस मन्त्रालय के प्रशासनिक और बजट-संबंधी नियंत्रण में आते हैं और जिनका खर्च "विदेश मंत्रालय" बजट अनुदान से होता है] ।

विवरण

1. जून 1966 में भारतीय रुपए का अवमूल्यन हो जाने पर, संयुक्त राज्य अमरीका-स्थित भारतीय राजदूतावास के खर्च के विदेशी मुद्रा का अंश 51.5 प्रतिशत बढ़ गया। खर्च में वृद्धि का पता लगाने के लिए अवमूल्यन से पूर्व के वर्ष के खर्च को अर्थात् 1965-66 के खर्च को (41.72 लाख रुपए) आधार माना गया है, इस खर्च में स्थानीय भरती के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन का, वार्षिक वेतन-वृद्धियों का और रहन-सहन के खर्च में सामान्य वृद्धि आदि कारणों का हिसाब लगा लिया गया है। 41.72 लाख के आधार पर अवमूल्यन के आधार पर जितने बजट की व्यवस्था करनी पड़ी और जितना खर्च वास्तव में हुआ वह नीचे दिखाया गया है और यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि किफायत के उद्देश्य से जो कदम उठाए गए हैं उनके गत तीन वर्ष में कितनी किफायत हुई है :

वर्ष	भारतीय रुपए का अवमूल्यन हो जाने के कारण जितनी व्यवस्था की जरूरत हुई ।	वास्तविक खर्च व्यवस्था	किफायत
1	2	3	4
			(रुपए लाखों में)
1966-67	68.99	59.21	9.78
1967-68	72.44	68.30	4.14
1968-69	76.07	73.42	2.65
1969-70	79.87	71.84+	8.03‡

वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूतावास की चांसरी और सूचना विभागों के सिलसिले में किफायत के उद्देश्य से जो विशिष्ट कदम उठाए गए हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

(क) पहले-पहल पहुंचने पर भारत-आस्थानी अधिकारियों और कर्मचारियों को अब होटलों में 28 दिन से ज्यादा नहीं रहने दिया जाता और होटलों में निवास की इस अवधि का दैनिक भत्ता (रसोईघर और छोटे रसोईघर की सुविधाओं के बिना) उस कर्मचारी के विदेश भत्ते की रकम से दुगने से ज्यादा नहीं हो सकता जिसका वह हकदार हो। यह अवधि अब हाल

+1969-70 के बजट अनुदान में की गई व्यवस्था ।

‡अनुमानित ।

ही में घटाकर 21 दिन कर दी गई है और इससे अधिक अवधि के लिए मंत्रालय से पहले अनुमति लेनी होती है।

(ख) किसी वित्त वर्ष में थोड़े समय के लिए खाली होने वाली स्थानीय भरती की जगहें भरी नहीं जा रही हैं।

(ग) स्थानीय दौरों, तारों, केबलों और दूसरे आपाती खर्चों पर पहले से ज्यादा ध्यान रखा जाता है।

(घ) फर्नीचर की खरीद और मरम्मत आदि के खर्च को कम-से-कम किया जा रहा है और इसके लिए जहां तक हो सकता है फर्नीचर को और दूसरे साज-सामान को बदला नहीं जा रहा है।

(ङ) इस राजदूतावास के अमले की जरूरतों की प्रति वर्ष बजट से पूर्व जांच के समय पर मिशन द्वारा और मंत्रालय द्वारा तथ्य पर जांच की जाती है।

नागालैण्ड में अमरीकी संस्थाएं

7321. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागालैंड में सक्रिय रूप से कार्य करने वाली आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य प्रकार की अमरीकी संस्थाओं की संख्या कितनी है ;

(ख) प्रत्येक संस्था का ब्योरा क्या है तथा उनकी गतिविधियां क्या हैं ;

(ग) क्या नागालैंड में किसी संस्था को भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में सरकार को कोई सूचना मिली है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) नागालैंड में सामाजिक, आर्थिक या अन्य किसी भी प्रकार का अमरीकी संगठन काम नहीं कर रहा है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

Petrol Stolen from Lohagaon Military Base

7322. **Shri Onkar Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some persons were arrested in Poona in January last against whom there is an allegation that they stole petrol from the Lohagaon Military base ;

(b) if so, the number of persons arrested in this connection and the action taken against them ;

(c) whether some officers of Air Force are involved in the said incident and whether Government have instituted a high power inquiry in the matter ; and

(d) if not, whether Government would institute an inquiry into the matter ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) and (d). Three Air Force personnel and four civilians (not employees of the Air Force) were arrested in this connection. A case was registered against the civilians with the civil police, which is in progress. An enquiry was ordered against the Air Force personnel, the report is under examination by the authorities concerned.

(c) No officers of the Air Force were involved in the said incident.

आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों में असंतोष

7323. **श्री समर गुह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों के जब्त किये गये वेतन तथा भत्तों की बहाली सम्बन्धी सरकार के आश्वासनों को जिस ढंग से पूरा किया जा रहा है उससे उनमें बहुत असंतोष उत्पन्न हो गया है ;

(ख) क्या आजाद हिन्द फौज के सैनिकों ने उनको भेजे गये अनेक मनीआर्डर लेने से इन्कार कर दिया है और यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं और इन्कार किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या रणक्षेत्र सेवा में वेतन के साथ मिलने वाले कुछ भत्ते आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों को नहीं दिये गये और इस प्रकार उनको दी जाने वाली राशि बहुत कम कर दी गई है ।

(घ) क्या उन दावेदारों को जिनके आई० आर० एल० ए० उपलब्ध नहीं है भेजी गई इकट्ठी राशि का उनको देयराशि से कोई सम्बन्ध नहीं हैं ;

(ङ) क्या आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व 'वाइट' सैनिकों को 'ग्रे' तथा 'ब्लैक' सैनिकों की अपेक्षा अधिक राशि दी गई है ; और

(च) यदि हां, तो इस विभेद के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं । परिस्थितियों के अन्तर्गत सरकार यथासम्भव तरीके से अपने आश्वासनों को पूरा कर रही है ।

(ख) आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व जवानों द्वारा मनीआर्डर वापिस लौटाये जाने के कुछ मामले ध्यान में आये हैं । उनकी कुल संख्या तथा उनके लौटाये जाने के कारणों का पता लगाया जा रहा है ।

(ग) आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व जवानों को दिये जाने वाले वेतन तथा भत्तों, जो जब्त कर लिए गये थे, का उनके मौलिक वेतन, मौलिक भत्तों अर्थात युद्ध सेवा वार्षिक वृद्धियां

युद्धकाल दक्षता वेतन, गैर-ट्रेडमेन दक्षता वेतन, अतिरिक्त काम वेतन और स्थगित वेतन के संदर्भ में पता लगाया जा रहा है। प्रवास भत्ता, जापान अभियान वेतन और भत्ता के दिये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

(घ) ये मामले 20 वर्ष से अधिक समय से पुराने हैं अतः अधिकांश मामलों में आई० आर० एल० ए० उपलब्ध नहीं हैं। इनकी अनुपस्थिति में तदानुसार रैंकों के जवानों को मिलने वाले वेतनों की औसत, जिनके आई० आर० एल० ए० उपलब्ध है के हिसाब से भुगतान किये जा रहे हैं।

(ङ) और (च). जानकारी एकत्र की जा रही है।

युद्ध कैदी के रूप में आजाद हिन्द फौज से भिन्न अधिकारी

7324. **श्री समर गुह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आजाद हिन्द फौज से भिन्न अधिकारियों को, जो युद्ध कैदी थे और जिन्हें अंग्रेजों ने 'श्वेत' घोषित किया था, क्योंकि उन्होंने नेताजी के अधीन स्वतन्त्रता आन्दोलन में सम्मिलित होने से इन्कार किया था उनके मूल वेतन, विशेष वेतन तथा अन्य भत्तों की पूरी राशि का, जो 15 फरवरी, 1942, और 1946 के बीच की अवधि की बनती है, भुगतान कर दिया गया है ;

(ख) क्या उसी श्रेणी के उन भारतीय अधिकारियों को, जो आजाद हिन्द फौज में सम्मिलित हो गये थे, वह देय राशि देने से इन्कार कर दिया गया है ;

(ग) क्या सी० डी० ए० (ओ०) पूना को इस आशय के निदेश दिये गये हैं कि आजाद हिन्द फौज के अधिकारियों को केवल मूल वेतन ही दिया जाये और कोई अन्य भत्ता न दिया जाए ;

(घ) क्या ऐसे निदेशों के कारण आजाद हिन्द फौज के अधिकारियों को प्रायः कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है जबकि आजाद हिन्द फौज से भिन्न 'श्वेत' अधिकारियों को दस और बीस हजार रुपये के बीच वेतन और भत्ते के रूप में दिये गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ङ). तारांकित प्रश्न संख्या 1276 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित कराया जाता है।

भोपाल कपड़ा मिल

7325. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल कपड़ा मिल अनिश्चित कार्य के लिए बन्द कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इन मिलों के बन्द हो जाने से कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गये हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने बेरोजगार मजदूरों को रोजगार दिलाने की संभावना का विचार किया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जोधपुर पर बमबारी

7326. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत भारत-पाकिस्तान संघर्ष में जोधपुर पर बार-बार बमबारी की गई थी, किन्तु प्रतिरक्षा की अथवा शत्रु के विमानों को रोकने की कोई कारगर व्यवस्था नहीं की जा सकी ; और

(ख) यदि हां, तो हवाई हमलों से जोधपुर तथा आस-पास के क्षेत्र की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) गत भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान जोधपुर पर तीन रातों को आक्रमण किया गया था इसका मुकाबला करने के लिये हवाई हमलों से बचाव के उपाय किये गये थे ।

(ख) पिछले संघर्ष में पता लगने वाली त्रुटियों को ठीक किया गया है । किया जा रहा है ।

यूगोस्लाविया के सेनाध्यक्ष का भारत का दौरा

7327. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगोस्लाविया के सेनाध्यक्ष ने भारती सेनाध्यक्ष के निमंत्रण पर भारत का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो दोनों सेनाध्यक्षों के बीच हुई वार्ता का स्वरूप क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) यह एक सद्भावना यात्रा थी जिसमें दोनों सेनाध्यक्षों ने सामान्य सैनिक हित के मामलों पर विचारों का आदान प्रदान किया था ।

Hira Mill Co. Limited, Ujjain

7328. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the number of workers employed at present in Hira Mill Company Limited, Ujjain, which is being managed by the Controller appointed by Government ;

(b) the date on which the Controller was appointed in this Mill ; and

(c) the total number of workers whose services have been terminated as a result of industrial unrest and labour disputes since that date ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Cuowdhary Ram Sewak) : (a) 2976 (including 495 substitute workers).

(b) 4-3-1966.

(c) Three workers have been dismissed for misconduct.

इलैक्ट्रोनिक चालित अंक संगणक (इलैक्ट्रोनिक डिगिटल कमप्यूटर)

7329. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आणविक अनुसंधान केन्द्र ट्राम्बे द्वारा बनायाग या भारत का सही समय बताने वाला प्रथम इलैक्ट्रोनिक चालित अंक संगणक (रीयल टाइम इलैक्ट्रिोनिक डिगिटल कमप्यूटर) चालू कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो असैनिक तथा सैनिक कार्यों में इसके संभाविक प्रयोग क्या होंगे ।

(ग) क्या शत्रु के विमान का पता लगाने के लिए इसका व्यवहारिक इस्तेमाल करने हेतु भारतीय वायु सेना द्वारा प्रस्ताव तैयार किये जायेंगे ; और

(घ) क्या और संगणक बनाये जा रहे हैं और यदि हां तो प्रत्येक एकक पर कितनी लागत आयेगी ?

प्रधान मंत्री अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) जी, हां ।

(ख) इस गणक का उपयोग बहुत से कार्यों के लिए किया जा सकता है जिनमें अनुसंधान, औद्योगिक प्रविधियां, शिक्षण एवं प्रशिक्षण, आंकड़ों का संग्रहण और अभिलेखन गुण-नियंत्रण-जांच तथा सुरक्षा शामिल हैं ।

(ग) इस बारे में यथा समय विचार किया जायेगा ;

(घ) गणक का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा । पहला व्यावसायिक यूनिट सन् 1970 के अन्त तक तैयार हो जाने की आशा है । इस पर लगभग 7.00 लाख रुपये खर्च होने की संभावना है ।

गणतंत्र दिवस के निमन्त्रण पत्र

7330. **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री चेंगल राया नायडू :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के सदस्यों को जिन्होंने गत गणतंत्र दिवस के निमंत्रण पत्रों के लिये आवेदन दिये थे उन्हें निमंत्रण पत्र नहीं दिए गए थे ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं। नगर निगम के कितने सदस्यों ने आवेदन दिये थे तथा कितने सदस्यों को निमंत्रण पत्र नहीं दिए गए ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 1969 के गणतंत्र दिवस परेड के लिए दिल्ली नगर निगम के उन सदस्यों तथा उनकी पत्नियों को निमंत्रण पत्र जारी किये गए थे जिनके नाम दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रतिरक्षा मंत्रालय को भेजे गए थे ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नागालैण्ड में ईसाई

7331. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैंड की 53 प्रतिशत जनसंख्या ईसाई है और हर रोज बड़ी संख्या में आदिमजातिय नागाओं को ईसाई बनाया जा रहा है ;

(ख) क्या इन ईसाई नागाओं के विद्रोही वर्ग को विदेशी शक्तियों द्वारा हथियार तथा धन दिया जा रहा है और यदि हां तो उन विदेशी शक्तियों के नाम क्या हैं ;

(ग) तथा कथित शांति प्रिय ईसाई नागाओं की तुलना में विद्रोही नागाओं का अनुपात कितना है ;

(घ) क्या यह सच है कि तथा कथित शांति प्रिय नागा नागालैंड में ईसाई राज्य स्थापित करने के लिए गुप्त रूप से विद्रोही ईसाई नागाओं की सहायता कर रहे हैं ; और

(ङ) यदि नहीं तो क्या कारण है कि अच्छे ईसाई नागा अन्य ईसाई नागाओं को भारत के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करने को सहमत नहीं करा सके हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) नागालैंड में 53 प्रतिशत आबादी ईसाईयों की है। बाकी नागा मोटे तौर पर अपने पुरखों के धर्म को मानते हैं । नागालैंड में जबर्दस्ती धर्म परिवर्तन कराने की किसी घटना के बारे में सरकार को जानकारी

नहीं है। हालांकि गैर-ईसाई नागाओं के द्वारा, खासकर शिक्षित व्यक्तियों के द्वारा स्वत: ईसाई धर्म स्वीकार कर लेने की घटनाएं हुई हैं।

(ख) से (ग). कुछ छिपे नागा ईसाई और कुछ गैर-ईसाई / छिपे नागाओं के जातिवार आंकड़े नहीं रखे जाते और इनका रखना न सम्भव है, न आवश्यक और न वांछनीय ही। सदन को कई बार बताया जा चुका है कि छिपे नागाओं को चीन और पाकिस्तान से हथियार मिल रहे हैं और उन्हें वहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार को ऐसी किसी योजना के विषय में जानकारी नहीं है जिसका उद्देश्य नागालैंड में 'ईसाई राज्य' की स्थापना करना हो।

(ङ) नागालैंड के वर्तमान मंत्रिमंडल में और सत्ताधारी पार्टी में ईसाई हैं जो, विरोधी दलों के नागाओं की तरह ही, भारत में नागालैंड के संवैधानिक दर्जे को पूरी तरह मान्यता देते हैं। चर्च नेताओं ने शांति के पक्ष में अपने भाव व्यक्त किए है और उन्होंने पथभ्रष्ट लोगों को हमेशा ही गैर-कानूनी काम छोड़ देने की सलाह दी है। नागालैंड के हाल ही के आम चुनाव से तो यह पूरी तरह सिद्ध हो गया है कि नागालैंड के अधिकांश लोग वफादार भारतीय हैं। एक ऐसे छोटे-से वर्ग की गैर-कानूनी कार्यवाइयों को साम्प्रदायिकता का रंग देना ठीक नहीं होगा जो किसी धर्म विशेष तक सीमित नहीं है।

मलयेशिया द्वारा मिल लड़ाकू विमानों की खरीद

7332. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मल्येशिया सरकार ने मिग लड़ाकू विमानों तथा उनके फालतू पुर्जों की खरीद के लिये भारत सरकार से प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोहिमा में विस्फोट

7333. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री वेणी शंकर शर्मा : **श्री रणजीत सिंह :**
श्री हरदयाल देवगुण : **श्री बलराज मधोक :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 फरवरी 1969 को कोहिमा नगर के मध्य में एक दिन दहलाने वाला विस्फोट हुआ था जिससे एक महत्वपूर्ण पेट्रोल केन्द्र में आग लग गई थी ;

(ख) क्या इस घटना की कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). 11 फरवरी, 1969 रात को करीब 1 बजकर 10 मिनट पर कोहिमा में बर्मा आयल कम्पनी के एक पेट्रोल पम्प में कुछ विस्फोटक सामग्री फैंककर आग लगा दी गई थी । राज्य सरकार की जांच पड़ताल से यह निष्कर्ष निकला कि यह छिपे नागाओं की विध्वंसक कार्यवाई थी । नागालैंड की सरकार ने कार्रवाई बन्द रखने से संबद्ध करार को भंग करने की इस कार्रवाई से शांति प्रेक्षकदल को अवगत करा दिया है । छिपे नागाओं के तथा कथित 'संघीय' वर्ग ने शांति प्रेषक दल के नाम अपने पत्र में इस बात को अस्वीकार किया हैं कि इस कार्रवाई में उनका कोई हाथ था ।

Trade Delegation from Yugoslavia

7334. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a delegation came from Yugoslavia to India in February, 1969 to hold trade talks ;

(b) if so, the topics discussed with the delegation ; and

(c) the outcome thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (c). A Yugoslav delegation which visited New Delhi in February, 1969 for a joint meeting of Indo-Yugoslav Commission on trade and economic Cooperation reviewed with Indian delegation the economic and trade cooperation between the countries. Ideas were also exchanged as to how India and Yugoslavia could collaborate with each other in third country markets. As a result of these talks, a Protocol extending the present Trade and Payments Agreement between the two countries for a further period of one year ending 31st March, 1970 was signed on 26th February, 1969, copies of which have already been placed in the Parliament Library.

जमालपुर के निकट बिहार में सैनिक द्वारा हमला

7335. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 फरवरी, 1969 को बिहार में जमालपुर के निकट प्रादेशिक सेना के लगभग 150 सैनिकों ने शिवरात्री मेले के तीर्थ यात्रियों की मारपीट की ;

(ख) क्या प्रादेशिक सेना के सैनिक के हमले से 15 तीर्थ यात्री जख्मी हो गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार को इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है और अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). 16 फरवरी, 1969 को कैम्प क्षेत्र से लगभग 200 गज दूर शिवरात्री मेले में प्रादेशिक सेना के कुछ जवानों तथा सिविलियन लोगों के बीच मुठभेड़ हो गई थी और उसमें प्रादेशिक सेना और सिविल पुलिस के कुछ व्यक्ति घायल हो गये थे। इस मामले की जांच न्यायालय द्वारा जांच की जा रही है और उसकी कायवाही की प्रतिक्षा की जा रही है।

हैदराबाद हाऊस के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को दिया गया किराया

7336. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : **श्री शारदानन्द** :
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री हुकम चन्द कछवाय** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद हाऊस नई दिल्ली के लिये सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश सरकार को प्रति वर्ष कितना किराया दिया जाता है;

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किराये से प्राप्त होने वाली आय की बकाया राशि उस भवन के रख-रखाव के लिए अपर्याप्त है आन्ध्र प्रदेश सरकार ने किराया बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या इस भवन को केन्द्रीय सरकार को बेचने का आन्ध्र प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) 1,25,000 रुपये प्रतिवर्ष।

(ख) जी हां।

(ग) इस जगह के किराए की बाबत दोनों में सहमति पहले ही हो गई है।

(घ) जी नहीं।

यू० ए० आर० इ०—300 इंजनों के उड़ान परीक्षण

7337. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 19 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 323 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "रीहीट सिस्टम" से यू० ए० आर० इ०—300 इंजनों के उड़ान परीक्षण का तीसरा क्रम इस बीच पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस प्रकार के इंजनों का उत्पादन कब आरम्भ होगा तथा क्या-क्या अन्य परीक्षण किये जाने हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) संयुक्त अरब गणराज्य में 'रीहीट सिस्टम' के साथ-साथ इ०—300 इंजनों की उड़ान परीक्षण अभी चल रहे हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि विकास कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है ।

Developed, Under-developed and Un-developed Districts

7338. **Shri Molahu Prasad**: Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the names of developed, under-developed and un-developed Districts in each of the States and Union Territories ;

(b) the steps proposed to be taken to bring these under-developed and un-developed districts on the level of the developed one ; and

(c) the reaction of various State Governments in regard to achieving the said object ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c). There are no precise norms to identify 'developed', 'under-developed' or 'un-developed' districts. However, the Planning Commission have suggested to the State Governments that they identify backward areas in each State with reference to certain indicators. They have laid down certain common indicators that might be applied for this purpose. State Governments have generally accepted the need for paying special attention to backward areas within each State.

In this connection, attention is invited to repiles given to part (c) of Unstarred Question No. 4153 on 11th December, '968 and to Unstarred of Question No. 3622 on 19th March, 1969.

Basic Requirements of People

7339. **Shri Molahu Prasad** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the percentage of people in various States whose minimum basic requirements were being met as per population in each State before the First Five Year Plan ;

(b) the percentage thereof by 1969-70 ; and

(c) the percentage thereof expected by the end of the Fourth Five Year Plan ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shimati Indira Gandhi) : (a) to (c). Statistical information to enable any reliable conclusions or comparisons in the matter, are not available and are not easy to collect.

"सैनिक समाचार" के मुद्रकों तथा प्रकाशकों पर मुकदमा

7340. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने उत्पादन अधिनियमों का उल्लंघन करने के कारण प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्रकाशन "सैनिक समाचार" के मुद्रकों तथा प्रकाशकों पर मुकदमा चलाने की धमकी दी है;

(ख) उल्लंघन का ब्योरा क्या है तथा इस उल्लंघन के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनायें न हों, यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ग). 6 फरवरी, 1969 को जिला उत्पादन शुल्क अधिकारी, दिल्ली द्वारा 'सैनिक समाचार' के प्रकाशक, जन संपर्क निदेशक, प्रतिरक्षा मंत्रालय को पंजाब उत्पादन शुल्क अधिनियम के उल्लंघन में जो कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में भी लागू है, एक विशेष विज्ञापन छापने के लिए 'कारण बताओ सूचना' दी गई थी। 'सैनिक समाचार' के मुद्रकों को भी ऐसा ही नोटिस दिया गया था।

जन सम्पर्क निदेशक को दिये गये नोटिस के उत्तर में जिला उत्पादन शुल्क अधिकारी को सूचित किया गया है कि इस विषय पर नियमों की जानकारी न होने के कारण यह विज्ञापन छप गया है। 'सैनिक समाचार' के प्रकाशन से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को चेतावनी दी गई है कि भविष्य में ऐसे मामले नहीं होने चाहिए।

रेशे वाली (स्टेपल फाइबर) कपास का उत्पादन

7341. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत पांच वर्षों में प्रतिवर्ष रेशे वाली कपास का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) देश में इसकी वार्षिक अनुमानित मांग कितनी है; और

(ग) यह कहां तक देशीय तथा आयातित कपास का स्थान ले सकी है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) :

(क)

वर्ष	विस्कोस स्टेपल फाइबर का उत्पादन लाख किग्रा में
1964	368
1965	372
1966	428
1967	521
1968	616

(ख) विस्कोस स्टेपल फाइबर की घरेलू मांग का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया गया है। किन्तु इस मद के समस्त उत्पादन का इस्तेमाल हो जाता है।

(ग) ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

मशीन से बने गलीचों के लिए लाइसेंस

7342. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मशीन से बनाये जाने वाले गलीचे तैयार करने के लिये गत तीन वर्षों में किन-किन व्यक्तियों को लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) किन-किन व्यक्तियों ने मशीन द्वारा बनाये जाने वाले गलीचे, जिनके लिये लाइसेंस दिये गये थे, बनाना आरम्भ कर दिया है; और

(ग) शेष व्यक्तियों द्वारा गलीचे बनाने का कार्य आरम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). गत तीन वर्षों में केवल मैसर्स भारत कारपेट्स लि०, नई दिल्ली को मशीन से बने गलीचों के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किया गया था और फर्म ने हाल ही में उत्पादन प्रारम्भ किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत धारित्रों (केपोसिटोर्ज) का आयात

7343. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 और 1968 के दौरान कुल कितने विद्युत् धारित्रों का आयात किया गया तथा उन धारित्रों का आयात किन-किन देशों से किया गया था;

(ख) देश में इन धारित्रों का निर्माण करने की कुल क्षमता कितनी है; और

(ग) निर्माताओं के नाम तथा प्रत्येक निर्माण की उत्पादन क्षमता कितनी है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) 1967 और 1968 में आयात किये गये कुल विद्युत् धारित्रों की संख्या तथा जिन देशों से ये आयात किये गये हैं उनके नाम नीचे दिये गये हैं :

कुल आयात संख्या		मुख्य देश जिनसे ये आयात किये गये हैं
1967	1968	
3755	7471	आस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मन फेडराल रिपब्लिक, इटली, जापान, स्वेडन, इंग्लैण्ड, रूस स्वटिजर लैण्ड, फ्रांस और अमरीका।

(ख) और (ग). **विद्युत धारित्रों के निर्माताओं के नाम और उनकी निर्माण क्षमता :**

क्रम-संख्या	एकक के नाम	लाइसेंस प्राप्त/रजिस्टर्ड क्षमता के वी ए आर प्रतिवर्ष
1.	मैसर्स वोल्टास लिमिटेड, बम्बई	40,000
2.	मैसर्स इन्डिया कैपेसिटरर्ज (प्रा०) लिमिटेड, कलकत्ता	40,000
3.	मैसर्स माधव कैपेसिटरर्ज (प्रा०) लिमिटेड, बम्बई	50,000
4.	मैसस चौधरी इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन, कलकत्ता	50,000
5.	मैसर्स एमको एस्टा कैपसिटरर्ज, बम्बई	15,000
6.	मैसर्स खटाऊ झुनकर लिमिटेड, बम्बई	60,000
7.	मैसर्स यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड, सतना	25,000
8.	मैसर्स एस० इ० एल०, भोपाल	54,000
9.	मैसर्स ललायड कैपिसटरर्ज	40,000
10.	मैसर्स महेन्द्र इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	30,000
	कुल क्षमता ..	4,04,000

भारतीयों को लंदन के हवाई अड्डे पर अन्य देशों की पंक्तियों में शामिल होने के लिए कहा जाना

7344. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि इंग्लैंड जाने वाले भारतीय यात्रियों को लंदन के हवाई अड्डे पर अन्य देशों की पंक्ति में शामिल होने के लिए कहा गया था जबकि 'ब्रिटेन तथा राष्ट्रमंडल देशों' का पारपत्र जांच करने का पृथक काउन्टर है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : जी नहीं। जांच पड़ताल से पता चलता है कि लंदन में जाने वाले यात्रियों के लिए लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर तीन पंक्तियां बनाई जाती हैं—

(1) यूनाइटेड किंगडम के नागरिकों के लिए ;

(2) सभी राष्ट्रमंडल देशों तथा आयरलैंड (आयर) के नागरिकों के लिए भी; और

(3) सभी दूसरे प्रवेशकों के लिए।

भारतीय यात्री राष्ट्रमंडल और आयर राष्ट्रिकों की पंक्ति में खड़े होते हैं।

उड़ीसा में भूमिहीन सैनिकों को भूमि का दिया जाना

7345. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना के ऐसे भूमिहीन सैनिकों की संख्या कितनी है जिन्हें गत दो वर्षों में उड़ीसा में भूमि दी गई है; और

(ख) उड़ीसा में पुरी जिले में ऐसे कितने आवेदन अभी भी विचाराधीन हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासंभव सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा प्रबन्ध-तकनीकी का आरम्भ किया जाना

7346. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने उन्नत प्रबन्ध लेखा विधि के सिद्धान्तों के आधार पर हाल में कुछ प्रबन्ध तकनीकी आरम्भ की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ख) विपणन तथा विदेशी व्यापार के क्षेत्र में इन तकनीकों से क्या विशिष्ट परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने इन तकनीकों को सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में आरम्भ करने की सिफारिश की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां । राज्य व्यापार निगम ने बजट और जिम्मेदारी में प्रगति जानने की एक प्रणाली चालू की है जिससे निगम की नियम से रिपोट प्राप्त की जाती हैं । ये रिपोर्टें साप्ताहिक, मासिक और त्रैमासिक आधार पर होती हैं ।

(ख) परिणामों का अनुमान कुछ समय बाद लगाया जा सकता है ।

(ग) प्रधान मंत्री ने अन्य सरकारी उपक्रमों द्वारा मासिक और त्रैमासिक रिपोर्टों को तैयार करने और उनपर विचार करने की प्रणाली की सराहना की है ।

रूमानिया को लौह-अयस्क का निर्यात

7347. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** :

श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लौह-अयस्क का निर्यात करने के लिये रूमानिया सरकार के साथ करार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों में रूमानिया को खनिजों की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया ?

वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने वर्ष 1969-70 में 8 लाख टन लौह-अयस्क के सम्भरण के लिये रूमानिया आयात संगठन के साथ एक संविदा की है।

(ग) गत तीन वर्षों में रूमानिया को निम्नलिखित खनिज अयस्कों का निर्यात किया गया :—

परिमाण मीट्रिक टन में

	1966-67	1967-68	1968-69 (अप्रैल-दिसम्बर 1968)
(1) अभ्रक (खंडित एवं व्यर्थ सहित)	119	134	40
(2) लौह-अयस्क तथा सांद्रण	402558	405039	603237
(3) बाक्साइट	—	—	500
कुल ..	402677	405173	603777

रूस द्वारा भूमिगत अणु विस्फोट

7348. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने हाल में एक भूमिगत अणु विस्फोट किया है जिसकी जानकारी भारत के अणु-शक्ति आयोग को हुई है ;

(ख) विस्फोट कितनी प्रचण्डता का था ;

(ग) क्या सरकार इस प्रकार के विस्फोटों को जारी रखना ठीक समझती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने रूस की सरकार को अपने विचारों को अवगत कराया है और यदि हां तो किस प्रकार से ?

प्रधानमंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) भूकम्प लेखों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि इस विस्फोट से लगभग 30 किलोटन टी० एन० टी० के बराबर ऊर्जा पैदा हुई।

(ग) तथा (घ). जी, नहीं। भारत सदैव ही इस बात पर बल देता रहा है कि सभी देश परमाणु विस्फोट बन्द कर दें तथा हमारे इन विचारों से रूस की सरकार अवगत है।

Relics of Tantia Tope

7340. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Achkan and locks of hair of Tantia Tope, hero of 1857 War of Independence were handed over to India by British Military officials in March, 1969 ;

(b) whether these effects have reached India ; and

(c) whether Government propose to exhibit them in public ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a). Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir.

नायलोन धागे के मूल्य

7350. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969-70 के बजट में प्रस्तावित उत्पादन शुल्क लगाये जाने के बाद भारत में नायलोन धागे का मूल्य क्या होगा और यह मूल्य नेपाल, पाकिस्तान, जापान, आस्ट्रेलिया अमरीका, ब्रिटेन तथा फ्रांस में इस प्रकार के धागे के मूल्य से कम है अथवा अधिक है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : 1969-70 के बजट में भारत में नायलोन धागे पर प्रस्तावित उत्पादन शुल्क के बाद उपभोक्ता मूल्य 15 डेनियर के लिये 71-72 रुपये और 20 डेनियर के लिये 65-66 रुपये हैं । यह मूल्य प्रश्न में उल्लिखित उत्पादक देशों में मूल्यों की अपेक्षा अधिक हैं ।

हिन्द महासागर में संयुक्त नौसैनिक प्रतिरक्षा व्यवस्था

7351. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और आस्ट्रेलिया के बीच हाल में हुई द्विपक्षीय वार्ता में हिन्द महासागर से ब्रिटिश सेनाओं के हट जाने से उत्पन्न होने वाली शक्ति शून्यता के प्रश्न पर विचार किया गया था ;

(ख) क्या स्थिति पर काबू पाने के लिये भारत, आस्ट्रेलिया और जापान के बीच संयुक्त प्रतिरक्षा व्यवस्था, विशेषाधिकार नौसेना की, बनाने के बारे में कोई सुझाव दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और संबंधित देशों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत के विदेश मंत्रालय और आस्ट्रेलिया के वैदेशिक-कार्य विभाग के अधिकारियों की तीसरी परामर्श बैठक में, आपसी हित के विभिन्न प्रश्नों पर विचार-विनिमय किया गया, जिसमें दक्षिण-पूर्वी एशिया के विकास से सम्बद्ध प्रश्न भी शामिल था । इस **बातचीत के अन्त की प्रेस प्रकाशनी की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है** । इसमें विचार-विमर्श के विषय और निष्कर्ष बताये गये हैं ।

भारत के विदेश मंत्रालय के तथा आस्ट्रेलिया विदेश विभाग के अधिकारियों के बीच तीसरी परामर्श सभा, नई दिल्ली में 13, 14, और 15 मार्च, 1969 को हुई ।

आस्ट्रेलिया के प्रतिनिधिमंडल में आस्ट्रेलिया के विदेश विभाग के सचिव सर जेम्स प्लिम्सोल, भारत में आस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर महामान्य सर आर्थर टेंज, विदेश विभाग में सहायक सचिव, श्री जे० सी० इंग्राम और उप हाई कमिश्नर श्री के० मेक्डानेल्ड शामिल थे ।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल में विदेश सचिव, श्री टी० एन० कौल, आस्ट्रेलिया में भारत के हाई कमिश्नर, श्री ए० एम० टामस, सचिव (ई-ए 1), श्री केवल सिंह, सचिव (इ-ए 2), श्री वी० एच० कोइल्हो और श्री मनजीत सिंह निदेशक (ई-ए) शामिल थे ।

यह बातचीत निःसंकोच और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई । दोनों देशों को यह देखकर बहुत संतोष हुआ कि भारत और आस्ट्रेलिया एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और दोनों में परस्पर मित्रता के सम्बन्ध और सुदृढ़ हो रहे हैं । उन्होंने देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर सम्बन्ध बढ़ाने के उपायों पर विचार किया । दोनों प्रतिनिधि मंडलों ने तरह-तरह के अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार-विमर्श किया और एशिया की घटनाओं के विशेष संदर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर पुनर्विचार किया । इस बातचीत में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग का विषय भी शामिल था तथा इसमें द्विपक्षीय व्यापारिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सम्बन्धों पर भी विचार किया गया ।

नई दिल्ली में आस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल के नेता राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री, उप प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री और शिक्षा मंत्री से मिले ।

अगली बैठक केनकैरा में करने पर सहमति हुई ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ट्रैक्टरों और ट्यूबों का आयात

7352. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि ट्रैक्टरों और बिजली के हलों के टायरों और ट्यूबों की कमी को ध्यान में रखते हुये इसके आयात की अनुमति देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने टायरों और ट्यूबों के आयात का प्रस्ताव है ;

(ग) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ; और

(घ) इनका आयात किन-किन देशों से किया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ). 1969 में कृषि ट्रैक्टरों तथा बिजली के हलों के लिये टायर और ट्यूबों का आयात करने के बारे में अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया गया है। किन्तु वर्ष 1968 के दौरान सोवियत संघ, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य चैकोस्लोवाकिया, पौलैण्ड तथा हंगरी से 49.3 लाख रु० के मूल्य के 16,840 टायरों तथा 16690 ट्यूबों का आयात करने के लिये भारतीय राज्य व्यापार निगम को लाइसेंस दिये गये थे।

Violation of Industrial Regulations

7353. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the number of persons found involved in different cases under the Industries (Development and Regulation) Act 1951, Imports and Exports (Control) Act, 1947 and rules made thereunder, during the year 1966-67, 1967-68, 1968-69 and 1969-70, yearwise ;

(b) their names, designations and addresses and full details of the action taken against them in each case ; and

(c) the measures being taken to make the aforesaid Acts obligatory ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Visit by Deputy Trade Minister of U. A. R.

7354. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the U. A. R. Deputy Minister of Trade visited India in the month of March ;

(b) if so, the topics which came up for discussion with him ; and

(c) the outcome thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). He did not come to discuss any specific problems but to get acquainted better with our tea and jute industries. His was principally a goodwill visit and no formal discussions were held.

सीमा सड़क संगठन में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

7355. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री गणेश घोष :
श्री के० रमानी :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री के० अनिरुद्धन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सड़क संगठन में कार्य कर रहे कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि उन्हें कोई भत्ता और वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार उन्हें भत्ता और वार्षिक वेतन वृद्धि देने पर विचार करेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 31-1-1969 को जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स में श्रमिकों की कुल संख्या 35,183 थी ।

(ख) से (घ). 31-12-1968 तक श्रमिक एक नियर वेतन पर थे । 1-1-69 से वेतन वृद्धि वाला वेतनमान चालू किया गया है और उन्हें महंगाई भत्ता योजना के अन्तर्गत कर दिया गया है और उनकी सेवा शर्तों के अनुसार उनके योजना में उचित संशोधन किये गये हैं ।

विद्रोही नागाओं तथा चीन के बीच करार

7356. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उग्रवादी विद्रोही नागाओं तथा चीन के बीच हुये करार से सम्बन्धित दस्तावेज अब छिपे हुये नागाओं के मध्यामार्गी क्रांतिकारी वर्ग के कब्जे में हैं जिन्होंने चीन से प्रशिक्षण प्राप्त करके आ रहे 170 नागाओं के प्रथम गिरोह को घेरने तथा स्वयंभू सेनाध्यक्ष मोवू अंगामी को पकड़ने में सुरक्षा दल की सहायता मांगी थी ;

(ख) क्या दस्तावेज सरकार को दे दिये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या उनकी प्रतियां सभा-पटल पर रखी जायेंगी ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

नागाओं की गिरफ्तारी

7357. **श्री रा० बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में कोई अनुमान लगाया गया है कि सुरक्षा सेना द्वारा विद्रोही

नागाओं की सेना के मुखिया की गिरफ्तारी के पश्चात मार्च के दूसरे सप्ताह से अब तक कितने विद्रोही नागा मारे गये हैं तथा कितने गिरफ्तार किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सुरक्षा सेना ने विद्रोही नागाओं के मुखिया के साथ आये सभी विद्रोही नागाओं की सफाई कर दी है और उनको गिरफ्तार कर लिया है ; और

(ग) उनके पास से चीन तथा पाकिस्तान का कितना गोलाबारूद पकड़ा गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). नवीनतम जानकारी के अनुसार चीन में प्रशिक्षित और वहां से लौटे 267 व्यक्तियों को पकड़ा गया है। इनमें मोवू अंगामी नेतृत्व में 175 व्यक्तियों का पूरा गिरोह और इसाक स्वू के गिरोह के 92 व्यक्ति शामिल हैं। सुरक्षा सेनाओं के साथ मुठभेड़ में इसाक स्वू के गिरोह के 50 व्यक्ति मारे गये थे।

(ग) चीन से लौटे व्यक्तियों से 292 हथियार पकड़े गये हैं। इनमें 60 एम० एम० मोर्टार, 7.62 एम० एम० एल० एम० जी०, 7.62 एम० एम० राइफलें, 303 राइफलें, सब मशीन गन, राकेट लाचरस, पिस्तौल और बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी था। यह हथियार मुख्यत: चीन में बने हैं।

चेकोस्लोवाकिया के साथ भारत के व्यापार सम्बन्ध

7358. **श्री द० रा० परमार :**
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री रामचन्द्र जे० अमीन :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेकोस्लोवाकिया में हाल की घटनाओं के कारण उस देश के साथ हमारे व्यापार तथा वाणिज्यिक सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां तक ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ट्रैक्टरों का आयात

7359. **श्री गुणानन्द ठाकुर :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उपहार के रूप में ट्रैक्टरों के आयात की अनुमति दे दी है ?

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यह योजना कब लागू होगी और यह कब तक लागू रहेगी ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). विदेशों में रहने वाले भारतीयों से उपहार के रूप में ट्रैक्टर प्राप्त करने की आयात नीति का ब्योरा 24 अक्तूबर, 1968 को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये नोट संख्या 234-आई० टी० सी० (पी० एन०)/68 में दिया गया है । यह उसी तिथि में भारत के असाधारण राजपत्र प्रकाशित हुआ था । उसकी एक प्रति सभा पुस्तकालय में उपलब्ध है । यह योजना 24-10-68 से 31-10-69 तक एक वर्ष के लिये लागू है ।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया 1000वां विमान

7360. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 मार्च, 1969 को हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा 1000वां विमान बनाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके द्वारा अब तक बनाये गये विमानों की संख्या क्या है और उनकी किस्मों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस समय यह किन विमानों के बनाने पर ध्यान दे रहा है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड (बंगलौर डिवीजन) 28 मार्च, 1969 को 1000वां विमान बनाया गया था ।

(ख) एच० ए० एल० द्वारा निम्नलिखित विमान बनाये जाते हैं :—

(1) प्रेंटिस ट्रेनर
(2) एच० टी०—2 ट्रेनर
(3) वेम्पायर डें० फाइटर
(4) वेम्पायर ट्रेनर
(5) पुष्पक लाइट ट्रेनर
(6) कृषक
(7) नेट
(8) एच० एफ०—24
(9) एच० जे० टी०-16 बेसक जेट ट्रेनर
(10) अलूथ हेलीकाप्टर

यह जनहित में नहीं कि विभिन्न प्रकार के विमानों की संख्या बतायी जाये ।

(ग) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, (बंगलौर डिवीजन) इस समय ये विमान बना रहा है :—

(1) एच० एफ०—24 एम० के० 2

(2) नेट

(3) एच० जे० टी० 16 (बेसक जेट ट्रेनर)

(4) कृषक

(5) पुष्पक

(6) अलूथ हेलीकाप्टर

इसके अतिरिक्त एच० ए० एल० के अन्य डिवीजनों द्वारा मिग—21 और एच० एस० 748 विमान भी बनाये जा रहे हैं।

चीन-भारत सीमाओं के बारे में अमरीकी सैनिक विशेषज्ञ के विचार

7361. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अमरीकी सैनिक विशेषज्ञ तथा प्रतिरक्षा विश्लेषण संस्थान के निदेशक मिस्टर चेस्टर कूपर ने चीन-अमरीका के सम्बन्धों पर राष्ट्रीय गोष्ठी में बोलते हुए कहा था कि भारत द्वारा अपनी सुरक्षा की सभी व्यवस्था के बावजूद चीन बड़ी तीव्रता से अपने निकटवर्ती बड़े भारतीय क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले सकता है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) चीन के साथ की सीमा पर प्रतिरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और इसे अपराजित बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार इस भाषण के समाचार देखे हैं।

(ख) तथा (ग). देश की क्षेत्रीय सुरक्षा पर आक्रमण का मुकाबला करने के लिये उचित उपाय कर लिये गये हैं।

टर्की द्वारा पाकिस्तान को टैंक सप्लाई करना

7362. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका और टर्की ने पाकिस्तान को टैंकों की बिक्री के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). सरकार की जानकारी के अनुसार टर्की द्वारा पाकिस्तान को टैंकों की सप्लाई के बारे में अभी कोई समझौता नहीं है। पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के प्रश्न पर सरकार के विचारों से सभी मित्र देशों को, जिनमें टर्की और अमरीका भी है, अवगत करा दिया गया है।

मैसर्स तारना वाच कम्पनी लिमिटेड, बम्बई

7363. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तारना वाच कम्पनी लिमिटेड, (फेवर ल्यूबा के सहयोग से बनी बम्बई की फर्म) ने वर्ष 1962 में कारखाने से बाहर कच्चा माल तैयार करने की अनुमति मांगी थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में कम्पनी को अब तक अनुमति नहीं दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं। मण्डी के मैसर्स तारना वाच कम्पनी ने 5 फरवरी, 1968 को नई दिल्ली के आयात तथा निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक को आवेदन दिया था कि उन्हें फैक्टरी के बाहर क्लाक और टाइम पीस बनाने के लिये कच्चे माल और पुर्जों को बनाने की अनुमति दी जाये।

(ख) जी नहीं। अनुमति नहीं दी गई।

(ग) जांच पर पता चला था कि फर्म के मण्डी में अथवा बाहर आयातित कच्चे माल से तैयार करने के कोई साधन नहीं हैं।

इलैक्ट्रोनिक उपकरणों का भण्डार जमा हो जाना

7364. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्पादन शुल्क अत्यधिक होने के कारण इलैक्ट्रानिक उपकरण बनाने वाले उद्योग में उपकरणों का भण्डार जमा हो गया है जिससे उद्योग में संकट की स्थिति पैदा हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग को राहत देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तथा (ख). दो इलैक्ट्रानिक उपकरणों अर्थात (1) रिसीविंग वाल्व और ट्रांसिसटर और डियोडस, यदि वे रेडियो में प्रयोग हों, पर 1968-69 में उत्पादन शुल्क लागू किया गया था। एक वाल्व पर 3-रुपये और एक ट्रांसिसटर और डियोड पर 1/-रुपया शुल्क है। चालू वर्ष में कुछ स्टाक इकट्ठा हो गया है। समूचे रूप में इलैक्ट्रानिक उपकरण उद्योग अच्छी प्रगति कर रहा है और इस वर्ष में गत वर्ष की अपेक्षा 40 प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ है।

दो उपकरणों पर उत्पादन शुल्क कम करने का एक प्रस्ताव है।

कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र

7365. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र में अभी तक बहुत ही कम उद्योग स्थापित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र में उद्योगपतियों को उद्योग स्थापित करने के लिये क्या प्रोत्साहन देने का सरकार का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). इस क्षेत्र में अब तक छः उद्योग उत्पादन तथा निर्यात आरम्भ कर चुके हैं। चालू वर्ष में कतिपय अन्य उद्योगों द्वारा उत्पादन आरम्भ किये जाने की सम्भावना है। हालांकि योजना में निश्चित प्रगति हुई है, परन्तु भारत में यह अपनी किस्म का पहला प्रयोग है, अतः व्यापक लाभ प्राप्त करने में कुछ समय लगना स्वाभाविक ही है। सरकार इस क्षेत्र की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करती रहती है और आवश्यक होने पर इसके कार्य-चालन को बेहतर बनाने के लिये उपयुक्त उपाय किये जाते हैं।

सीमा सड़क संगठन

7366. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सड़क संगठन द्वारा मन्दे मौसम में केन्द्रीय रिजर्व इंजीनियर दल का पूरी तरह लाभ नहीं उठाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या दल का पूरी तरह लाभ उठाने का कोई प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). जनरल रिजर्व इंजीनियर दल को मुख्य रूप से अग्रिम क्षेत्रों में कार्य करना होता है और वहां बड़ा खराब मौसम होता है। कुछ

क्षत्रों में तो शरद ऋतु में हिमपात होता है तापमान शून्य से भी कम हो जाता है । अन्य क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण कार्य में रुकावट हो जाती है । इन मौसमों में कार्य की गति धीमी हो जाती है ।

(ख) ऐसी अवधियों में साधनों से अधिकाधिक लाभ उठाने के लिये ये मुख्य उपाय किये गये हैं :

सीमा सड़क संगठन के पास बेकार पड़ी मशीनें

7367. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा सड़क संगठन के पास पड़ी मशीनों का पूरा उपयोग नहीं किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संगठन की वर्कशाप के पास बहुत सी मशीनें मरम्मत के लिए पड़ी हैं परन्तु इसके बावजूद संगठन द्वारा नई मशीनें खरीदी जा रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सीमा सड़क संगठन के पास लगभग 0.3 प्रतिशत मूल्य की मशीनरी बेकार पड़ी हैं । डी० जी० बी० आर० ने ऐसे बड़े उपकरणों और गाड़ियों का नमूना सर्वेक्षण किया था जो बेकार पड़े हैं । यह अनुमान लगाया गया है सीमित निर्माण सीजन दूरस्थ क्षेत्रों और निर्माण के विभिन्न प्रक्रमों को ध्यान में रखते हुए, बड़े उपकरणों और मोटर गाड़ियों का उपयोग असंतोषजनक नहीं था ।

(ख) तथा (ग). मशीनों और सामान की नई खरीद के प्रस्तावों पर वित्त मंत्रालय की सलाह से ब्योरे से विचार किया जाता है । वास्तविक आवश्यकता और मरम्मत किये जाने वाले उपकरणों को ध्यान में रख कर नई खरीद की अनुमति दी जाती है ।

(1) लगाये गये असैनिक मजदूरों की संख्या कम करके आवश्यकता के अनुसार कर दी जाती है ।

(2) जी० आर० ई० एफ० व्यक्तियों को इस अवधि में अधिकाधिक संख्या में अवकाश दिया जाता है ।

(3) यदि सम्भव हो तो साधनों का अच्छे मौसम आदि वाले स्थानों पर ले जाया जाता है ।

(4) मशीनरी की मरम्मत आदि की जाती है ।

सेना के कार्यों विशेषतः तकनीकी और आवास निर्माण को उक्त अवधि में हाथ में लेने पर विचार किया जा रहा है ।

वैमानिक समिति के अध्यक्ष को दिया जाने वाला पारिश्रमिक

7368. **श्री मधु लिमये** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री सी० सुब्रह्मानियम ने लाभ-पद सम्बन्धी संयुक्त समिति द्वारा उठायी गयी इस आपत्ति के बारे में टिप्पणी की है कि वैमानिक समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्हें 850 रुपये मासिक मिलते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) (क) तथा (ख). उपलब्ध जानकारी के अनुसार श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने उनके द्वारा एरोनाटिक्स समिति के चेयरमैन के रूप में 850/- रुपये लेने पर लाभपदों सम्बन्धी संयुक्त समिति द्वारा की गई आपत्ति पर टिप्पणी नहीं की । उनको जब यह प्रश्न किया गया कि क्या वह लाभप्रदों सम्बन्धी समिति की आपत्ति को ध्यान में रखते हुए क्या राशि लौटा देंगे, उन्होंने कहा कि इसके लिये कोई कारण नहीं क्योंकि ऐसे भुगतान के लिये पहले उदाहरण हैं ।

बी० टबिल बोरियों का मूल्य

7369. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन मिलों ने सरकार को बी० टबिल बोरियां 200 रुपये में प्रति 100 बोरी के नियन्त्रित मूल्य पर बेचने से इंकार कर दिया था ;

(ख) क्या सरकार ने मिलों के बेनामी अथवा अन्य तरीके से रखे गये भण्डार को अर्जित न करने का निर्णय किया है ;

(ग) क्या सरकार ने उन्हें बी टबिल बोरियों का उत्पादन पुनः शुरू कराने के लिये राज्य व्यापार निगम तथा बफर ऐसोसिएशन के जमा भण्डार से पटसन बेचने का प्रस्ताव किया हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि ऐसोसिएशन ने सरकार का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया हैं ;

(ङ) क्या भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य अर्ध सरकारी निगम चावल मिलों तथा उनकी एजेंसियों को नियन्त्रित मूल्य पर बी टबिल बोरियां खरीदने की अनुमति दे रहे हैं ; और

(च) यदि हां, तो इसे रोकने तथा सरकार की आवश्यकता के लिये नियन्त्रित मूल्य पर पर्याप्त बोरियां प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (च). यह सच नहीं है कि पटसन मिलों ने सरकार को बी टबिल की बोरियां 200 रु० प्रति 100 बोरी के नियंत्रित मूल्य पर बेचने से इंकार कर दिया है । भण्डार का अधिग्रहण करने पर इस समय

विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि नियंत्रित मूल्यों पर बी ट्विल के बोरों की आवश्यकता पूरी करने में कोई कठिनाई होने की संभावना नहीं है। बी० ट्विल का उत्पादन पटसन के माल के सामान्य उत्पादन कार्यक्रम का एक अंग है और पटसन तथा पटसन-माल रक्षित भंडार संघ द्वारा रखे जाने वाले भंडार से प्रत्येक मिल के लिए निर्धारित उत्पादन कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए पटसन आयुक्त के निदेशों के अधीन कच्चा पटसन दिया जाता है। यह कहना ठीक नहीं है कि भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य अर्ध-सरकारी निकाय चावल मिलों तथा उनके अभिकरणों को नियंत्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर बी ट्विल के बोरे खरीदने की अनुमति दे रहे हैं।

रूस के प्रतिरक्षा मंत्री की भारत यात्रा

7370. **श्री मधु लिमये** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के प्रतिरक्षा मंत्री और भारत के प्रतिनिधियों के बीच भारत पर चीन के आक्रमण की स्थिति में रूस द्वारा भारत को सैनिक सहायता देने पर चर्चा हुई थी ;

(ख) यदि रूस ने कोई आश्वासन दिया है तो वह क्या है ;

(ग) क्या चीन रूस सीमा पर हुई झड़पों और प्रदर्शनों के अभिप्राय पर भी विचार हुआ था ;

(घ) क्या कोई संयुक्त अनुमान/मूल्यांकन सामने आया था ; और

(ङ) यदि हां, तो वह क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). परस्पर हित के मामलों पर रूसी प्रतिनिधिमंडल के साथ सामान्य चर्चा हुई थी। कोई विशिष्ट आश्वासन न तो दिये गये और न लिये गये।

(ग) से (ङ). रूसी प्रतिरक्षा मंत्री ने बातचीत के दौरान चीन-रूस सीमा मुठभेड़ों का जिक्र किया था। यह माना गया कि ऐतिहासिक सीमाओं को बल प्रयोग से बदला नहीं जाना चाहिये और यदि कोई मतभेद हों तो उन्हें आपसी बातचीत द्वारा दूर किया जाना चाहिये।

श्रीलंका द्वारा कच्चाटीबू द्वीप में एक बौद्ध मन्दिर का निर्माण

7371. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका का विचार कच्चाटीबू द्वीप में एक बौद्ध मन्दिर बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दूरस्थ स्थानों के लिये पारेषण उपकरणों का निर्माण

7372. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरस्थ स्थानों के लिये पारेषण उपकरणों के निर्माण के लिये एक कारखाना स्थापित करने के बारे में योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है ; और

(ख) क्या सरकार इस कारखाने को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन में स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तथा (ख). ऐसा जान पड़ता है कि यह भारत इलैक्ट्रानिक लिमिटेड द्वारा सूक्षणतरंग और राडार उपकरण बनाने के लिये दो कारखाने स्थापित करने के बारे में है । इनके लगाने के स्थान के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है । सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद निर्णय किया जायेगा ।

तैवान को रेल के माल डिब्बों का निर्यात

7373. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ भारतीय समवायों ने भारत से रेल के माल डिब्बों का निर्यात करने के लिये चीन गणराज्य तैवान से क्रयादेश प्राप्त किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने मूल्य के क्रयादेश प्राप्त किये गये हैं और इन क्रयादेशों के अनुसार माल सप्लाई करने में कितना समय लगेगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). साधारणतः सरकार गैर-सरकारी भारतीय पक्षों के वाणिज्यिक सौदों के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं रखती । फिर भी इस मामले में उपलब्ध जानकारी के अनुसार कतिपय भारतीय फर्मों ने 97 लाख रु० मूल्य के मालगाड़ी के छत वाले डिब्बों तथा सवारी गाड़ी के डिब्बों के संभरण के लिए तैवान से क्रयादेश प्राप्त किये हैं ।

बम्बई में इन्दु उद्योग समूह की मिलें

7374. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने बम्बई में इन्दु उद्योग समूह की मिलों को कुल कितनी राशि की सहायता दी है ;

(ख) क्या सरकार को गत तीन वर्षों में इन मिलों के कार्य संचालन तथा इनकी वित्तीय स्थिति के बारे में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ग) क्या सरकार उन प्रतिवेदनों और वित्तीय विवरणों की प्रतियां सभा-पटल पर रखेगी ;

(घ) क्या इन्दु मिल कर्मचारी समिति से सरकार को मिलों के कार्य संचालन के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार ने इंडिया यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड, बम्बई को क्रमशः 175 लाख रुपये और 213 लाख रुपये के ऋण दिये हैं। इसके अतिरिक्त दो सरकारों ने पंजाब नेशनल बैंक को उसके द्वारा मिल्स को दिये गये ऋणों के लिये 333.50 लाख रुपये की गारंटी दी है।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हां।

(ङ) जांच करने पर पता चला है कि अभ्यावेदन में लगाये गये आरोपों का कोई आधार नहीं।

भूतपूर्व राजनयिकों द्वारा राजनयिक पासपोर्ट रखना

7375. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि है विदेशों में पद-त्याग करने के बाद और स्वदेश वापस आने पर मिशनों के अध्यक्षों को कोई उपयुक्त पद देकर उन्हें अपने राजनयिक पासपोर्ट रखने की अनुमति दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में जारी किये गये अनुदेशों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) 1968-69 में विदेशों में अपनी नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर कितने राजनयिक (गैर वृत्तिक) भारत वापस आये और उन्हें राजनयिक पासपोर्ट रखने की अनुमति दी गई ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। प्रथम श्रेणी के राजदूतों (वृत्तिक और गैर-वृत्तिक) दोनों को सेवा मुक्त होने पर भी अपने राजनयिक पास-पोर्ट रोक रखने का अधिकार है।

(ख) सामान्यतः जिन लोगों को राजनयिक पासपोर्ट दिए गए थे, उनकी श्रेणी प्रदर्शित करने वाली सूची की एक प्रति 18-12-1967 को लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4754

के उत्तर में सदन की मेज पर रखी गई थी । सूची का 15वां मद देखिए । उस सूची की एक प्रति संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 864/69**]

(ग) तीन ।

भारत और पाकिस्तान के सेनाध्यक्षों के बीच सीधा टेलीफोन सम्पर्क

7376. **श्री वी० नरसिम्हा राव :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और पाकिस्तान के सेनाध्यक्षों के बीच सीधा टेलीफोन सम्पर्क (हाट लाइन) स्थापित करने का प्रस्ताव 1965 के संघर्ष के पश्चात् किया गया था ;

(ख) क्या प्रस्तावित सीधा टेलीफोन सम्पर्क (हाट लाइन) चालू हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या किसी अवसर पर इसका वास्तविक रूप से प्रयोग किया गया है ; और

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो कब और किस उद्देश्य हेतु ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). सितम्बर, 1966 में भारत के सेना अध्यक्ष और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष के बीच टेलीफोन की सीधी व्यवस्था करने के लिये अमृतसर और लाहौर के बीच लाइन लगाई गई थी । इस लाइन का 1966—68 के दौरान कुछ अवसरों पर ताशकन्द समझौते की कार्यान्वित की ब्योरेवार प्रक्रियाओं पर बातचीत के लिये प्रयोग किया गया है ।

पटसन और रुई का रक्षित भण्डार

7377. **श्री तुलसीदास दासप्पा :**
श्री देवराव पाटिल :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटसन तथा रुई के रक्षित भण्डार बनाने के लिये योजना आयोग द्वारा दिये गये सुझाव को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो भण्डार की अनुमानित मात्रा कितनी होगी ; और

(ग) सरकार कितनी अवधि में ये भण्डार बनाने की आशा करती है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). योजना आयोग ने रुई के रक्षित भण्डार की स्थापना के लिए कोई सुझाव नहीं दिया है । रुई का रक्षित भण्डार बनाने के प्रश्न पर एक समिति द्वारा विचार किया जा रहा है ।

सरकार इस बात से सहमत है कि पटसन का एक पर्याप्त रक्षित भण्डार बनाया जाना चाहिए ताकि मूल्यों की स्थिरता तथा पटसन उद्योग को कच्चे माल की निरन्तर सप्लाई सुनिश्चित

हो सके । स्टाक की अनुमानित मात्रा अथवा कितने समय में सरकार स्टाक जमा करने की आशा रखती है, इन विषयों पर अभी कोई विनिश्चिय नहीं किये गये हैं । ये फसल की वास्तविक मात्रा पर निर्भर होगा ।

थुम्बा भूमध्य रेखीय राकेट छोड़ने का केन्द्र

7378. **श्री तुलसीदास दासप्पा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्तरिक्ष का शांतिपूर्ण कार्यों हेतु उपयोगी सम्बन्धी समिति की वैज्ञानिक तथा तकनीकी उप-समिति ने एक संकल्प पारित किया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत के थुम्बा भूमध्य रेखीय राकेट छोड़ने के केन्द्र के लिये अपना संरक्षण जारी रखना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का थुम्बा केन्द्र को कितनी सहायता देने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्तरिक्ष का शांतिपूर्ण कार्यों के हेतु उपयोग करने सम्बन्धी समिति की वैज्ञानिक तथा तकनीकी उपसमिति ने अपने छठे अधिवेशन में सिफारिश की थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की थुम्बा विषुवदीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र के लिये अपना संरक्षण जारी रखना चाहिए ।

(ख) भारत सरकार ने थुम्बा विषुवदीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से कोई सहायता नहीं मांगी है ।

19 सितम्बर, 1968 को हड़ताल में भाग लेने के कारण मुअत्तिल किये गये सरकारी कर्मचारियों की बहाली

7379. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल के बारे में दिनांक 15 मार्च, 1969 के गृह मंत्रालय के पत्र में दिये गये अनुदेशों को उनके मंत्रालय तथा अन्य प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में पूर्ण रूप से क्रियान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो 20 मार्च, 1969 के बाद कितने अस्थायी कर्मचारियों को बहाल किया गया है;

(ग) कितने कर्मचारियों के विरुद्ध मुअत्तिली के आदेश वापस ले लिये गये हैं; और

(घ) क्या न्यायालयों में चल रहे कुछ मुकदमें भी वापस ले लिये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). गृह-कार्य मंत्रालय के कार्यालय-ज्ञापन में जो अनुदेश हैं, उन्हें पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है । जो समाचार मिला है, उसके अनुसार मंत्रालय सेना के मुख्य कार्यालय और अन्तर्सेवा संगठनों में बहाली का कोई भी मामला

विचाराधीन नहीं हैं। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 121 कर्मचारियों को निलम्बन से बहाल किया जा चुका है और 35 व्यक्तियों के निलम्बन आदेश वापस लेने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं। अभी जानकारी मिलनी शेष है।

रेसकोर्स और धौला कुआं स्थित वायुसेना केन्द्रों की कैन्टीनें

7380. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेसकोर्स और धौला कुआं, नई दिल्ली स्थित वायुसेना स्टेशनों की कैन्टीनें पिछले दस वर्ष से अधिक अवधि से एक ही ठेकेदार द्वारा चलाई जा रही हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन कैन्टीनों के दिये जाने के लिये कभी कोई टेन्डर नहीं मांगे गये हैं;

(ग) क्या इन कैन्टीनों में ठेकेदार द्वारा उपलब्ध की गई सेवा और वहां के कर्मचारियों के विरुद्ध इन स्टेशनों के निवासियों ने शिकायत की है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त ठेकेदार को इन कैन्टीनों के दिये जाने के करार को रद्द करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) वायुसेना स्टेशन, रेसकोर्स, नई दिल्ली में एक ग्रोसरी-बार-कैन्टीन है। यह कैन्टीन वायुसेना विभाग के कर्मचारियों के गैर-सरकारी निधि द्वारा चलाया जा रहा है और उसे कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) द्वारा सप्लाई किया जाता है। वहां पर एक इससे भी अच्छा बार कैन्टीन है, जिसमें खाद्य पदार्थ स्टेशन परिसर में रहने वाले कर्मचारियों के लिये उपलब्ध होते हैं। यह शुद्ध रूप से गैर-सरकारी धन द्वारा चलाया जा रहा है परन्तु यह वायुसेना स्टेशन के अधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा है और उसका पिछले 10 वर्षों से एक ही ठेकेदार चला आ रहा है। खाद्य-पदार्थों के भावों की सूची सभा-पटल पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 866/69]** उसी ठेकेदार को धौला कुआं क्षेत्र में स्थित वायुसेना के एकक के रिहायशी क्षेत्र में सुपर बार की एक शाखा खोलने को सितम्बर, 1968 में कहा था।

(ख) जी, हां।

(ग) ठेकेदार की सेवा और कर्मचारियों के विरुद्ध कोई शिकायत भी नहीं मिली है।

(घ) चूंकि ये गैर-सरकारी धन से चलने वाली दुकानें हैं, और चूंकि वहां के बारे में कोई शिकायत नहीं है, अतः सरकार को इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं करनी है।

भारतीय नौसेना के जहाजी बेड़े

7381. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री देवेन सेन :
श्री किकर सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना के लिये दो जहाजी बेड़े बनाने के लिये अर्थात् एक पूर्वी तट के लिये तथा दूसरा पश्चिम तट की रक्षा के लिये सरकार द्वारा कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या यह कार्य जिस समिति को सौंपा गया था उसका प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). यद्यपि इस प्रकार की कोई समिति नियुक्त नहीं की गई है परन्तु नौसेना को नवीन उपकरणों से सज्जित और सबल बनाया जा रहा है ताकि वह हमारे पूर्वी और पश्चिमी तटों तथा भारतीय क्षेत्र के द्वीपों की रक्षा अच्छी प्रकार कर सके।

Amendment in Cantonment Act, 1924

7382. **Shri Ramavtar Shastri:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government propose to amend the Cantonment Act of 1924 ;

(b) if so, whether Government are of the opinion that before amending the above Act, the suggestions of only Government and cantonment officials are required and that those of members of Parliament and the Members of Cantonment Boards are not necessary ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Suggestions for amendment of the Cantonment Act, 1924, from Members of Parliament and members of Cantonment Boards are welcome and would receive Government's careful consideration. In fact, some suggestions from them have already been received. Further, opportunities will be available to the Members of Parliament to express their views after the Amending Bill is introduced.

Conference of Elected Members of Cantonment Boards

7383. **Shri Ramavtar Shastri :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Conference of elected Members of Cantonment Boards of the whole country was held in Kirki on the 24th January last ,

(b) if so, whether it is also a fact that a Memorandum was submitted to the President of India on behalf of that Conference;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) the reaction of Government in regard thereto?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) Some elected members of a few Cantonment Boards met in a conference at Kirkee on 24th January 1969.

(b) Yes, Sir.

(c) The suggestions included extension of the tenure of elected members, grant of free-hold rights for a small premium in certain cases and withdrawal of instructions requiring old-grant holders in civil areas to obtain leases before engaging in construction, reconstruction, etc.

(d) The question of extension of tenure will be dealt with as a part of the Bill to amend the Cantonments Act which will be placed before Parliament in the near future. The other two suggestions are not acceptable as they would not be in the interest of the Cantonment Fund.

निर्यात प्रोत्साहन

7384. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातकों को विदेशी खरीदारों के साथ सौदे तय करते समय दिये जाने वाले वर्तमान सभी प्रोत्साहनों का अधिकतम लाभ देने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां। 1969-70 के लिये पंजीकृत निर्यातकों की आयात नीति में, ऐसी संविदाओं, जिनकी सुपुर्दगियां कम से कम 12 महीने की अवधि में की जानी हैं, के पंजीकरण की योजना को लागू करने और निर्यातकों को उन संविदाओं के क्रियान्वयन में किये गये निर्यातों के आधार पर उन संविदाओं की तारीख पर अनुमेय सहायता के स्तर के लाभ देने का सरकार का विनिश्चय सम्मिलित है। योजना का ब्योरा तैयार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीका से रुई का आयात

7385. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० एल० 480 के अन्तर्गत भारत को दी जाने वाली 89 मिलियन डालर की सहायता को घटाकर 50 मिलियन डालर कर देने में अमरीका सरकार के निर्णय के परिणाम-स्वरूप अमरीका से भारत में रुई का आयात बन्द कर दिये जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप रुई के मूल्यों के वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो कपड़ा उद्योग को रुई की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). चालू वर्ष में रुई का अमरीका से आयात पी० एल० 480 के अन्तर्गत किये जाने के लिये व्यवस्था की जा रही है । इससे रुई के मूल्यों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा । पिछले कुछ महीनों से रुई के मूल्य बढ़ते जा रहे थे ।

बन्दरों का निर्यात

7386. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बन्दरों के निर्यात के विरोध में सरकार को किसी व्यक्ति या संस्था की ओर से धार्मिक आधार पर अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विश्व व्यापार में विकासशील देशों का योगदान

7387. **श्री वी० नरसिम्हा राव** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो दशाब्दियों में विश्व व्यापार में विकासशील देशों के योगदान में धीरे-धीरे कमी हुई है; और

(ख) गत तीन वर्षों में वर्षवार कितना विश्व निर्यात था और इसमें क्रमशः विकासशील और विकसित देशों का और विशेषकर भारत का क्या योगदान था ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां । विश्व में होने वाले निर्यात व्यापार में, पूर्वी यूरोप तथा एशिया के समाजवादी देशों को छोड़कर जिनके बारे में पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े उपलब्ध न हो सके, शेष सभी विकासशील देशों का योगदान 1950 में 35.8 प्रतिशत से घटकर 1967 में 21.1 प्रतिशत रह गया है ।

(ख) विश्व निर्यात से सम्बन्धित 1967 से पूर्व के आंकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं । 1965-1966 और 1967 के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

सभी वस्तुओं के * विश्व निर्यात (1963=100) की मात्रा की सूची :

निर्यात का मूल्य (अमरीकी बिलियन में)	1965	1966	1967
विश्व @	186.4	203.5	214.4
विकसित देश	128.3	141.7	149.5
समाजवादी देश	21.7	23.1	24.8
विकासशील देश	36.4	38.7	40.0
जिसमें : भारत	1.69	1.58	1.61

तटस्थ देशों का शिखर सम्मेलन

7388. **वि० नरसिम्हा राव** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 19 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 239 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिये तटस्थ देशों के साथ परामर्श किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह सम्मेलन आयोजित करने के ठीक-ठीक कारण क्या हैं, कौन-कौन से देश आमंत्रित किये जायेंगे और किन प्रश्नों पर विचार किया जायेगा; और

(ग) इससे तटस्थ देशों के हितों को, विशेष रूप से भारत के हितों को, किस प्रकार लाभ पहुंचेगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). गुटमुक्त देशों की परामर्शक बैठक बुलाने के सिलसिले में सलाह-मशविरा चल रहा है । गुटमुक्त राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन के प्रश्न पर विचार परामर्शक बैठक करेगी ।

अभी तक सारे जवाब नहीं आये हैं लेकिन काफी देशों ने परामर्शक बैठक में हिस्सा लेने की इच्छा व्यक्त की है ।

इस परामर्शक बैठक का उद्देश्य गुटमुक्त देशों का सम्मेलन बुलाने के प्रश्न पर विचार करना होगा ।

(ग) गुट मुक्त देशों के सामने जो समस्यायें हैं, उन पर विचार करने के लिये इन देशों के सम्मेलन से निश्चय ही फायदा पहुंचेगा क्योंकि इससे, निस्सन्देह, शान्ति की स्थापना में, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और तेज आर्थिक विकास में सहयोग मिलेगा ।

---

* पूर्वी यूरोप और एशिया के समाजवादी देशों को छोड़कर ।

@ पूर्वी यूरोप और एशिया के समाजवादी देशों को मिलाकर ।

Prices of Cotton

7389. **Shri Deorao Patil**: Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the prices of Indian cotton are showing a constant increase ;

(b) if so, the prices of cotton during the period from December, 1968 to April, 1969;

(c) the percentage of increase in the prices of munglai cotton and other kinds of cotton during the period from December 1968 to April 1969 ; and

(d) the reasons for the increase in prices ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak): (a) Prices of cotton are subject to fluctuation.

(b) and (c). A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-866/69]**

(d). There is no price control on cotton and the increase in prices is attributable to the operation of the law of demand and supply.

सेनाध्यक्ष चुनने का मापदण्ड

7390. **श्री रामचन्द्र ज० अमीन** :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री द० रा० परमार :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेनाध्यक्षों, अर्थात् स्थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना के अध्यक्ष चुनने के मापदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सेना अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया में हाल ही में कुछ परिवर्तन किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इन परिवर्तनों के अनुसार स्थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना के उपाध्यक्षों का भी चयन किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) स्थल सेना, नौसेना और वायुसेना के मुख्य सेनाध्यक्षों का चयन गुण, उपयुक्तता और वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

भारत में "हैवी वाटर" संयंत्र

7391. **श्री रा० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में एक "हैवी वाटर" संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इसकी व्यावहारिकता के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने के लिये फ्रांसीसी अणुशक्ति आयोग से कोई अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख). जी, हां।

(ग) यह विषय अभी विचाराधीन है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा कारों की बिक्री

7392. **श्री अदिचन** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने आयातित कारों की बिक्री से अत्यधिक लाभ कमाया है और यदि हां, तो निगम द्वारा इस व्यापार को नियंत्रण में लिये जाने से अब तक प्रत्येक वर्ष निगम ने कुल कितना लाभ कमाया;

(ख) इन वर्षों में वर्षवार निगम ने अपनी विभिन्न गतिविधियों से कितना शुद्ध लाभ कमाया; और

(ग) इन कारों को नियमित प्रक्रिया द्वारा नियत मूल्यों पर उचित लाभ से बेचने के बजाय इनको नीलाम द्वारा बेचकर इस प्रकार लाभ कमाने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). आयातित कारों की बिक्री से कमाए हुए लाभ तथा निगम के शुद्ध लाभ, वर्षवार नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	आयातित कारों की बिक्री पर लाभ (लाख रु० में)	कुल शुद्ध लाभ
1962–63	0.55	141.00
1963–64	27.44	60.00
1964–65	28.24	174.00
1965–66	38.01	159.00
1966–67	52.50	87.00
1967–68	38.34	231.00

1968-69 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) आयातित कारों को नीलामी द्वारा बेचना ऐसी आयातित कारों के, जिनकी बड़ी मांग है, बेचने की सम्यक प्रणाली है। कतिपय विशिष्ट वर्गों को, जिन्हें नियत मूल्यों पर बिक्री की जाती है, की गई बिक्री को छोड़कर, शेष बिक्रियां नीलामी द्वारा की जाती हैं, जिससे उन सभी खरीदारों को, जो आयातित कार खरीदने में रुचि रखते हैं, समान अवसर मिलता है। नीलामी द्वारा बिक्री करना सरकारी सम्पत्तियों के निपटान की स्वीकृत प्रणाली है।

डी० डब्लू० आटे की बोरियों की खरीद

7393. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी० ट्विल पर नियंत्रण के पश्चात् सरकार ने डी० डब्लू० आटे की बोरियां खरीदी हैं;

(ख) यदि हां, कुल कितनी बोरियां तथा गांठें खरीदी हैं;

(ग) सौ बोरी के लिये कितना मूल्य दिया गया है;

(घ) नियंत्रित मूल्य पर बी० ट्विल भण्डार अर्जित करने की अपेक्षा सरकारी/अर्ध सरकारी आवश्यकताओं के लिये अधिक मूल्य पर डी० डब्लू० आटे की बोरियां खरीदने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इसमें अन्तर्ग्रस्त भ्रष्टाचार तथा घूस के सम्बन्ध में सरकार ने जांच की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 867/69]

(घ) आवश्यक बी० ट्विल बोरियों को नियन्त्रित दर पर खरीदने की व्यवस्था हो जाने तक उनकी तुरंत-मांग को पूरा करने के लिए डी० डब्लू० आटे की बोरियों की खरीद कर ली गई थी। क्योंकि आवश्यक बी० ट्विल बोरियों को नियंत्रित दर पर प्राप्त करने में किसी भी कठिनाई की संभावना नहीं थी, इस लिए अधिग्रहण करने की कार्यवाही नहीं की गई थी।

(ङ) इसमें भ्रष्टाचार और घूस का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं था।

मशीन टूल्स की सप्लाई

7394. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से मशीन टूल्स की सप्लाई के लिये क्रयादेश प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये क्रयादेश कितने टूल्स के लिये तथा कितने मूल्य के हैं; और

(ग) टूल्स कब तक सप्लाई किये जायेंगे ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) सरकार को मशीन-औजारों के संभरण के लिये क्रयादेश प्राप्त होने का प्रश्न नहीं उठता। मशीन-औजारों का निर्यात निर्बाध है और कोई भी व्यक्ति मशीन-औजारों के संभरण के लिये सरकार से पूछे बिना ही विदेशी खरीदारों से बातचीत कर सकता है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

बर्मा में भारतीय सम्पत्ति के लिए मुआवजा

7395. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की हाल की बर्मा यात्रा के दौरान भारतीयों की राष्ट्रीयकृत सम्पत्ति के लिए मुआवजे तथा नजरबन्द भारतीयों की रिहाई के प्रश्न पर बर्मा सरकार के साथ बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर बर्मा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) प्रधान मंत्री की बर्मा यात्रा के दौरान वहां की सरकार से इन विषयों पर बातचीत हुई थी।

(ख) दोनों ही मामलों में बर्मा की सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि इन पर अब तेजी से कार्रवाई की जा रही है।

योजना आयोग में तेलंगाना 'सेल'

7396. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग में एक तेलंगाना 'सेल' बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा 'सेल' क्या काम करेगा; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन के जिलों के लिये जो बहुत ही पिछड़े हैं योजनाएं बनाने के लिये ऐसा 'सेल' स्थापित किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). तेलंगाना के तेजी से विकास करने के कार्य में राज्य सरकार के साथ केन्द्रीय सरकार तथा योजना आयोग को सहयोजित करने के लिए जो विभिन्न कदम उठाये जायेंगे, उन्हें प्रधान मंत्री के दिनांक 11 अप्रैल, 1969 के वक्तव्य में निर्दिष्ट किया गया था। अतः इस कार्य के लिए योजना आयोग में पृथक 'सेल' बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में विदेशियों के बागान

7398. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बागान (चाय, काफी तथा रबड़) अधिकतर विदेशी कम्पनियों के नियंत्रण में हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है और वे प्रतिवर्ष कितना मुनाफा बाहर भेजती हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन बागानों के राष्ट्रीयकरण करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में बागानों संबंधी नीति की रूपरेखा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ). सरकार ने बागानों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा।

(ङ) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में बागानों के विकास के लिये प्रस्तावित कार्यक्रम विचाराधीन है।

फ्रेंड्स आफ इंडिया सोसाइटी के निमंत्रण पर अमरीका जाने वाले भारतीय

7399. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री एक सूची सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें उन भारतीय नागरिकों के नाम दिये हुए हों जो अमरीका की 'फ्रेंड्स आफ इंडिया सोसाइटी' के निमंत्रण पर 1965 और 1968 के बीच अमरीका गये थे;

(क) क्या उनमें से किसी व्यक्ति ने भारत वापस आने पर कोई नई संस्था स्थापित की;

(ख) क्या 'न्यूयार्क टाइम्स' में प्रकाशित समाचार के अनुसार फ्रेंड्स आफ इंडिया सोसाइटी सी० आई० ए० संगठन का ही प्रतिरूप है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की जानकारी क्या है;

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). सम्बद्ध सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

इंडियन एक्स-सर्विसमैन लीग

7400. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एक्स-सर्विसमैन लीग नामक कोई संगठन है;

(ख) क्या सरकार इस लीग को मान्यता देती है;

(ग) क्या इस संस्था को कोई वित्तीय सहायता दी जाती है;

(घ) इसके कृत्य क्या हैं और इसके द्वारा किये गये कार्यों का ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या पश्चिम बंगाल में कोई अप्रयुक्त राशि पड़ी है; और

(च) क्या यह सच है कि इस लीग को हाल के वर्षों में ब्रिटेन से 10,000 पौण्ड की राशि प्राप्त हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी, हां । संगठन का नाम इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग है ।

(ख) माननीय सदस्य 12 मार्च, 1969 को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 2799 के उत्तर को देखने का कष्ट करें ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) संक्षेप में लीग के उद्देश्य और प्रयोजन निम्नलिखित हैं :

(एक) पेंशनों, भत्तों, अनुदानों, युद्ध-उपदानों, पुनर्वास आदि के मामलों में भूतपूर्व सैनिकों की सहायता करना और उन्हें वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता करना ।

(दो) भूतपूर्व सैनिकों में आत्म-सहायता और सहकारिता की भावना का उद्रेक करना ।

(तीन) भूतपूर्व सैनिकों (शारीरिक दृष्टि से अयोग्य या अन्य दोनों प्रकार के) के पक्ष में जनमत तैयार करना और उनके लिए जनता से समर्थन और मान्यता प्राप्त करना ।

(चार) राष्ट्रीय आपातकाल में भर्ती तथा अन्य मामलों में भर्ती तथा अन्य मामलों में सरकारी अधिकारियों की सहायता करना । युद्ध-क्षेत्र पर व्यस्त जवानों के परिवारों के हितों की रक्षा करना और सेना से वापस आने पर सैनिक कर्मचारियों को असैनिक जीवन व्यतीत करने में सहायता करना ।

(पांच) शान्ति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य राष्ट्रीयता वाले भूतपूर्व सैनिकों से सम्पर्क बनाये रखना ।

(ङ) सरकार के पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(च) जी, हां । नई दिल्ली में मुख्य-कार्यालय का भवन बनाने के लिए ब्रिटिश कामनवैल्थ एक्स-सर्विसमैन लीग ने उक्त लीग को 10,000 पौंड की राशि स्वीकृत की थी ।

निदेशक का पद स्वीकार करने के लिये अनुमति का दिया जाना

7401. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सेना विनियमों के नियम 339 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने कितने मामलों में कमीशन प्राप्त अधिकारियों को निदेशक आदि का पद स्वीकार करने की अनुमति दी है;

(ख) इस नियम के उल्लंघन के कितने मामले सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(ग) क्या उनमें ए० एम० ई० के किन्हीं अधिकारियों के मामले भी शामिल हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 27.

(ख) और (ग). कोई नहीं ।

राज्यों से खरीदे गये औद्योगिक सामान का मूल्य

7402. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1965 से 1968 तक की अवधि में प्रत्येक राज्य से प्रतिवर्ष कितने मूल्य का औद्योगिक सामान खरीदा गया ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रतिरक्षा अधिकारियों द्वारा की गई स्थानीय माल की खरीद के अतिरिक्त प्रतिरक्षा की आवश्यकता के लिए खरीदारी केन्द्रीय क्रय संगठन अर्थात् पूर्ति तथा निपटान के महानिदेशालय द्वारा की जाती है । प्रतिरक्षा मांग-पत्रों के आधार पर की गई खरीदारी के आंकड़े नहीं रखे जाते । चूंकि प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक अधिकारियों द्वारा विभिन्न वस्तुएं खरीदी जाती हैं इसलिए 1965 से 1968 तक की अवधि में विभिन्न राज्यों से औद्योगिक उत्पादन की खरीदारी से सम्बन्धित वर्षवार आंकड़ों को एकत्र करने में परिश्रम अधिक होगा और उनसे लाभ कम होगा ।

मिस्टर रसेल बराइन्स की पुस्तक 'दि इन्डो-पाकिस्तान कनफ्लिक्ट'

7403. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान मि० रसेल बराइन्स की 'दि इन्डो-पाकिस्तान कनफ्लिक्ट' और विशेषकर इसके इस निष्कर्ष की ओर दिलाया गया है कि मास्को एक शक्तिशाली अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित देश होने के नाते युद्धकारी दोनों देशों को हथियारों की सप्लाई को नियमित करके नई दिल्ली से अपना कहना पूर्णरूप से मनवा सकता है;

(ख) पिछले बारह महीनों में साम्यवादी तथा लोकतंत्रात्मक देशों से क्रमश: संयंत्रों और कारखानों के लिए पुर्जों सहित कितने मूल्य के हथियार मंगाये गये; और

(ग) चूंकि भारत अपने लिए हथियार बना सकता है तो इसके क्या कारण हैं कि इसने संयुक्त राष्ट्र में इस बात पर क्यों जोर नहीं दिया कि हथियारों के निर्यात पर रोक लगाई जाये क्योंकि ऐसा करना युद्ध समाप्त करने के संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल उद्देश्य के अनुसार होता ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार ने उक्त प्रकाशन को देखा है ।

(ख) गत 12 महीनों में आयात किये गये हथियारों और उपकरणों का मूल्य बताना लोकहित के विरुद्ध होगा ।

(ग) भारत संयुक्त राष्ट्र-संघ में किसी भी ऐसे प्रस्ताव का समर्थन करता रहा है और करता रहेगा जो भेदभाव पर आधारित न होते हुए निःशस्त्रीकरण की दिशा में योगदान देगा और हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए घातक सिद्ध न होते हुए विश्व शान्ति के मार्ग को प्रशस्त करने में सहायक सिद्ध होगा ।

Development of a Cantonment in Central India

7404. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government are proposing to develop a big Cantonment in the dacoit infested areas of Central India ;

(b) whether Government's attention has been drawn to the fact that the creation of a major cantonment would lead to encouraging the local people and a new fearless township could be developed along the banks of chambal ; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (c). The location of troops depends largely on strategic, operational and training requirements. There is no proposal at present under the consideration of Government to establish a new Cantonment along the banks of Chambal.

त्रिपुरा में चाय उद्योग

7405. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में चाय उद्योग को होने वाली कठिनाइयों का त्रिपुरा सरकार के उद्योग निदेशक द्वारा किये गये सर्वेक्षण संबंधी प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उद्योग की कठिनाइयों को दूर करने के लिये केन्द्रीय राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) 1967-68 और 1968-69 में त्रिपुरा में चाय का कितना उत्पादन हुआ और त्रिपुरा की चौथी पंचवर्षीय योजना में इसका क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) सरकार को इस रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) वर्ष 1967-68 में त्रिपुरा में 25.3 लाख किग्रा चाय का उत्पादन हुआ । वर्ष 1968-69 के लिये उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । चौथी पंचवर्षीय योजना में त्रिपुरा में चाय के उत्पादन के लिये 30 लाख किग्रा का लक्ष्य रखा गया है ।

त्रिपुरा में दस्तकारी उद्योग

7406. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शामिल तथा कार्यान्वित किये जाने के लिये त्रिपुरा में दस्तकारी उद्योग के विकास के लिये कितनी धनराशि का उपबंध करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या उसे मंजूर कर दिया गया है और यदि नहीं, तो उसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी कटौती की गई है; और

(ग) इस कार्यक्रम का अन्य ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) त्रिपुरा प्रशासन द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये हस्तशिल्प उद्योग के लिये 7.94 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया था ।

(ख) केवल 1.94 लाख रुपये की कटौती करके 6 लाख रुपये के परिव्यय की मंजूरी दी गई है । कटौती करते समय योजना आयोग ने कहा कि पूंजीगत व्यय, अर्थात् भवन आदि, का परिहार किया जाना चाहिये ।

(ग) चौथी योजना में हस्तशिल्पों के विकास के लिये निम्नलिखित योजनाओं का प्रस्ताव रखा गया है :—

(1) तीसरी योजना के दौरान खोले गये विद्यमान डिजाइन केन्द्र के कार्यकलापों के विस्तार, कारीगरों में वितरण के लिये हस्तशिल्प उद्योग की विभिन्न शाखाओं हेतु डिजाइन तैयार करने के लिये उस केन्द्र का विस्तार;

(2) मूलत: विभागीय रूप में चलाये जाने वाले हस्तशिल्प उत्पादन केन्द्र का, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अतिरिक्त पर्यवेक्षक अमला तथा कुशल कारीगरों की नियुक्ति करके और भी विस्तार करने का भी विचार है;

(3) कारीगरों को रियायती मूल्यों पर बेहतर औजार तथा उपकरण देकर हस्तशिल्प के माल के उत्पादन के परिमाण में वृद्धि तथा गुण में सुधार करना;

(4) कारीगरों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम :—

(क) चुने हुए प्रशिक्षणार्थियों को त्रिपुरा से बाहर अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड तथा अन्य राज्य सरकारों द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थाओं में भेजना;

(ख) प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण की अवधि में यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देना;

(ग) प्रशिक्षण से वापिस लौटने पर या तो उन्हें विभागीय रूप में चलाये जाने वाले उत्पादन केन्द्रों में रखा जायेगा अथवा उन्हें अपने उत्पादन कार्यक्रम शुरू करने के लिये रियायती दरों पर बेहतर उपकरण दिये जायेंगे;

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में शिल्पों के लिये एक संग्रहालय की स्थापना।

कोयम्बटूर में कपड़ा मिलें

7407. **श्री स० कुन्दू** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय से कोयम्बटूर में अनेक कपड़ा मिलें बन्द हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कोयम्बटूर में कपड़ा मिलों के बन्द होने के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए कोई समिति स्थापित की गई थी, और यदि हां, तो क्या उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(घ) इन बन्द मिलों को चालू करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) कोयम्बटूर में फरवरी, 1969 के अन्त में वित्तीय कठिनाइयों, अलाभप्रद कार्य-प्रणाली, स्टाक के जमा होने तथा मजदूरों द्वारा हड़ताल के कारण 18 कपड़ा मिलें बन्द पड़ी थीं।

(ग) तथा (घ). कोयम्बटूर में 13 मिलों के मामलों की जांच करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत जांच समितियों की नियुक्ति की गई है जिनमें से 9 मिलों के सम्बन्ध में रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं और उन पर विचार किया जा रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय ने एक मिल को समाप्त करने का आदेश दिया है। शेष चार मिलों के मामले राज्य सरकार के परामर्श से विचाराधीन हैं।

दिल्ली में तैनात वायुसेना के अधिकारी

7408. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुसेना के कितने अधिकारी दिल्ली में तैनात हैं ;

(ख) वे दिल्ली में कब से तैनात हैं ;

(ग) उनकी दिल्ली में तैनाती की अवधि क्या है ;

(घ) क्या एक क्षेत्र में उनकी तैनाती की अवधि से अधिक समय से वे दिल्ली में हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनके निरन्तर दिल्ली में रहने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 865।

(ख)	पांच वर्ष से कम	.. ..	837
	पांच वर्ष से अधिक	.. ..	28
(ग)	पांच वर्ष से कम	.. ..	722
	पांच वर्ष से अधिक	.. ..	143

(घ) और (ङ). तैनाती की अवधि नियुक्ति के आधार पर निश्चित की जाती है, क्षेत्र या स्थान के आधार पर नहीं। उन स्टेशनों और एककों के बारे में अपवाद अवश्य है जहां रिहायश सम्बन्धी सामान्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होतीं। ये स्टेशन/एकक अधिकांश में युद्ध क्षेत्र में होती हैं जहां सैनिक कर्मचारियों को युद्ध की परिस्थितियों में रहना पड़ता है।

सामान्यत: एक अधिकारी की अवधि 3 वर्ष के लिये होती है जिसमें एक या दो साल की वृद्धि की जा सकती है। यदि किसी अधिकारी को किसी विशिष्ट कार्य के लिये प्रशिक्षण दिया गया है तो उसकी नियुक्ति लम्बे समय के लिये की जा सकती है ताकि सेना उसके प्रशिक्षण और अनुभव से अधिकाधिक लाभ उठा सके।

रिगों का आयात

7409. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी रिगों का आयात करने से पहले राज्यों को स्वदेशी रिग खरीदने के लिये बाध्य किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो शर्तों का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या तथाकथित स्वदेशी रिग निर्माता भी रिग बनाने के लिये विदेशी मुद्रा चाहते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसका मूल्य क्या है और इन्हें देश में निर्मित रिग क्यों कहा जाता है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). ऐसे प्रत्येक ड्रिलिंग रिग के लिये, जिसके लिये राज्य सरकारों को आयात लाइसेंस दिया जाता है, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे एक स्वदेशी ड्रिलिंग रिग के लिये क्रयादेश दें जिससे कि स्वदेशी क्षमता का उपयोग सुनिश्चित रहे ।

(ग) और (घ). स्वदेशी ड्रिलिंग रिगों में आयातित अंग बहुत कम होता है और उसमें उत्तरोत्तर कमी की जा रही है ।

चूंकि इन रिगों में आयातित अंश बहुत थोड़ा होता है अतः उन्हें स्वदेशी निर्मित रिग कहना उपयुक्त ही है ।

विद्युतचालित करघों द्वारा रंगीन कपड़े के बनाने पर प्रतिबन्ध

7410. **श्री ज० मं० कहानडोल** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा आयुक्त ने विद्युतचालित करघों द्वारा रंगीन कपड़ा बनाने पर प्रतिबन्ध लगाने के आदेश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या केवल हथकरघों के उत्पादन से देश की रंगीन कपड़े सम्बन्धी मांग को पूरा नहीं किया जा सकता ;

(ग) क्या सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र के हथकरघे प्रतिवर्ष केवल 160 करोड़ गज कपड़ा तैयार कर सकते हैं ;

(घ) क्या इस प्रतिबन्ध से अल्पसंख्यकों धर्मावलम्बियों पर जो पर्याप्त संख्या में विद्युत-चालित करघों के मालिक हैं और उन्हें चलाते हैं, में बेरोजगारी फैलेगी ;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विद्युतचालित करघों पर प्रतिबन्ध से महाराष्ट्र में मालेगांव, येडा, धुलिया और संगमनेर तथा मध्य प्रदेश में बरहामपुर और जबलपुर केन्द्रों में बेरोज़गारी फैलेगी और तनाव उत्पन्न होने की आशंका है ; और

(च) यदि हां, तो अशोक मेहता और कानूनगो समितियों द्वारा की गई विद्युतचालित क्षेत्र में पूंजी विनियोजन बढ़ाने जैसी सिफारिशों को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं। आदेशों में केवल विद्युतचालित करघों द्वारा रंगीन साड़ियों के उत्पादन पर रोक लगाई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं । हथकरघों का उत्पादन अनुमानतः 210 करोड़ मीटर है ।

(घ) तथा (ङ). जी नहीं । जो विद्युतचालित करघे रंगीन साड़ियां तैयार कर रहे हैं वे उनकी बजाय कपड़े की अन्य किस्मों का उत्पादन आरम्भ कर सकते हैं । यह भी सुनिश्चित

किया गया है कि अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार रंगीन साड़ियों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध को तीन वर्षों की अवधि के भीतर क्रमिक रूप से लागू किया जा रहा है।

(च) कानूनगो समिति, जिसने 1954 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, की सिफारिश के अनुसार हथकरघों को क्रमानुसार विद्युतचालित करघों में बदलना सुकर बनाने के लिये कार्यवाही की गई थी। विद्युतचालित करघा क्षेत्र में अपेक्षित पूंजीगत लागत से सम्बन्धित अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार कर लिया है और वे राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं।

साम्यवादी चीन में भारतीय

7411. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय साम्यवादी चीन में भारतीय नागरिक हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ; और

(ग) उनमें से पृथक-पृथक कितने चीन सरकार और अन्य विदेशी सरकारों के लिये कार्य कर रहे हैं और वे किन पदों पर हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पीकिंग स्थित भारतीय राजदूतावास में 41 वयस्क भारतीय तथा 19 बच्चे हैं। इसके अतिरिक्त, अभी वहां 4 भारतीय राष्ट्रिक हैं और उनमें दो की चीनी पत्नियों के पास भारतीय पारपत्र हैं।

(ग) उनमें से कोई भी चीनी सरकार या किसी अन्य विदेशी सरकार के कर्मचारी नहीं हैं।

1968 में अणु कार्य में हुई प्रगति

7412. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967 की तुलना में 1968 में भारत ने अणु कार्य में विशेष प्रगति की है ;

(ख) यदि हां, तो सिविल तथा प्रतिरक्षा की दृष्टि से उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा वर्ष 1968-69 में किये गये कार्यों को प्रदर्शित करने

वाला विभाग का वार्षिक विवरण हाल ही में प्रसारित किया जा चुका है तथा उसकी प्रतियां सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रुपये में भुगतान के करारों वाले देशों द्वारा आयात

7413. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन विभिन्न देशों, जिनके साथ हमने रुपये में भुगतान सम्बन्धी करार किये हुए हैं ; की आयात आवश्यकता का वास्तविक अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ; और यदि नहीं तो यह अनुमान कब लगाया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). जिन देशों के साथ भारत ने रुपये में भुगतान सम्बन्धी करार किये हुए हैं उनके साथ आवधिक व्यापार वार्ताओं से, उन देशों को भारत की निर्यात सम्भाव्यताओं के सन्दर्भ में उनकी आयात आवश्यकताओं का आकलन लगाने का अवसर मिलता है ।

रूस से उर्वरकों का आयात

7414. **श्री नि० रं० लास्कर** :
श्री रा० बरुआ :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को रूसी उर्वरक सप्लाई करने के लिए भारत और रूस के बीच एक करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) रूस द्वारा कुल कितने मूल्य का उर्वरक सप्लाई किया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां । उर्वरकों को उस माल की सूची में सम्मिलित किया गया है जिनकी 1969 में भारत को पूर्ति करने पर सोवियत रूस सहमत हुआ है ।

(ख) उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० ने 1969-70 के दौरान 190,000 मे० टन अमोनियम सल्फेट तथा 60,000 मे० टन यूरिया की खरीद के लिए 5 अप्रैल, 1969 को मैसर्स सोयुजप्रोमएक्सपोर्ट, मास्को के साथ एक संविदा की है जिसका

भुगतान दिनांक 10-6-1963 के द्विपक्षीय व्यापार तथा भुगतान करार के अनुसार भारतीय रुपये में किया जायेगा। इस संविदा के आधार पर पूर्ति जून, 1969 में आरम्भ होगी और मार्च, 1970 में पूरी हो जायेगी।

30,000 मे० टन म्यूरियेट आफ पोटाश की पूर्ति के लिए बातचीत चल रही है।

(ग) उर्वरकों का कुल मूल्य लगभग 11 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है।

भारत में निर्मित प्रथम अवकाट टैंकर

7415. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रा० बरुआ :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मजगांव डाक लिमिटेड द्वारा निर्मित प्रथम भारतीय अवकाट टैंकर का जलावतरण हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितना धन व्यय हुआ है ; और

(ग) यह प्रतिरक्षा कार्यों के लिये नौसेना के लिए कहां तक उपयोगी सिद्ध होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां। अवकाट नामक टैंकर जो मजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई में भारत में पहली बार बनाया जा रहा था, 5 अप्रैल 1969 को पानी में उतारा गया।

(ख) अवकाट टैंकर की कीमत लगभग 30.11 लाख रुपये होने का अनुमान है।

(ग) अवकाट टैंकर से विमान वाहक (एयरक्राफ्ट कैरियर) को बहुत अधिक सहायता मिलेगी क्योंकि भारत के किसी भी बन्दरगाह से इससे विमान इंधन ले सकेगा।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों की समस्या

7416. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री अदिचन :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत मूलक 50 लाख व्यक्तियों की समस्या पर, जो एशिया तथा अफ्रीका के विभिन्न देशों में रहते हैं, अप्रैल, 1969 में नई दिल्ली में हुई चार दिवसीय गोष्ठी में विचार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी में क्या सुझाव दिये गये थे ;

(ग) क्या भारत सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस विचार गोष्ठी के संयोजकों से, सरकारी रिकार्ड प्राप्त करने की सरकार प्रतीक्षा कर रही है ।

(ग) और (घ). सरकार यह चाहती है कि वह इन सभी सुझावों पर गम्भीरता से विचार करे ।

आयुध डिपू को घटिया किस्म के साबुन के डण्डों का सप्लाई किया जाना

7417. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक गैर-सरकारी फर्म द्वारा एक आयुद्ध डिपू को घटिया किस्म के साबुन के डण्डे सप्लाई किये जाने के कारण सरकार को 6.59 लाख रुपये की हानि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सौदे के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) क्या यह सच है कि एक गैर सरकारी फर्म ने एक आयुध डिपू को घटिया किस्म के साबुन के डण्डे दिये थे जिससे सरकार को हानि हुई थी । कितना घाटा हुआ इसका अनुमान अभी लगाया जा रहा है ।

(ख) विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, जिसने 24-10-1968 को निरीक्षक और स्वीकार कुर्त्ता अधिकारी तथा साबुन सप्लाई करने वाली फर्म के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच दर्ज की थी, इस मामले में जांच कर रही हैं । उसके निष्कर्षों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

भारतीय लड़की का इंग्लैंड में प्रवेश

7418. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1969 में लंदन में अप्रवास अधिकारियों ने किसी भारतीय लड़की को प्रवेश नहीं करने दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले में कोई छानबीन की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (घ). एक विवाहिता भारतीय लड़की जो 8 मार्च, 1969 को अपने पति के पास जाने के लिये लंदन के हवाई अड्डे पर पहुंची थी, उसे हवाई अड्डे पर तथा नजदीक के होटल में जांच के लिये लगभग 11 दिनों तक रोक रखा गया था। उसने और उसके पति ने विभिन्न प्रकार के तथा कभी कभी परस्पर विरोधी विवरण ब्रिटिश उत्प्रवास अधिकारियों को दिये। लंदन स्थित हमारे हाई कमीशन और उत्प्रवास कल्याण की संयुक्त परिषद द्वारा हस्तक्षेप किये जाने और उसकी वास्तविकता प्रमाणित हो जाने पर बाद में ब्रिटिश अधिकारियों ने उसे यूनाइटेड किंगडम में ठहरने के लिये अनुमति दे दी।

17 मार्च, 1969 को पाटन में भारत-विरोधी प्रदर्शन

7419. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 मार्च, 1969 को काठमाण्डू के निकट एक एक छोटे कस्बे पाटन में भारत-विरोधी प्रदर्शन हुआ था ;

(ख) क्या सरकार को भारतीय उच्च आयोग से इस बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या ; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (घ). 8 और 17 मार्च को पाटन में छोटे से कथित प्रदर्शन में कुछ ही लोगों ने हिस्सा लिया था। भारत सरकार को सूचित किया गया है कि नेपाल के प्रधान मंत्री ने नेपाली राष्ट्रीय पंचायत में इस विषय से सम्बन्धित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि इसमें कुछ ही लोग शामिल हुए थे और नेपाल सरकार ने कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने तथा अवांछनीय घटनाओं को रोकने के लिये सभी सम्भव उपाय बरते हैं। इस बयान को ध्यान में रखते हुए आगे कोई कार्रवाई करना आवश्यक नहीं समझा गया।

Construction of New Roads for Strengthening Indo-China Border

7421. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether, with a view to strengthening the Indo-China border, new roads have been constructed for transporting the defence material to the border as a measure of defence strategy ;

(b) if so, the details of the new roads constructed ;

(c) whether Government have any plan to construct some new roads ; and

(d) if so, the details of the plan and the date by which such roads are likely to be constructed ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) and (b). The immediate programme of the Border Roads Development Board includes the construction of about 6900 Km (4310 miles) of new roads and improvement of about 4700 Km (2,930 miles) of the existing roads. They are used by the Defence Services for transportation of men and materials to the forward areas. About 5,035 Km (3,147 miles) of new roads (of width varying from 8 to 20 ft.) have been constructed up to the end of February 1969.

(c) and (d). The programme of the Board is reviewed periodically keeping in view **inter alia** the priority needs of defence and development. It is not feasible to forecast the additions of new roads or the likely dates of their completion.

एम० ई० एस० में स्नातक इन्जीनियरों के लिए पदोन्नति के अवसर

7422. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एम० ई० एस० में सुपरिटेन्डेन्ट (भवन तथा सड़कें) इलैक्ट्रिकल तथा मेकेनिकल ग्रेड प्रथम पर पांच वर्ष से अधिक की सेवा की पूरी कर लेने वाले 500 से अधिक स्नातक इन्जीनियरों के लिए पदोन्नति के कोई अवसर नहीं है ;

(ख) क्या सरकार को उनसे उनकी शिकायतों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) उन स्नातक इन्जीनियरों की संख्या 434 है जो एम० ई० एस० में अधीक्षक (भवन तथा सड़क) इलैक्ट्रीकल तथा मैकेनिकल ग्रेड प्रथम के पद पर पांच वर्ष से अधिक सेवा कर चुके हैं । यह कहना गलत है कि उनके लिए पदोन्नति के अवसर नहीं है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) उनकी पदोन्नति की सम्भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्य हाल ही में किये गये हैं :

(एक) अधीक्षक ग्रेड प्रथम के पद से असिसटैंट एवजीक्यूटिव इन्जीनियर ग्रेड के पदों पर पदोन्नति की प्रतिशतता पहले 10 थी जो अब बढ़ाकर 25 कर दी गई है ; और

(दो) वे स्नातक इंजीनियर जो अधीक्षक ग्रेड प्रथम के पद पर पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें असिसटैंट एक्जिक्यूटिव इंजीनियर के पद पर पदोन्नति के लिये योग्य समझ लिया गया है ।

महाराष्ट्र में व्यक्तियों को कारों का बेचा जाना

7423. **श्री जुगल मंडल** : क्या **वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1967 से अब तक महाराष्ट्र में जिन व्यक्तियों ने आयातित कारें खरीदी हैं उनके नाम क्या हैं और ये कारें किस उद्देश्य हेतु खरीदी गई हैं और प्रत्येक कार का कितना मूल्य दिया गया है ; और

(ख) क्या यह जानने का कोई प्रयास किया गया है कि इन कारों को उसी उद्देश्य हेतु प्रयोग किया जा रहा है जिसके लिये इनको खरीदा गया था ?

वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रधानमंत्री के साथ विदेशों की यात्रा पर जाने वाले गैर-सरकारी व्यक्ति

7424. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 9 अप्रैल 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5747 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रधान मंत्री के साथ विदेशों की यात्रा पर जाने वाले उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जो नियमित रूप से सरकारी कर्मचारी नहीं हैं ;

(ख) उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को किन विशिष्ट उद्देश्यों तथा कर्तव्यों हेतु साथ जाने को कहा गया था ; और

(ग) उन पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). विवरण में सम्बद्ध सूचना दी गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०868 /69**]

Supply of Patton Tanks to Pakistan through Turkey

7425. **Shri Shashi Bhushan:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the reports regarding NATO having agreed to supply nearly 1100 Patton tanks to Pakistan through Turkey ;

(b) whether Government are aware that these tanks would be supplied to Pakistan in two instalments of 600 and 500 each as reported ; and

(c) the reaction of Government in this regard and its likely impact on India's defence ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Government have seen one such report.

(b) According to Government's information, there is no truth in this report.

(c) Does not arise.

चीते की खाल का निर्यात

7426. **श्री शशि भूषण** : क्या **वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीते की खाल का निर्यात करने के लिये लाइसेंस जारी करने का निर्णय किया गया है क्योंकि देश में वन जीवों के संरक्षण के लिये इसके निर्यात पर रोक लगी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी खालों के निर्यात की अनुमति दी गयी है और किन पार्टियों को लाइसेंस जारी किये गये हैं ; और

(ग) क्या निर्यात व्यापार नियंत्रण हस्त पुस्तिका में निर्धारित नीति का उल्लंघन करके ये लाइसेंस जारी किये गये हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). जी नहीं। रोक लगाने से पूर्व की केवल उन्हीं वचनवद्धताओं को पूरा करने की अनुमति दी गई है जिनके लिये निर्यात-व्यापार नियंत्रण क्रियाविधि के अनुसार रोक लगाने से पूर्व निर्यातकों द्वारा विदेशी खरीदारों के साथ अटल बचनबद्धताएं की गई थीं।

(ग) जी नहीं।

भारतीय सूचना अधिकारियों आदि के बारे में पिल्ले समिति का प्रतिवेदन

7427. **श्री स० कुण्डू** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सूचना अधिकारियों तथा जनसम्पर्क अधिकारियों के बारे में एन० आर० पिल्ले समिति की सिफारिशों की जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय विदेश सेवा समिति ने इस बात की सिफारिश की है कि भारतीय सूचना सेवा के जो अधिकारी योग्य पाये जायें, उन्हें भारतीय विदेश सेवा में ले लिया जाय और बाकी अधिकारियों को, भारतीय विदेश सेवा (ख) के उपयुक्त वर्गों में जाने का विकल्प दिया जाये। सम्बद्ध सांविधिक नियमों में संशोधन किया गया है और ऐसे उपाय किये जा रहे हैं, जिनसे भारतीय विदेश सेवा में उपयुक्त और योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति को अन्तिम रूप दे दिया जाये। भारतीय सूचना सेवा के बाकी अधिकारियों को भारतीय विदेश सेवा (ख) में ग्रहण कर लिये जाने का विकल्प देने से सम्बद्ध प्रश्न विचाराधीन है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

काश्मीर में उप-चुनाव

अध्यक्ष महोदय : श्री नाथ पाई ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मुझे खेद है कि आप ने श्री नाथ पाई को यह प्रश्न उठाने की अनुमति दी है । मैं महसूस करता हूं कि प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में मूलरूप से ऐसे प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं है विशेषकर जबकि इसमें औचित्य के कुछ अन्य प्रश्न भी अन्तर्गस्त हैं । यह सामान्य बात है कि सभा में ऐसे मामले नहीं उठाये जाने चाहिये जिनका भारत सरकार से भी मुख्यरूप से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह ठीक है कि जहां तक चुनाव का सम्बन्ध है समवर्ती सूची में दोनों राज्य तथा केन्द्र सरकार को यह मामले उठाने का अधिकार है । हमारे संविधान में जम्मू और काश्मीर राज्य को एक विशेष रुतवा दे रखा है और आज-कल केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्ध नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और उनपर प्रायः चर्चा होती रहती है यही कारण है जिससे मैं महसूस करता हूं कि एक ऐसे समय में एक नाजुक मामले पर चर्चा की अनुमति देने से न केवल कुछ हद तक नियमों का उल्लंघन होगा परन्तु आज-कल की राजनैतिक स्थिति की भी अवहेलना होगी । अतः मैं चाहता हूं कि आप इस मामले पर सदा के लिये विचार करके अपना निर्णय दे दें ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर बहुत समय से चर्चा करते आ रहे हैं ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : It is good that you have admitted the Calling Attention Notice of Shri Nath Pai.

So far as the question of holding the elections is concerned it is the responsibility of Election Commission and Central Government. Election Commission enquired from the leaders of some Organisations whether they are prepared to take the oath of allegiance to constitution ? It is not good of holding such talks. You may also add my name with Shri Nath Pai if there is no objection.

श्री ही० ना० मुकर्जी : अभी-अभी जो कुछ कहा गया है उसको देखते हुये मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें ऐसी बातों में नहीं पड़ना चाहिये क्योंकि चुनाव आयोग इस मामले में सम्पर्क बनाये हुये हैं और पूरी तरह जांच करने के बाद वह सरकार को अपना प्रतिवेदन देगा और उस पर संसद् में चर्चा होगी और सारा मामला अभी निलम्बित है ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर और चर्चा की आवश्यकता नहीं है । मुझे माननीय सदस्यों से इस मामले पर कोई प्रकाश नहीं डलवान है । जहां जो कुछ होता है उससे हम सब लोग परिचित हैं । हम इस समय में चुनाव के प्रश्न पर चर्चा करते रहे हैं । काश्मीर के चुनाव पर की इस सभा में चर्चा हुई है । इस सूचना को स्वीकार कर लिया गया है और माननीय मंत्री इसका उत्तर देंगे ।

यदि माननीय सदस्य भविष्य में किसी मामले पर प्रकाश डालना चाहें तो वे मुझे मेरे चैम्बर में मिल सकते हैं। श्री मधुलिमये का नाम आज आया है जबकि सूचना कल मिली थी।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि चुनाव आयोग के काम अथवा अन्य बातों पर इस सभा में चर्चा की जाये। परन्तु इस सूचना का सम्बन्ध काश्मीर में काश्मीर सरकार द्वारा सरकारी साधनों के प्रयोग के बारे में है। इस प्रश्न को इस सभा में कैसे उठाया जा सकता है। इसका साबूत क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को इससे इन्कार करने दीजिये।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : जब आप श्री मुकर्जी को अपने चैम्बर में बुलायें तो मुझे भी याद रखें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि सभी नेता—न केवल मुकर्जी।

श्री नाथ पाई : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर विधि तथा समाज-कल्याण मंत्री का ध्यान दिलाता हूं तथा अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"काश्मीर में आगामी उप-निर्वाचनों में कांग्रेसी उम्मीदवारों के हित के लिये काश्मीर सरकार द्वारा सरकारी मशीनरी का उपयोग किये जाने का समाचार।"

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : नेशनल कांफ्रेस के चेयरमैन श्री शामलाल सर्राफ की तार को छोड़कर चुनाव आयोग को कश्मीर घाटी में आगामी उप-चुनावों में कांग्रेसी उम्मीदवारों के नाम के लिये सरकारी मशीनरी का प्रयोग किये जाने के बारे में अन्य कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तार में, जो कि एक आम तरह की है, कोई ठोस तथा विशेष उदाहरण नहीं दिये गये हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कश्मीर सरकार के मुख्य सचिव से टेलीफोन पर बातचीत की है और उनसे इस शिकायत की जांच कराने का अनुरोध भी किया है। जम्मू और कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी से भी इस शिकायत के बारे में जांच कराने का अनुरोध किया गया है। उनको प्रतिवेदन भेजने के लिए भी कहा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कश्मीर सरकार के मुख्य सचिव पर इस बात के लिए भी जोर दिया है कि वह इस बात का ध्यान रखें कि उम्मीदवारों के पक्ष में किसी प्रकार भी अथवा किसी रूप में भी सरकारी साधनों का प्रयोग न हो। आयोग का एक वरिष्ठ अधिकारी आज श्री नगर जा रहा है और उप-चुनाओं के समाप्त होने तक वह वहां पर रहेगा, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के जरिये चुनाव से सम्बन्धित सभी चुनाव अधिकारियों पर इस बात का जोर डाला गया है कि वे उप-चुनाव में कठोरता से गैर-पक्षपातपूर्ण रवैया अपनायें। अन्य सख्त कार्यवाही की जायेगी और दोषी अधिकारी के साथ सख्ती से पेश आया जायेगा।

श्री नाथ पाई : मैं माननीय मंत्री के वक्तव्य के अन्तिम भाग का स्वागत करता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि 'अन्यथा कठोर कार्यवाही की जायेगी और दोषी अधिकारी से सख्ती से पेश आया जायेगा।'

अपने तार में श्री शामलाल सर्राफ ने लिखा है कि 25, 26 और 29 अप्रैल, को होने वाले उप-चुनावों में सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवारों के पक्ष में सरकारी साधनों का निर्बाध रूप से प्रयोग किया जा रहा है। सरकार का सूचना तथा प्रचार विभाग उनके पक्ष में प्रचार कर रहा है। अनेक अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। धन बांटा जा रहा है और मतों को प्राप्त करने के लिये ठेकेदारों को ठेके दिये जा रहे हैं। सरकारी अभिकरणों तथा मंत्रियों द्वारा सरकारी दल के उम्मीदवारों के लिये समर्थन प्राप्ति करने हेतु सभी प्रकार के आश्वासन दिये गये हैं।

माननीय मंत्री ने पहले तो यह कहा है कि कोई शिकायत नहीं आई है और फिर कहा है कि कोई ठोस मामला नहीं है। जब वे जानते हैं कि सभी स्थानों पर यही कुछ हो रहा है तो ठोस उदाहरण देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सभा उन सभी तथ्यों से परिचित है जिस प्रकार 1967 में वर्तमान सरकार द्वारा भारतीय संविधान की पवित्रता के उल्लंघन में कश्मीर में चुनाव कराये गये थे। घाटी में 42 में से 22 उम्मीदवारों को मामूली आधारों पर रद्द कर दिया गया था। उप-चुनाव भी इसी कारण कराये जा रहे हैं क्योंकि उच्च न्यायालय ने इन चुनावों को अवैध घोषित कर दिया है। तब भी कदाचार किये गये थे और वही कदाचार अब भी किये जा रहे हैं। स्वयं प्रधान मंत्री को इस मामले में रुचि लेनी चाहिए। दलगत हित से देश के हित को ऊपर रखा जाना चाहिए। लोक तंत्र के कारण ही कश्मीर के लोग भारत के साथ रहने पर सहमत हुये थे। परन्तु अब वहां के लोगों में असंतोष है परन्तु यह असंतोष भारत के विरुद्ध नहीं अपितु वहां पर चल रहे कदाचारों के विरुद्ध है।

भारत के अन्य लोगों की तरह कश्मीर के लोगों को भी सरकार को बदलने की जिम्मेदारी सहित अपनी सरकार का चयन करने की स्वतंत्रता तथा विशेषाधिकार दिया जाना चाहिए। यदि कश्मीर के लोगों को यह महसूस हो कि वे अवांछित सरकार को बदल सकते हैं तो पाकिस्तानी प्रभाव उसके विचारों में परिवर्तन नहीं कर सकता है।

माननीय मंत्री ने कहा है कि मुख्य सचिव को इसकी जांच करने के लिये कहा है परन्तु मुख्य चुनाव आयुक्त स्वयं वहां पर उपस्थित क्यों नहीं रहते। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि एक वरिष्ठ अधिकारी वहां पर जा रहा है। एक अनुभाग अधिकारी अथवा बूढ़ा व्यक्ति भी वरिष्ठ अधिकारी हो सकता है। मैं चाहता हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त स्वयं अथवा उनके रुतबे का कोई व्यक्ति वहां पर जाये। इन शिकायतों की तुरन्त जांच कराई जानी चाहिए और मतदाताओं को यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष तथा उचित रूप से होंगे।

श्री गोविन्द मेनन : वरिष्ठ अधिकारी एक बूढ़ा व्यक्ति नहीं बल्कि चुनाव आयोग का एक सचिव श्री राजगोपालन वहां पर मामले का अध्ययन करने जा रहा है।

श्री नाथपाई : स्वयं मुख्य चुनाव आयुक्त वहां पर क्यों नहीं जाते ? लगाये गये गम्भीर आरोपों को देखते हुए स्वयं मुख्य चुनाव आयुक्त को वहां पर जाना चाहिये और लोगों में विश्वास उत्पन्न करना चाहिए।

श्री गोविन्द मेनन : मुख्य चुनाव आयुक्त ने जिन पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, एक वरिष्ठ अधिकारी को वहां पर भेजने के लिये चुना है। मुख्य चुनाव आयुक्त को निदेश नहीं दे सकता।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

कोयला खान (संशोधन) विनियम, 1969

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं खान अधिनियम, 1962 की धारा 59 की उप-धारा (1) के अधीन कोयला खान (संशोधन) विनियम 1969 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 12 अप्रैल, 1969 के भारत के राज-पत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 945 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 946 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 859/69**]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
48वां प्रतिवेदन
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 48वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अनुदानों की मांगें
DEMANDS FOR GRANTS
श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी ने समय बढ़ाने का सुझाव दिया है। मैं आधा घण्टा अथवा कुछ मिनट के लिए समय में वृद्धि कर सकता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हम रात को सात बजे बैठने के लिए तैयार हैं। मंत्री महोदय चर्चा का उत्तर कल दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कुछ माननीय सदस्यों ने इस पर आपत्ति की है। अतः समय को केवल कार्य मंत्रणा समिति ही बढ़ा सकती है क्योंकि वही समय निर्धारित भी करती है। परन्तु मैं तो केवल आधा घण्टा ही समय बढ़ा सकता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री सांय पांच बजे उत्तर दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमें श्री बनर्जी के सुझाव को स्वीकार कर लेना चाहिए। मंत्री महोदय सांय पांच बजे चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री पी० एम० मेहता (भाव नगर) : कल मैं पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के बारे में बोल रहा था। सरकार ने मजदूरों को लाभ पहुंचाने के लिए जो उपाय किये हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। मंत्रालय ने सितम्बर, 1968 और जनवरी, 1969 में अब विभिन्न योजनाएं प्रकाशित की हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत विशाखापत्तनम तथा कांगला पत्तन के गोदी कर्मचारियों को लाभ होगा। इन योजनाओं से लगभग 7000 मजदूरों को लाभ होगा। रजिस्टर्ड गोदी मजदूरों को अब महीने में 12 दिन गारंटी मुद्रा न्यूनतम मजूरी मिलेगी। एक रुपया अथवा 1.25 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उपस्थिति भत्ता भी उनको मिलेगा। उनको वर्ष में आठ छुट्टियां मिलेंगी और इन छुट्टियों के लिए उनको वेतन भी दिया जायेगा। भविष्य निधि, उपदान, चिकित्सा सहायता तथा मनोरंजन आदि की सुविधाएं भी उनको अब प्राप्त होगीं। अतः मेरे विचार में श्रम मंत्रालय द्वारा गोदी मजदूरों की समस्या पर उचित रूप से विचार किया गया है।

यह ठीक है कि रेलवे कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिये एक स्थायी वार्ता व्यवस्था बना दी गई है परन्तु यह व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। इसमें त्रुटियां हैं। किसी कर्मचारी विशेष की शिकायतों पर चाहे वे सामान्य ही क्यों न हो, विचार नहीं किया जाता। अपीलों में उच्च प्राधिकारी अधिकारियों के विचारों का ही आमतौर पर समर्थन करते हैं और मजदूरों से न्याय नहीं होता। प्रक्रिया के पुराने तरीकों के कारण उनको न्याय से वंचित रखा जाता है। रेलवे को ये पुराने तरीके छोड़ कर औद्योगिक सम्बन्धों के आधुनिक ढंग को स्वीकार कर लेना चाहिए और अनिवार्य मध्यस्थता अथवा न्याय निर्णय के सिद्धान्त को स्वीकार कर लेना चाहिए। उद्योग के इस क्षेत्र में शांति बनाये रखना नितान्त आवश्यक है क्योंकि रेलवे ही हमारी अर्थ व्यवस्था को चलाती है। अतः मुझे आशा है कि रेलवे मंत्री इन बातों को ध्यान में रखते हुए रेलवे कर्मचारियों के लिये एक निष्पक्ष व्यवस्था की स्थापना करेंगे।

लगभग एक वर्ष पूर्व महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड नामक एक कपड़ा मिल बन्द कर दी गई थी। इसके बन्द होने का कारण प्रबन्धकों द्वारा इसका कुप्रबन्ध तथा कदाचार किया जाना था। लगभग 2200 मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई जांच समिति ने बताया है कि महालक्ष्मी मिल्स एक अलाभप्रद एकक है। मिल मालिकों द्वारा मजदूरों की उनकी अर्जित मजूरी तथा भविष्य निधि की राशि भी नहीं दी गई है। स्थानीय 'इन्टक' के प्रयत्नों से मिल में कुछ परिष्करण कार्य आरम्भ कर दिया गया है। अतः मेरा निवेदन है कि मजदूरों के हित के लिए सम्बन्धित मंत्रालय को मिल के निदेशक बोर्ड में सरकार की ओर से एक निदेशक नियुक्त किया जाना चाहिये।

भाव नगर में तावेला कैम्पों में रहने वाले विस्थापितों की सम्पत्ति देने का प्रश्न बहुत समय से चल रहा है। मैं माननीय मंत्री से अपील करूंगा कि इस मामले में और विलम्ब न किया जाए और एक माननीय तथा उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं मांगो का समर्थन करता हूं।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain): I rise to support the demands of the Labour Ministry. I want to draw your attention towards the problems of the workers of the Modi Mills

About seventy thousand people are living in Modi Nagar. But no Municipal Committee has been formed there. The city is quite dirty and during rainy season water accumulates in the streets. Almost every year some people lost their lives in it. The Government should look into this matter.

About 20 to 30 workers are working in the Modi Mills, No Union has been allowed to be formed. If any worker dare to do this Mr. Modi threatens him with dare consequences. Recently a Union was got registered by the workers on the 13 March. But out of the seven members services of the two workers have been terminated by giving due notices and the three workers have been thrown out of employment with verbal notice. Such oppressive measures are being adopted by Shri Modi who have been awarded Padamshri. I shall appeal to the Government to look into these matters.

There is one agency who recruits labourers from Gorakhpur for the coal mines. These labourers are kept in the camps and they are not allowed to move in the Bazars even for their daily needs. No medical aid is provided to these labourers. They get their salary only on return to Gorakhpur after one year of service. They are supplied with a food which even the dog of the hon. Minister will not like to take. I would appeal to the hon. Minister to look into all these matters. They are treated like prisoners. There should be some improvement in their condition.

Now I come to the problem of casual labour. In our country the number of casual labour is more than the number of regular labour. They work in large number in Government undertakings as well as private industries. Such labour worked hard in building the Bhakra Nangal Dam. But now they are being retrenched. Their services are being terminated. They spent a period of 15-20 years while working at this site. Now they should be made regular. Similar is the case with the Dandakaranya project. There services of labour belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are being terminated inspite of the orders of Government not to do so. Last year I pointed out that the percentage of temporary employees in the Labour Ministry is fifty. I am glad that some steps in this direction have been taken. About 20 per cent employees have been made permanent since then. More employees should be made permanent. The Chief Officer of Dandakaranya Project has been working on this post for the last 5 years while he should have been transferred after three years's period according to Rules. This is why he is acting as a dictator there. The labourers working there do not get loans from their provident funds even in case of urgency. This should be looked into.

The textile industry is passing through a crisis all over India and particularly in Madhya Pradesh. Government has taken over the administration of certain sick textile mills and even

then they are not working properly. The industries, which are going to be closed down, should be given to the workers working in them to make them run. Then they will work properly.

Most of the workers live in slums. Some colonies were made for workers under hire-purchase system. In Madhya Pradesh there are a number of such colonies in which workers have been living for the last 15-20 years. But Government still hesitates to give these quarters to their occupants though they have paid the prices of these quarters in form of hire. Decision should be taken soon in this matter.

In my opinion there should be a Commission on permanent basis which may fix time to time the pay of the workers in relation of increasing dearness.

Government should also pay attention to those Indian people who are coming to India leaving their assets in foreign countries under compulsion. Such people should be paid compensation on the lines it was paid to those who came from Pakistan during partition period. In return Government should ask for compensation from the respective countries, if necessary through International Court.

Workers in large number took part in 19th September Strike. Their unions have been derecognized by Government. I make an appeal to the Minister that atleast all the nationalist workers' unions should be restored their recognition. I am surprised to see that the matter of 19th September strike, which constitutes the subject for Labour Ministry, is dealt with by Home Minister Shri Y. B. Chavan. It is due to the fact that Shri Chavan is a strong man while Shri Hathi is a kind-hearted man. Though the orders for restoration of services of strikers have been issued to all the Departments, yet in Ratlam 26 people of a telephone exchange have not been allowed to join their duty. I hope, in the end, Government will pay attention to all the points raised by me.

Shri K. N. Pandey (Padrauna) : Mr. Speaker, first of all I would like to deal with the problem of unemployment. No doubt, it is a very complicated and serious problem. I am unable to understand how the Labour Ministry will find out solution for it. Last year there were about 70 textile mills which were closed down. The Ministry could not help it. If people, who are employed, become unemployed like this, the unemployment problem increases instead of being solved. This problem can easily be solved by setting up small scale and cottage industries. But now there is a change in the mentality of people. They vehemently criticize such schemes like Khadi production under supervision of Khadi Commission. Now they favour automation. They prefer mill production over hand-made things. This is not a good omen. It will further add to the problem of unemployment.

Still we are facing the problem of rehabilitation of refugees from East Pakistan. They are not prepared to do the manual labours. I think they can work in industries like khadi industry. Such industries should be given encouragement and preferably refugees should be employed in them.

The other point I want to emphasize is the increasing tendency for strikes and lock-outs. Since 1967 the figures of man-days lost are on the increase. Moreover, the public sector is going to prove a failure, because there our Government is making experiments and there

are not competent officers to make them run efficiently. First people are recruited for a particular factory or project and thereafter a man-power assessing committee is set up which later on declares some staff surplus. It creates a problem of retrenchment and unemployment. It is also not good.

It is unfortunate that we always put our demands and never think of making efforts to improve the financial condition of our country. Such a tendency is fatal for the development of country. In regard to the strike of September 19, I want to say that Government employees put a demand of need-based wage. We agree with the view that they hold more responsible positions and their salaries should be enough to maintain their status. But unless the standard of general masses does not go up it is foolish to think of need-based wage for a particular class of people. In this connection I want to make an appeal that we should first take into account the condition of all categories of people, the economic condition of the country and then put our reasonable demands. As regards the derecognition of workers' unions there is not any particular law governing recognition. The recognition is governed by the observance of the code of discipline. The recognition of a union should be withdrawn if it does not observe the code of discipline. Government should be strict in this matter to check the tendency of going on strike frequently.

These days trained hands are facing unemployment. It is due to the fact that factories etc. could not be set up in proportion to the number of those given training during a plan-period. We should give training to a number of people actually required for our country's development.

I do not understand the reason why the mill-owners are opposing the Bonus Ordinance. There is a provision that bonus should be given minimum 4 per cent and maximum 20 per cent of what an employee gets annually. The Allahabad High Court gave a decision that it is not mentioned here that even in loss, they will get 4 per cent. The whole thing has come under trouble due to this decision. I mean to say that it is being interpreted in various ways. Government should pay attention to it also.

In the end I thank this Ministry for the step it has taken for the setting up a Labour Commission under the chairmanship of Shri Gajendra Gadkar, the former Chief Justice of India.

अध्यक्ष महोदय : शेष निदर्लीय लोगों को बाद में बोलने का अवसर दिया जाएगा ।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् बजकर पांच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok-Sabha reassembled after Lunch at Five Minutes past Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

आय-व्ययक के तथाकथित समय से पूर्व प्रकट हो जाने के बारे में
RE. ALLEGED LEAKAGE OF THE BUDGET

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, you might be remembering that when I made an allegation about the Budget leakage, then you asked me to give a notice of Motion for it. I gave a notice of Motion. I submitted proofs in support of my contention. I have all necessary evidence for it. Yet I am told that I should take up this matter while speaking on the Finance Bill. But I want separate time to speak on the leakage of Budget. Sir, I want Justice from you.

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला श्रम मंत्रालय से सम्बद्ध नहीं है। आप ने जो कागजात भेजे हैं, वे अध्यक्ष, उप प्रधान मंत्री और प्रधान मंत्री के पास भेजे हैं। मुझे उनके बारे में पता नहीं है। जब इस मामले से अध्यक्ष महोदय अवगत हैं तो इस बारे में उनसे ही बातचीत की जाये।

मुझे बताया गया है कि अध्यक्ष महोदय ने आपको यह सुझाव दिया है कि आप इस विषय को वित्त विधेयक पर बोलते हुए उठायें।

Shri Madhu Limaye : Sir, I want only 15 minutes for it. I have so many other things to be spoken on Finance Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे उसी समय लें, अब नहीं। श्री स० मो० बनर्जी।

अनुदानों की मांगें–जारी
DEMANDS FOR GRANTS

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय—जारी

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्रालय जिसमें पुनर्वास विभाग भी सम्मिलित है, की मांगों पर चर्चा के लिए इस बार चार से बढ़ाकर पांच घंटे का समय दिया गया है। वर्ष 1968 की घटनाओं को देखने से तो ऐसा ज्ञात होता है मानों श्रमिकों सम्बन्धी कानून श्रमिक-विरोधी हो गया है और श्रम मंत्रालय भी श्रमिकों का विरोधी हो गया है। निम्नलिखित उदाहरण इस बात का समर्थन करते हैं। बैंकिंग कम्पनीज विधेयक के खण्ड 36 ए० डी० पर, जिसके द्वारा बैंकिंग कर्मचारियों से प्रदर्शन करने का उनका मूलभूत अधिकार छीन लिया गया है, चर्चा के दौरान श्रम मंत्री के विचार सुनने की हमने मांग की थी। परन्तु हमें श्रम मंत्री के बजाय वित्त मंत्री को सुनना पड़ा तथा उसके बाद वह खण्ड पास कर दिया गया। अतः श्रम मंत्रालय को और अधिक सतर्क होना चाहिए।

अत्यावश्यक सेवाओं को बनाये रखने सम्बन्धी अध्यादेश पर इस सदन में 5 या 7 दिन तक चर्चा की गई थी लेकिन श्रम मंत्री सदन में एक दिन भी उपस्थित नहीं हुए।

प्रशासन सुधार आयोग की रिपोर्ट, जिसमें यह कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए, को पढ़कर बहुत दुख हुआ। मैंने इस सम्बन्ध में श्री कामत का विमति टिप्पण भी देखा है लेकिन हम उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं।

यदि यह काला कानून पास हुआ तो हम इसका तीव्र विरोध करेंगे।

कर्मचारियों की हजारों यूनियनें इसके विरोध में आन्दोलन कर रही हैं और इस सम्बन्ध में न्याय की मांग कर रही हैं। उन्होंने बहुत सी मांगे की हैं। जिनमें बहुत सी महत्वपूर्ण मांगें हैं। उनमें से मुख्य मांगे अत्यावश्यक सेवा को बनाये रखने सम्बन्धी, अधिनियम रेलवे (संशोधन) अधिनियम का समाप्त करना। प्रत्येक उद्योग में यूनियनों को अनिवार्य रूप से मान्यता प्रदान करना। 19 सितम्बर, 1968 को जिन यूनियनों की मान्यता को समाप्त कर दिया गया था उनको फिर से मान्यता प्रदान करना। 19 सितम्बर 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरूद्ध चलाये गये मुकदमों को वापिस लेना। कर्मचारियों की छंटनी को समाप्त किया जाना। कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार वेतन देना आदि।

आवश्यकतानुसार वेतन देने का निर्णय 15वें श्रम सम्मेलन में एकमत से दिल्ली में किया गया था। यदि सम्मेलन में एकमत से लिये गये निर्णय के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है। हड़ताल का मुख्य कारण ही यह था। इस हड़ताल को अवैध घोषित किया गया और 55,000 कर्मचारियों को निकाल दिया गया और 30,000 कर्मचारियों को मुअत्तिल कर जेल भेज दिया गया। 12 व्यक्ति मारे गए। यदि संसद इस बारे में न्याय नहीं करता तो इन विनियमनों और कानूनों के बावजूद हमें फिर से हड़ताल करने को मजबूर होना पड़ेगा।

Shri S. M. Joshi (Poona) : I want to raise a point of order. I want that you should give a ruling in this regard. Is it the responsibility of the Labour Minister to make policy with regard to labours? If it is so, the Minister of Labour should be present in the house to reply.

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में कुछ स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिये। जब अत्यावश्यक सेवा अध्यादेश, जिसमें श्रम सम्बन्धी नीतियां शामिल हैं, पर चर्चा की जा रही थी, तो माननीय मंत्री सदन में उपस्थित नहीं थे। उस समय गृह-मंत्री ने नीति के बारे में स्पष्टी करण दिया था। बैंकिग विधि (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के समय भी माननीय मंत्री सभा में उपस्थित नहीं थे।

Shri S. M. Joshi : Hon. Home Minister indicated that only a few dozen employees will remain out of Jobs. But when we met Sardar Swaran Singh, he told that there were no such orders of the Home Ministry.

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : उन्हें प्रश्न पूछने दीजिये। मैं उनका उत्तर दूंगा।

श्री हाथी : यह प्रश्न गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा करते समय उठाया जा सकता था ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

श्री हाथी : इस बारे में अन्तिम निर्णय सरकार का ही होता है ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह दुःख की बात है कि बैंकिग विधि (संशोधन) अधिनियम या अत्यावश्यक सेवायें (बनाये रखना) अधिनियम का संस्करण उन माननीय मंत्री ने दिया जो ये समझते थे कि ये कानून त्रुटि पूर्ण हैं ।

श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग पर चर्चा करने के लिए एक पत्र प्रस्तुत किया गया था । भूतपूर्व श्रम मंत्री ने लिखित रूप से इस बात का आश्वासन दिया था कि आयोग की नियुक्ति के कारण औद्योगिक विवादों का हल करने में कोई देरी नहीं होगी लेकिन इस आश्वासन का पालन नहीं किया गया । अतः हम श्रम मंत्रालय में कैसे विश्वास रख सकते हैं ।

श्रम मंत्री का हृदय परिवर्तन में विश्वास है । लेकिन आज देश की कपड़ा मिलों में बेकारों की संख्या 50,952 से बढ़कर 65,089 हो गई है ।

कपड़ा उद्योग को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है ।

प्रेस मालिकों द्वारा मंजूरी बोर्ड के पंचाट को लागू करने से इंकार किये जाने पर सरकार की कमजोरी का ज्ञान हो गया था । यद्यपि श्रम मंत्रालय कर्मचारियों की मदद करना चाहता था । लेकिन उप-प्रधान मंत्री और गृह-मंत्री के हस्तक्षेप कारण श्रम मंत्री से कहा गया कि वे इस विशेष रिपोर्ट को क्रियान्वित न करें क्योंकि ये रिपोर्ट प्रेस मालिकों के हित के विरुद्ध है ।

बिजली मजूरी बोर्ड के अन्तरिम पंचाट में सभा की अनुमति बिना संशोधन किया गया ।

अब मालिक और सख्त हो गये हैं । उन्होंने मुख्य उद्योगों में कर्मचारियों की मजूरी दरों में कमी की है ।

मजूरी को कम करने की श्री मोरारजी देसाई की अपनी नीति है । उनके विचार से मजूरी में वृद्धि के कारण मुद्रा स्फीति में वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप मूल्यों में वृद्धि हुई है । अतः मंजूरी में कमी करनी चाहिये । रिजर्व बैंक के विशेषज्ञों ने इस नीति का विरोध किया है ।

मजूरी में पुनरीक्षण किये जाने की समस्या का हल किया जाना चाहिए ।

रेलवे, डाक-तार प्रतिरक्षा तथा अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की मजूरी बोर्ड की नियुक्ति की मांग है । वे चाहते है कि उन्हें रहने के लिए न्यूनम वेतन दिया जाना चाहिए और वे चाहते हैं कि इस मामले को मध्यस्थता के लिये सौंपा जाये ।

सूती कपड़ा मिल, इंजीनियरिंग मिल, सड़क परिवहन और पटसन कर्मचारी तथा अन्य कर्मचारियों ने मजूरी में संशोधन करने की मांग की है ।

चाय बागानों के मालिकों का रुपये के अवमूल्यन से बहुत लाभ हुआ है । रुपये के अवमूल्यन से पहले एक किलो ग्राम चाय के निर्यात से 1.2 डालर या 6 रुपये प्राप्त होते थे । लेकिन रुपये के अवमूल्यन के बाद औसतन 9 रुपये प्रति किलो ग्राम चाय के निर्यात से प्राप्त होते हैं ।

अतः चाय के निर्यात से रुपयों की आय में 57.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है । इस सब लाभ को चाय बागान के मालिक और कांग्रेस सरकार में बांटा जाता है । कर्मचारियों को इस लाभ में से एक पैसा भी नहीं दिया जाता । रुपये का अवमूल्यन किये जाने से पूर्व पटसन के निर्यात से वर्ष 1966 में सरकार को 3,200 रुपये प्राप्त होते थे, अब प्रत्येक टन के निर्यात से 4,475 रुपये प्राप्त होते हैं ।

पटसन मिल के मालिकों ने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने से इंकार कर दिया है । आज हजारों पटसन कर्मचारियों की छंटनी की गई है । यदि ऐसी स्थिति जारी रही तो कर्मचारियों को हड़ताल का सहारा लेना पड़ेगा ।

हम इस काले विधेयक का विरोध करते हैं । रिजर्व बैंक के कर्मचारियों ने 30 तारीख से हड़ताल करने का निर्णय किया है । यह प्रसन्नता की बात है कि श्रम मंत्री इस मामलें में हस्तक्षेप कर रहे हैं । स्वचालित संयंत्रों के प्रश्न पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है । माननीय श्रम मंत्री को जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करना चाहिये और उनकी मांगों को पूरा करना चाहिये । जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष को इनकी ओर ध्यान देते रहना चाहिए ।

श्री विद्याचरण के इस आश्वासन को, कि केवल कुछ दर्जन कर्मचारियों को छोड़कर सब कर्मचारियों को वापिस ले लिया जायेगा, पूरा किया जाना चाहिये ।

भारत सरकार ने आसाम में शरणार्थियों को बसाने के लिये राज्य सरकार को ऋण दिये थे । वह ऋण अब वसूल किये जा रहे हैं । मेरा निवेदन है कि उस ऋण को बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिये । आसाम में शरणार्थियों को बसाने के लिये यथासम्भव कार्यवाही की जानी चाहिये ।

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में शरणार्थियों को बसाने और तपेदिक के रोगियों के लिये विस्तर लगाने के लिये भारत सरकार से 6 करोड़ रुपये की मांग की थी । यह दुःख की बात है कि भारत सरकार ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है ।

क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड के 4200 कर्मचारी 1 मई से हड़ताल कर रहे हैं । और उनमें से 80 प्रतिशत कर्मचारी क्षयरोग से ग्रस्त हैं और क्या 4200 कर्मचारियों में

1500 कर्मचारियों को, उनके द्वारा लिये गये ऋण के भुगतान के बाद प्रतिदिन एक पैसा भी नहीं बचता। यदि वित्त और गृह-कार्य मंत्री गलती पर हैं तो हमें उनका विरोध करना चाहिये।

डा० मेल कोटे (हैदराबाद) : मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। पाकिस्तान से संघर्ष और देश में सूखे की स्थिति के कारण औद्योगिक उत्पादन में कमी हुई है और कर्मचारियों में अशान्ति फैली हुई है। यदि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल भी सफल हो जाती तो देश की स्थिति बहुत खराब हो जाती। इसके बावजूद भी माननीय मंत्री ने श्रमिकों के लिये बहुत कुछ किया जिसके लिये वे बधाई के पात्र हैं।

उत्तर प्रदेश को बिक्री कर के रूप में लगभग 6 करोड़ रुपया प्राप्त हो रहा है और उत्पादन शुल्क के रूप में लगभग 6 करोड़ रुपया प्राप्त हो रहा है। जबकि मद्रास राज्य को उत्पादन शुल्क के रूप में 30 लाख और बिक्री कर के रूप में 16 करोड़ रुपये प्राप्त हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या तामिलनाडु की जनसंख्या से लगभग दुगनी है। तामिलनाडु में कर्मचारी शराब पर खर्च न कर अन्य सुविधाओं पर खर्च करते हैं। अतः सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है। अतः मद्यनिषेध देश के सब भागों में लागू किया जाना चाहिये। गत दस वर्षों में देश को गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। रुपये का मूल्य कम हो गया है। कर्मचारियों को सर्वत्र समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। यह प्रसन्नता की बात है कि इसका प्रतिवेदन मई के अन्त में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। इसके प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के बाद ही दूसरे वेतन आयोग की नियुक्ति की जायेगी। मंत्री महोदय वेतन आयोग की नियुक्ति के बारे में यथाशीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये। त्रिपक्षीय निकाय, मजूरी बोर्ड अपने प्रतिवेदन समय-समय पर प्रस्तुत नहीं करते। वे अपने प्रतिवेदन विलम्ब से प्रस्तुत करते हैं और उनको उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया जाता। प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये निश्चित समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिये। मंत्री महोदय को इस विषय की ओर ध्यान देना चाहिये ताकि श्रमिकों को परेशान न किया जाये।

श्रम मंत्री को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये और इन निकायों के निर्णय को शीघ्र क्रियान्वित करना चाहिये।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या कर्मचारी वर्ग सदा कर्मचारी वर्ग ही बना रहना चाहिये। सरकार का कहना है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये शिक्षा विभाग तथा अन्य बहुत सी संस्थाएं कर्मचारी वर्ग की सहायता कर रही हैं। कर्मचारी वर्ग बहुत निर्धन वर्ग है और यदि उन्हें समय पर जागृत नहीं किया गया तो उनके बच्चे भी कर्मचारी ही बनेंगे और वे कभी कोई ऐसा कार्य न करेंगे जिससे उन्हें पर्याप्त धनराशि प्राप्त हो सके।

श्रम विभाग को एक निधि बनानी जिसमें भविष्य निधि का कुछ भाग अलग जमा हो। यदि कोई कर्मचारी सेवा में रहते हुये आगे पढ़ना चाहे तो उसे अन्तिम वर्ष की परीक्षा के समय

छुट्टी देनी चाहिये और उस अवधि में इस विधि में से उसे पूरा वेतन देना चाहिये जिससे उसे किसी वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े। कर्मचारी वर्ग को उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा देने के लिये कुछ प्रयत्न किया गया है। गत 10 वर्ष से हम केवल कर्मचारियों के लिये एक स्कूल चला रहे हैं जो आन्ध्र प्रदेश में शायद एक ही मान्यता प्राप्त स्कूल है। प्रत्येक वर्ष लगभग 250 विद्यार्थियों को इस स्कूल में भर्ती किया जाता है। केन्द्रीय सरकार को भी इस दिशा में इसी प्रकार का प्रयास करना चाहिये। यदि प्रत्येक उद्योगपति अपने कर्मचारियों को वेतन सहित 15 दिन की छुट्टी भी दें और कर्मचारी भी अपनी कुछ छुट्टी जमा कर ले तो परीक्षा के समय उसे तीन-चार महीने की वेतन सहित छट्टी मिल सकती है। इस प्रकार की कार्यवाही से कर्मचारी वर्ग का कल्याण हो सकेगा।

यह महसूस किया जाता है कि खेतिहर मजदूरों की उपेक्षा की जाती है, हमें खेतिहर मजदूरों की स्थिति की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। हम उनसे कच्चे माल के उत्पादन की आशा नहीं कर सकते जब तक हम उनके साथ अच्छा व्यवहार न करें।

खनिजों के हितों का ध्यान रखने के लिये कई संस्थाएं हैं। यदि इन संस्थाओं को परस्पर मिला दिया जाये तो उनके खर्च को न्यूनतम किया जा सकता है और मजदूर वर्ग के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जा सकता है।

हमें कर्मचारी वर्ग की समस्याओं पर नये सिरे से विचार करना चाहिये। मुझे आशा है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग इस सम्बन्ध में हमारे सम्मुख नये विचार रखेगा। मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री वी० कृष्णा मूर्ति (कुड्डलूर) : विवादों का समाधान करने के कार्य में यह मंत्रालय सहायक नहीं है और अपने कर्तव्य का पालन ठीक प्रकार नहीं कर रहा है। मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी से स्पष्ट है कि वर्ष 1963-68 में प्रत्येक वर्ष में उत्तरोतर जन-दिनों की हानि में वृद्धि होती रही है। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि यह मंत्रालय ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। गैर-सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा सरकारी क्षेत्र में अधिक जन-दिनों की हानि हुई है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न नीतियों के कारण सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में हड़तालें होती रही हैं। इसका कारण यह हैं कि प्रबन्धक निदेशक, महाप्रबंधक अथवा अध्यक्ष को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय नियंत्रक के पास ये सब शक्तियां रहती हैं। किसी भी विवाद को हल करने के लिये उन्हें समुचय फाइल वित्त मंत्रालय को भेजनी पड़ती है। इस बीच वहां पर हड़तालें तथा अन्य प्रकार की घटनायें हो जाती हैं। अतः मंत्रालय तथा सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धकों के बीच कोई समन्वय नहीं है।

इसका दूसरा कारण संघों की परस्पर प्रतिस्पर्धा है। सरकारी क्षेत्र में राजनीति का बोलबाला है। अलग-अलग संघों के कार्यकर्त्ता आपस में झगड़ते रहते हैं। इसके कारण भी जन-

दिनों की हानि होती है। सरकार सबसे बड़ी पूंजीपति है जो गैर-सरकारी उद्योगपतियों को कर्मचारियों के साथ न्याय करने का धर्मोपदेश देती है। परन्तु वे स्वयं अपने कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं करते हैं।

मूल मजूरी के साथ महंगाई भत्ता मिलाने के लिये आन्दोलन किया जा रहा है। कुछ उपक्रमों में मूल मजूरी 70 रुपये है जबकि महंगाई भत्ता 120 या 130 रुपये है। यह स्थिति कब तक चल सकती है। हमारे देश में मुद्रास्फीति रहेगी। ऐसी अवस्था में जब तक मूल मजूरी को महंगाई भत्ते को मिलाने के लिये जब तक कोई कार्यवाही नहीं की जाती तब तक आन्दोलन रोकना कठिन है।

कपड़ा मिलों में भारी संख्या में कर्मचारियों को जबरी छुट्टी दी जा रही है। यह मंत्रालय उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है। श्रम मंत्री को वित्त मंत्री के साथ विचार-विमर्श करके इस समस्या का समाधान करना चाहिये। जबरी छुट्टी के कारण 65,000 कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं। यदि इसे तालाबन्दी कहा जाये तो भी हमें इसके कारणों का पता लगाना चाहिये कि प्रबन्धक वर्ग ताले क्यों नहीं खोलता है।

जहां तक मान्यता का प्रश्न है मेरे विचार में कोई ऐसी निष्पक्ष संस्था बनानी चाहिये जो इस बात का पता लगाये कि अमुक संघ के सदस्यों की समुचित संख्या है या नहीं है। इस कार्य को करने के लिये अब तक कोई उपाय नहीं किया गया है। श्रम सम्बन्धी कानूनों की संख्या अत्यधिक हो गयी है। उन सबको मिला कर संहिताबद्ध कर देना चाहिये और एक सरल श्रम संहिता बना देनी चाहिये।

श्रीलंका से लौटने वाले लोगों के पुनर्वास के लिये सरकार उनकी सहायता नहीं कर रही है। मुझे पता है कि इन लोगों के पुनर्वास के लिये लगभग 100 करोड़ रुपये की योजना बनायी गई है। परन्तु श्रीलंका सरकार अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है।

श्री हाथी : वह पुनर्वास नहीं है। पुनर्वास का कार्य उनके यहां पर आने के बाद होगा।

श्री वी० कृष्णा मूर्ति : यह ठीक है परन्तु इस सम्बन्ध में संयुक्त रूप से कोई प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। सरकार दण्डकारण्य का विकास आदि करके तथा अन्य योजनाएं बनाकर श्रीलंका स्थित भारतीयों को भारत में आने के लिये प्रेरित कर रही है। परन्तु श्री लंका सरकार भारतीयों को नागरिकता का अधिकार देने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इस सारे कार्य का उत्तरदायित्व इस मंत्रालय को सम्भालना चाहिये।

हथकरघा बुनकरों के लिये एक मजूरी बोर्ड नियुक्त किया जाना चाहिये। हथकरघा बुनकरों की स्थिति शोचनीय है। उनका भविष्य उनके मालिकों पर निर्भर करता है। वे उनकी दया पर जीते हैं। इसलिये हथकरघे से बनी वस्तुओं के निर्यात में कमी हो गयी है। मैं इस मंत्रालय से मांग करता हूं कि वह हथकरघा उद्योग में नियुक्त कर्मचारियों की स्थिति में सुधार करें और एक मजूरी बोर्ड की भी नियुक्ति करें।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : मुझे कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यकरण के बारे में कई शिकायतें मिली हैं। मंत्री महोदय इसके कार्य को संतोषजनक बनाने के लिये की गई कार्यवाही का भी उल्लेख करें।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : औद्योगिक अशान्ति को कम करने के लिये तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिये हम अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं।

जहां तक पुनर्वास का सम्बन्ध है, इस समस्या का आकार देखते हुये इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया जा चुका है। मजूरी बोर्डों की सिफारिशों की क्रियान्विति में विलम्ब के कारणों का पता लगाना कठिन बात नहीं है। हम जानते हैं कि मजूरी बोर्ड में अलग-अलग हितों का ध्यान रखने वाले व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। वे इस बात का प्रयत्न करते हैं कि वे किसी सर्वसम्मत निर्णय पर पहुंचें। वे भिन्न-भिन्न विचारों में मतैक्य स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं।

फिर बोर्ड के सदस्यों की सुविधा के अनुसार बैठकों का समय निश्चित किया जाता है और यह सच है कि कभी-कभी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में भी विलम्ब हो जाता है। मजूरी बोर्डों में कर्मचारियों तथा मालिकों अर्थात् दोनों के प्रतिनिधि होते हैं अतः उन्हें प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत करने चाहिये।

जहां तक उपर्युक्त सिफारिशों के क्रियान्वित न किये जाने का कारण है, ये सिफारिशें सांविधिक नहीं होती हैं। उन्हें विभिन्न हितों की सहमति से क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया जाता है।

[**श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए**
Shri Vasudevan Nair in the Chair]

सिफारिशों को क्रियान्वित करते हुये हमें काफी सावधानी बर्तनी पड़ती है। हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि कुछ मामलों में विलम्ब हो जाता है। यह भी स्वाभाविक है कि जब सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया जाता तो कर्मचारी इस बात की शिकायत करते हैं।

श्री बे० कृ० दासचौधरी (कूच-बिहार) : क्या मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित न करने से अथवा विलम्ब से क्रियान्वित करने से घेराव और आन्दोलन किये जाते हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : नहीं। यह सच नहीं है, घेराव आर्थिक कारणों से भी हो सकता है और राजनीतिक कारणों से भी हो सकता है। मालिक कहते हैं कि वे वित्तीय कारणों से उन्हें क्रियान्वित नहीं कर सकते। मजूरी बोर्ड इन सब बातों पर विचार करता है। फिर कभी-कभी सिफारिशें प्रस्तुत करने के बाद भी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं।

राष्ट्रीय श्रम आयोग मजूरी बोर्ड पद्धति पर समुचय रूप से विचार कर रहा है। हम उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमने इस विलम्ब को दूर करने के लिये सुझाव प्रस्तुत करने

हेतु कर्मचारियों और मालिकों के प्रतिनिधियों की समितियां भी नियुक्त कर रखी हैं। आशा है कि वे इस सम्बन्ध में अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगी। हमने इस दिशा में कार्यवाही की है जैसे राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और लगभग 34 या 35 अन्य फर्मों ने कोयले के सम्बन्ध में मजूरी बोर्ड के निर्णय को क्रियान्वित किया है।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : (क्विलोन) : बिजली मजूरी बोर्ड की सर्वसम्मत सिफारिश का क्या हुआ ?

श्री भागवत झा आजाद : उसमें केवल एक दिन की बात है। वह इसलिये नहीं किया जा सका कि बोर्ड को पिछली तारीख से दरों में वृद्धि करनी पड़ती जिसका उपभोक्ताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता। उन्हें जो अन्तरिम रूप से दिया गया है, उसका समायोजन किया जाना चाहिये।

हम त्रिपक्षीय सम्मेलन में स्वाचालित मशीनों के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं। भारतीय श्रम सम्मेलन, 1966 में कहा गया था कि स्वचालित मशीनें लगाये जाने से कोई छंटनी नहीं की जानी चाहिये और मजदूरों की आय में कोई कमी नहीं होनी चाहिये। हम भी चाहते हैं कि स्वचालित मशीनों का प्रयोग मालिकों, कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रख कर किया जाये। कुछ उपक्रमों ने स्वचालित मशीनों के प्रयोग का विरोध किया है। सरकार की ओर से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है और हमने जीवन बीमा निगम और अन्य उपक्रमों से यह वचन लिया है कि छंटनी की जायेगी और न आय में कोई कटौती की जायेगी। स्वचालित मशीनों के प्रयोग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि हम तकनीकी युग पिछड़ा नहीं रखना चाहते।

जहां तक मजदूरों के कल्याण का सम्बन्ध है, गत दस या बीस वर्षों से आज की स्थिति काफी बेहतर है।

कोयला खानों के, अभ्रक खानों के और लौह अयस्क खानों के मजदूरों को हम चिकित्सा आदि की अधिक से अधिक अनेक सुविधाएं देने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में भी मजदूरों की सुविधाएं बढ़ा रहे हैं।

डा० मेलकोटे ने यह महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि अभ्रक, कोयला और लौह सम्बन्धी कल्याण निधि को मिला कर एक कर दिया जाए। श्रम मंत्री महोदय ने यह निर्णय किया है कि इन तीनों निधियों के कार्य को समन्वित करने और प्रशासन पर व्यय कम करने के लिए प्रशासनिक एकीकरण कर दिया जाए। मंत्री महोदय ने यह निर्णय किया है कि जल, स्वास्थ्य तथा आवास सम्बन्धी सुविधाओं पर बल दिया जाए। उन्होंने निर्णय किया है गांधी शताब्दी वर्ष में बुनियादी सुविधाओं की अधिक से अधिक व्यवस्था की जाये। उन्होंने इस आशय का वक्तव्य राज्य के श्रम मंत्रियों के सामने दिया था।

चौथी पंचवर्षीय योजना में इस कार्य पर 21.5 करोड़ रुपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव है। गांधी शताब्दी वर्ष में इन सुविधाओं के लिए 5.375 करोड़ रुपये व्यय करने का

प्रस्ताव है। हम चाहते है श्रमिकों के कल्याण के रूप में उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं दी जायें। जब तक श्रमिकों को संतुष्ट नहीं किया जायेगा जब तक उत्पादन नहीं बढ़ सकता है।

रोजगार का प्रश्न प्रायः सभी माननीय वक्ताओं ने उठाया है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं की हमें रोजगार सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करने में बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि रोजगार के अवसर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अपनी आर्थिक योजनाओं के अनुसार बनाये जाते हैं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि देश में रोजगार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यह ठीक है पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है किन्तु यह भी ठीक है कि इन योजनाओं में रोजगार ढूंढने वाले लोगों को पर्याप्त रोजगार मिला है। नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या है और गावों में अपर्याप्त रोजगार की समस्या है। एक प्रश्न के उत्तर में हम बता चुके हैं कि राज सरकारें न्यूनतम मजूरी निर्धारित करती हैं। हमने तीन समितियां स्थापित की थीं जिन्होंने केन्द्रीय क्षेत्र में श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के बारे में सिफारिश की थी। मंत्री महोदय यह बात सभा में स्पष्ट कर चुके हैं कि हम चाहते हैं कि खेतिहर मजदूरों की दशा अच्छी हो। इसके लिये हम समय-समय पर राज्य सरकारों से अनुरोध करते रहते हैं कि उनकी दशा में सुधार करने के लिये आवश्वक कार्यवाही की जाये। राष्ट्रीय श्रम आयोग भी इस मामले पर विचार कर रहा है और आशा है कि आयोग की सिफारिशें शीघ्र प्राप्त हो जायेंगी। न्यूनतम मजूरी, निर्वाह मजूरी, आवश्यकता पर आधारित मजूरी, ये सब बातें सराहनीय हैं किन्तु हमें देखना यह है कि इन्हें कहां तक कार्य रूप दिया जा सकता है। मैं अपना संवैधानिक उत्तर-दायित्व समझता हूं और उसी के अनुसार यह सब कुछ तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं।

सबसे बड़ी समस्या शिक्षित व्यक्तियों में, विशेषतः इंजिनियरों में, बेरोजगारी की है। इन लोगों में बेरोजगारी बढ़ने का कारण यह है कि हमारी आर्थिक प्रगति कुछ धीमी हो गई है और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देश में कुछ मंदी सी आ गई थी। हमें आशा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास तेजी से होगा और उसमें अपेक्षित संख्या में इंजीनियरों को रोजगार मिल जायेगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 25,000 इंजीनियरों और 50,000 डिप्लोमा धारियों को रोजगार मिलने की आशा थी किन्तु देश में इस अवधि में आर्थिक मंदी के कारण उन्हें रोजगार नहीं मिल सका।

अब मैं पुनर्वास के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। माननीय सदस्य श्री जेवियर ने कहा है कि बर्मा से स्वदेश लौटने वाले लोगों के लिए सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि इन लोगों के लिये तामिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश तथा उड़ीसा में शिवरों की व्यवस्था की गई है और इन शिविरों में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। भावनगर में तबेला शिविर में 145 शरणार्थी परिवार हैं। वहां की भूमि के बारे में अभी निर्णय नहीं हो पाया है कि वह भूमि राज्य सरकार की है या प्रतिरक्षा मंत्रालय की। इस

सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करने के लिए हम राज्य सरकार तथा मंत्रालय से पत्र-व्यवहार कर रहे हैं ताकि वहां के शरणार्थियों की सहायता की जा सके।

माननीय सदस्य श्री कछवाय ने कहा है कि राजस्थान में हमने बहुत कम मूल्य पर भूमि दी है। हम देश के सभी भागों में राज्य सरकारों के माध्यम से भूमि देते हैं। माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि यह भूमि हरिजनों को कम मूल्य पर दे दी जाये। माननीय सदस्य का अभिप्राय है कि सरकार चुनावों के समय हरिजनों को कम मूल्य पर भूमि देती है। किन्तु हम हरिजनों को सदा ही कम मूल्य पर पंखे देते हैं। माननीय सदस्य का कहना है कि दण्डकारण्य परियोजना का कार्य संतोषजनक नहीं है। किन्तु मैं उनकी जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग वहां देखकर आए हैं, उन्होंने वहां के कार्य की सराहना की है। यदि माननीय सदस्य भी स्वयं वहां जाकर किए जा रहे कार्यों को देखें तो अच्छा होगा।

माननीय सदस्य श्री बनर्जी ने आसाम में पुनर्वास के कार्य का उल्लेख किया है। हमने विभिन्न राज्य सरकारों को ऋणों के बारे में स्पष्ट आदेश दे दिये हैं। हमने कहा है कि ऋण लेने वाले जो लोग ऋण अदा करने की स्थिति में हैं उनसे ऋण की राशि वसूल करने के लिये यथासंभव प्रयत्न किये जायें। हो सकता है कि कुछ मामलों में ऋण वसूल न किया जा सके। हमने राज्य सरकारों से कहा है कि वे इस सम्बन्ध में पूरा विवरण भेजें ताकि आगे कार्यवाही की जा सके। आशा है कि आसाम सरकार इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेगी।

द्रविड़ मुनेत्र कषगम के सदस्यों ने कहा है कि श्रीलंका से आने वाले लोगों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। यदि समय होता तो मैं इस सम्बन्ध में पूरा विवरण देता। हम इस बारे में पूरी तरह सजग हैं और 5.25 लाख का लक्ष्य है। इस वर्ष 3,50,000 और 7,000 लोग वहां से आ चुके हैं। हमने उनके लिये तमिलनाडु, मैसूर तथा अन्य राज्यों में अनेक योजनाएं आरम्भ की हैं। हम यह कभी नहीं कह रहे हैं कि वे न आयें। हम उन्हें पूरी सुविधाएं देने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे केवल यही कहना है।

श्री के० एम० अब्राहम (कोट्टायम) : मजूरी बोर्ड के बारे में अभी माननीय सदस्य काफी कुछ कह चुके हैं। ये मजूरी बोर्ड चार-पांच वर्ष में अपना पंचाट देते हैं और यह पंचाट प्रायः मजदूरों के पक्ष में नहीं होते हैं। मंत्रालय भी प्रबन्धकों और पूंजीपतियों के पक्ष में है। यदि मजूरी बोर्ड का पंचाट श्रमिकों के पक्ष में होता है तो उसे क्रियान्वित नहीं किया जाता है। इस मामले में सरकार मजदूरों की सहायता नहीं करती, जब उसे पंचाट को क्रियान्विति के लिये कहा जाता है तो वह मामला न्याय-निर्णय के लिए सौंप देती है। मजदूर जब हड़ताल करते हैं तो सरकार हड़ताल को अवैध-घोषित कर देती है। यदि सरकार से कहा जाता है कि वह प्रबन्धकों पर पंचाट की क्रियान्विति के लिये दबाव डाले तो सरकार कह देती है कि उसे इसका अधिकार नहीं है किन्तु हड़ताल करने पर मजदूरों को जेल भेज दिया जाता है।

श्रम मंत्रालय का यह है श्रम विरोधी स्वरूप। इंजीनियरी उद्योग में मजूरी बोर्ड ने साढ़े तीन महीने पहले पंचाट दिया था। इस सम्बन्ध में मजदूरों के प्रतिनिधियों, प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों, सरकारी उपक्रमों के प्रतिनिधियों तथा अध्यक्ष ने अपनी-अपनी विभिन्न टिप्पणियां दी हैं और ये चारों टिप्पणियां सरकार के सामने हैं और मजूरी बोर्ड के पंचाट के बारे में अभी निर्णय किया जाना है। कपड़ा उद्योग में भी मजूरी बोर्ड ने पांच वर्ष के बाद मजूरी में एक रुपये की वृद्धि की है।

जहां तक औद्योगिक सम्बन्धों का प्रश्न है, मंत्रालय सदैव पूंजीपतियों का पक्ष लेती है। मजदूरों द्वारा हड़ताल किये जाने पर मंत्रालय निष्क्रिय रहता है। समाचार-पत्रों की हाल की हड़ताल इसका स्पष्ट उदाहरण है। श्रम मंत्रालय ने विवाद हल करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की थी। दुर्गापुर इस्पात कारखाने के बारे में कहा है कि कदाचार तथा कुप्रबन्ध के कारण इस कारखाने में श्रमिक विवाद हो रहे हैं। गत वर्ष कर्मचारियों की समितियों के चुनावों में इन्टक के सभी उम्मीदवार हार गये थे। फिर भी इस मजदूर संघ को मान्यता प्राप्त है, सरकार इसकी मान्यता समाप्त करने के पक्ष में नहीं है। मेरा सुझाव है कि राज्यों में सभी सरकारी उपक्रमों के औद्योगिक सम्बन्धों का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों को सौंप दिया जाना चाहिए। यह दुख की बात है कि मंत्री महोदय श्रमिक विरोधी नीति अपनाते हैं। एशियाई श्रम मंत्रियों के सामने भाषण करते हुए उन्होंने मजदूर संघों को दबाने का सुझाव दिया था। उन्होंने यह कहा था कि मजदूर संघों के पदाधिकारी बाहर का व्यक्ति नहीं होना चाहिए और मजदूर संघों को स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए।

सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली गलत नीतियों के कारण हम देखते हैं कि दिन-प्रति-दिन छंटनी होती रहती है, ताला बन्दी होती रहती है तथा श्रमिकों को जबरी छुट्टी पर भेजा जाता है। अकेले कपड़ा उद्योग में 70,000 मजदूरों को काम से निकाल दिया गया था। इंजीनियरी उद्योग में भी प्रायः यही स्थिति है। हड़तालों के कारण हुई कार्य के दिनों की हानि की अपेक्षा तालाबन्दी के कारण अधिक कार्य के दिनों की हानि हुई है। सरकार ने इस प्रकार की घटनाएं रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है? कुछ मामलों में मालिक जबरी छुट्टी का मुआवजा नहीं देते हैं। सरकारी उपक्रम तक भी मजूरी भुगतान अधिनियम की क्रियान्विति के लिये तैयार नहीं हैं।

सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण हजारों व्यक्ति बेरोजगार हो गये हैं किन्तु श्रम मंत्रालय इस बारे में कोई कार्यवाही करने के लिये तैयार नहीं है। इन कर्मचारियों का भाग्य गृह मंत्रालय की दया पर छोड़ दिया गया है। यह दुख की बात है कि कोई भी मंत्रालय कर्मचारियों का विवाद हल करने का उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार नहीं है। सब टाल-मटोल करने का प्रयत्न करते हैं। श्रम मंत्री महोदय अनेक आश्वासन देते हैं किन्तु उन्हें कभी पूरा नहीं किया जाता है।

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को भूमि नहीं दी गई है। दिल्ली में लगभग 2,000 शरणार्थी रहते हैं। उन्हें कालका जी में भूमि दिये जाने की स्वीकृति दी गई थी। किन्तु बाद में भूमि प्लाटों के नियतन में भेदभावपूर्ण बर्ताव किया गया था। अभी तक 600 व्यक्तियों को प्लाट नहीं मिले हैं। इस सारे मामले की जांच करने के लिये संसद् सदस्यों की एक समिति बनाई जानी चाहिये।

औद्योगिक सम्बन्धों का कार्य राज्यों को सौंपा जाना चाहिये। यदि सरकार यह कार्य राज्यों को सौंपने के लिये तैयार नहीं है तो कम से कम पुनर्वास औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आदि राज्यों को तुरन्त हस्तांतरित किये जाने चाहिये और केन्द्र द्वारा राज्यों को सहायता देनी चाहिये ताकि वे अपना कार्य सुचारुरूप से कर सकें।

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh): Mr. Chairman, last year has been the year of gheraos tension and strikes and the Ministry of Labour had to face many difficulties. In the changing political conditions in the country, several political parties tried to take advantage of the dissatisfaction and frustration prevailing among the working class and they tried to throw the economy of the country out of gear. It resulted in less production and loss of thousands of man days. The hon. Minister deserves to be congratulated for his handling the serious situation in a very tactful manner.

There is great dissatisfaction among the working class in the country which is a very serious problem. If we cannot provide social justice to the people, as has been promised in the constitution, this dissatisfaction amongst the workers will further increase. It will be better if a committee is set up to go into the causes of the dissatisfaction and to suggest ways and mean for its removal.

The hon. Minister has mentioned about the labour welfare programmes in mica, coal and iron ore mines. He has said that the Government is taking steps to combine the separate organisations into one for that purpose. It will be much better if he includes in it manganese, zinc and copper also. They also are a part of our economy.

In this year of Gandhi Centenary, a provision of Rs. 5 crores have been provided for the supply of drinking water and for the implementation of health scheme. But it is very meagre amount and should be enhanced for much cannot be achieved with this meagre amount. We urgently need housing, medical, drinking water and other essential facilities for our people. It will be better if the Government take into confidence the State Governments and give them some more powers so that unnecessary delay in the execution of schemes may be avoided.

It is very unfortunate that our public sector is incurring heavy losses. If we want them to flourish, we should give up the bureaucratic attitude and introduce workers participation in the management. It will make them more responsible and will also help in increasing production. Similarly, in the private sector, participation of workers in the management will also prove to be a great check on the increasing monopolistic trend.

If workers participate in the management of our public sector industries, there will be more discipline and it will result in saving of national property worth crores of rupees.

The monopolistic trends are increasing in the private sector. It is essential that worker's participation in the management of private sector is also introduced. It will help in checking the monopolies. After minimum wage, we should increase the bonus according to the increase in the production. It will be a good incentive for the labour. The awards which go in favour of workers are not implemented by the offices. I want to refer to the case of Hindustan Zinc Limited in this regard.

The Saleem Merchant was given about one and a half year back, but it has not been implemented as yet. On the other hand rival union is being formed.

About 12 crore rupees of provident Fund are in arrears. This amount should be recovered without delay. The working of Employees State Insurance Scheme should be streamlined. The problems of workers should be paid due attention. If we want to establish socialism in the country, we should introduce reforms. I request the Hon. Minister to pay attention to the suggestions made and solve the problems of labour.

With these words, I support the demands of the Ministry.

श्री श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : यह एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि हम सब श्रमिकों के विरोधी है। यह सत्य है कि हमारा श्रम मंत्रालय अपने दायित्व पूरे करने में असफल रहा है। किसी भी दिशा में उसे सफलता नहीं मिली, आप यदि समझौता अधिकारियों की रिपोर्टों को देखें तो पता चलेगा कि अधिकांश मामलों में असफलता ही व्यक्त की गई है और बहुत थोड़े मामले न्याय निर्णय के लिये दिये गये हैं। कुछ मामलों को मंत्रालय के अधिकारियों पर छोड़ दिया गया है। साधारणतः समझौता अधिकारी अपनी ओर से विवाद को हल करने में असफल रहने पर ही असफलता की रिपोर्ट भेजता है। ऐसी रिपोर्ट को न्याय निर्णय के लिये भेज दिया जाना चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं किया जाता। एक न्यायाधीश को निर्णय करना चाहिये कि क्या मजदूरों की मांग उचित है अथवा नहीं। अधिकारियों को इस बारे में निर्णय नहीं करना चाहिये। यह कहना भी ठीक नहीं है कि यह मंत्रालय अधिक महत्व का नहीं है। यह बात ठीक नहीं है। मजूरी के बारे में मेरा सुझाव है कि मजूरी बोर्ड के स्थान पर हमें कानूनी रूप से न्यूनतम मजूरी की व्यवस्था लागू करनी चाहिये। मजूरी बोर्डों के निर्णयों को लागू नहीं किया जाता और मजदूरों को न्यूनतम मजूरी से भी बहुत कम मिलता है।

सरकारी उपक्रमों के बारे में सरकार के बड़े-बड़े अधिकारी, जिन्हें मैं आजकल के नवाब समझता हूं, मनमानी करते हैं। समझौता अधिकारी किसी की नहीं सुनते। इससे भी मजदूरों को हानि होती है। इन उपक्रमों में समझौता व्यवस्था है ही नहीं। वहां श्रमिक कानूनों पर अमल नहीं किया जाता। बोनस अधिनियम भी इसका एक उदाहरण है। अब महत्वपूर्ण उद्योग केवल 4 प्रतिशत भुगतान कर रहे हैं जबकि पहले वे अधिक भुगतान करते थे। यह स्थिति गैर-सरकारी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में चल रही है।

उर्वरक और रसायन उद्योग 'हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड' को यूनेस्को से एक संयन्त्र उपहार के रूप में मिला था। इस पर रिजर्व राशियां बढ़ा दी गईं और यह रक्षित धन 500 लाख तक

पहुंच गया । परन्तु मजदूरों को न्यूनतम 4 प्रतिशत बोनस दिया गया । जबकि उस समय उत्पादन बहुत अधिक हुआ था । मेरे विचार में तो कानून ही त्रुटिपूर्ण है । कानून बनाते समय मंत्री महोदय ने हमारी बात की ओर ध्यान नहीं दिया । अतः उन्हें संशोधन करना पड़ा । परन्तु यह भी व्यर्थ सिद्ध हुआ है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों को दिये जाने वाले भत्तों में बहुत विषमता है । हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कर्मचारियों और फरटीलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के कर्मचारियों के भत्तों में बहुत अन्तर है । इस अन्तर को ठीक किया जाना चाहिये । कर्मचारियों को आन्दोलन चालू करने के लिये मजबूर नहीं किया जाना चाहिये ।

सरकार की विभिन्न मंत्रालयों में श्रम नीति एक समान होनी चाहिये । मजूरी जीवन निर्वाह की लागत पर आधारित होनी चाहिये । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और विभागीय उपक्रमों में मजूरी के बारे में एक ही नीति होनी चाहिये ।

आजकल वस्तु स्थिति यह है कि जहां पर एक सुदृढ़ कार्मिक संघ है वहां तो जीवन निर्वाह सूचकांक के अनुसार वेतन मिलता है परन्तु जहां पर ऐसे कार्मिक संघ नहीं है वहां वेतन का आधार भिन्न है । इस बारे में एक प्रकार की नीति का अपनाया जाना बहुत आवश्यक है । यह विषमताएं समाप्त कर दी जांय तो हम इसे श्रमिकों के भविष्य के लिए एक अच्छा कदम समझेंगे ।

Shri Chandrajit Yadav (Azamgarh) Sir, I support the Demands presented by the Hon. Minister. I want to draw his attention towards some basic questions. It is true that the last few years have been difficult for our country. All the sections of society had to feel the pinch of that. There were severe drought and as a result we had to face recession. Inspite of all that our Government was able to face the critical situation with confidence. There was widespread unrest in the conntry. The Hon. Labour Minister took very balanced view and was able to maintain the peace in industries. It should be our endeavour to ameliorate the condition of lower classes.

We should not expect miracles from the Labour Department. We have to keep in view the over all economic situation of our country. We have adopted mixed economy in our country. There are certain elements in our society who stand in the way of socialism. We will have to remove them and achieve our target of democratic socialism.

We should maintain industrial peace at all costs. We should ensure regular production. The best way to achieve this is to ensure labour's participation in the management of public as well as private sector undertaking. The bureaucracy cannot be of much help. Strict discipline and rigid rules also alone will not do. The sooner it is done the better it would be. The Labour should be given the right of participation. They should be made responsible for the smooth working factories. The capitalists should not be allowed to exploit the labour. Our labour and technician is an educated man today. He knows his rights and duties. He raises his voice against exploitation and injustice. This should be headed to, and we should not be callous towards it.

The unemployment is on the increase. Thousands of engineers are without jobs. Their number is increasing every year. Our plans should be employment oriented. While formulating plan due regard should be paid to this. If it is not done, a disastrous situation can develop.

There have been many Wage Boards. The reports of many of them have not been published. Many years have passed. I do not blame Government for that. Our procedures are like that. Some time decisions are not taken and undue delay takes place. I think some statutory provisions should be laid, under which the recommendations of Wage Boards should be made binding. The Wage Board on Working Journalist was rejected by the journalists and the result that monopoly press is doing lot of mischief. Our Government discuss appreciation for its efforts in I. L. O. for development of backward countries.

Many Hon. Members have blamed the Ministry. They should know that the State Labour Ministries are to blame for non-implementation of policies. It is a bad tendency to apportion all the blame on the centre. It is only a co-ordinating ministry.

Lastly, I want to say that the assurance regarding the employees who were removed from service, should be fulfilled and they should be reinstated.

Shri Deven Sen (Asansol) : Government's policy during 1968 in regard to labour has been anti-labour. These acts have been passed to curtail the rights of labour during this year. These are Essential Services Act, Railways (Amendment) Act and Banking Laws (Amendment) Act.

The latest recommendations of the Administrative Reforms Commission have also caused concern to the working class. It is very alarming. They want to snatch all the rights of labour. It will result in all the more unrest.

What are the causes of this change in Government's policies ? This Government is playing in the hands of a few monopolists.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

It is due to that the labour is being deprived of its rightful claims. In the 1960 general strike no such stringent measures were taken. The big business houses are amassing wealth in great proportions. Their wealth has increased many fold.

The industrialists are minting money, but they do not want to pay to the worker.

The capitalists spend small some and get Government money for setting up factories. The poor worker is becoming poorer day by day. It should be looked into by Government. The index of real earning has gone down during the last few years. We have completed three five year plans. It has not improved the condition of labour.

The unemployment is more and more acute. The plans are of no use, if this problem is not solved. The latest concession will benefit the big people and will put additional burden on common man. I oppose this budget.

श्री इरास्मो डी० सेक्वीरा (मारमागोआ) : गोआ के श्रम नेता श्री डी० क्रुज की हिरासत में मृत्यु होने पर वहां के लोगों में बहुत गुस्सा है। वहां पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। डा० क्रुज उनमें से एक थे। उन्हें कुछ मामूली चोटें लगी थीं। उन्हें जब मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया था तो उसने उनकी हालत देखते ही उन्हें अस्पताल भेजने को कहा। उसी दिन रात को आठ बजे अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गयी। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिये। मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच किये जाने से वस्तु स्थिति का पता नहीं चलेगा।

गोआ में श्रम आंदोलन को दबाने के लिये एक षडयंत्र चल रहा है। यह षडयंत्र गोआ सरकार की सक्रिय सहायता से ही चल रहा है, वास्कों में पुलिस द्वारा मारे गये दो श्रमिकों के बारे में जांच हुए पांच वर्ष हो गये हैं परन्तु प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं किया गया है।

गोआ में होने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अधिवेशन में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों पर बहुत अधिक व्यय करने वाले खान मालिक श्रमिकों को दबाते हैं, उनकी बेदखली करते हैं तथा अमानवीय व्यवहार करते हैं। यदि खान मालिकों को श्रमिकों का इस प्रकार शोषण करना है तथा उन्हें आंतकित करना है, तो इन खानों का राष्ट्रीयकरण करना ही अधिक अच्छा होगा।

श्री डी० क्रुज की मृत्यु की न्यायिक जांच की जानी चाहिये ताकि वास्तविकता का पता चल सके।

गोआ के नौका वाले केवल एक ही वस्तु अर्थात् खनिज अयस्क लाते ले जाते हैं। वे पत्तन श्रमिक मजूरी बोर्ड की सिफारिशें लागू करने के लिये आग्रह कर रहे हैं। इसके लिये एक न्यायाधिकरण की नियुक्ति की गई थी परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है।

श्री हाथी इस सम्बन्ध में प्रयत्न करते रहे हैं परन्तु वे प्रयत्न पर्याप्त नहीं हैं। गोआ के संघ राज्य क्षेत्र होने के नाते केन्द्रीय सरकार पर इस सम्बन्ध में जिम्मेदारी आती है। गोआ के मंत्रिमंडल का निहित स्वार्थ इसी में है कि श्रमिकों को न्याय न मिले। केन्द्रीय सरकार को गोआ संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिये।

गोआ में अन्य स्थानों की तुलना में निर्वाह व्यय अधिक होने के कारण 1962 में 8 प्रतिशत गोआ प्रतिकारात्मक भत्ते की स्वीकृति दी गई थी परन्तु 1 अप्रैल, 1967 को उसे कम कर दिया गया और इस वर्ष से बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। गृह-कार्य मंत्रालय को सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में वही कुछ करना चाहिये जो श्रम मंत्रालय श्रम कल्याण के बारे में प्रचार करता है। अतः गोआ प्रतिकारात्मक भत्ता पुनः देना शुरु करना चाहिये।

गोआ में डाक तथा तार विभाग के कुछ कर्मचारी 3 वर्ष पूर्व सेवा निवृत हुए थे परन्तु उनकी पेंशन का अभी तक निर्णय नहीं किया गया है। श्रम मंत्रालय को देखना चाहिये कि ऐसी बातों में सुधार हो।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

लोह-अयस्क की खानों में 25 पैसे प्रति टन के हिसाब से श्रम कल्याण के लिये एक निधि बनाई गई है और गोआ में इसके लिये प्रति वर्ष लगभग 20 लाख रुपये इकट्ठे हो रहे हैं। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे, कि इसमें से कितनी राशि गोआ में व्यय की गई है। बोर्ड की पहली बैठक गोआ में हुई थी और सलाहकार समितियां बनाने के बारे में निर्णय किया गया था। प्रत्येक राज्य में समितियां बनाई गई थीं परन्तु गोआ में समिति नहीं बनाई गई थी।

गोआ में अस्पताल, शिक्षा तथा मनोरंजन की सुविधायें कम हैं। गोआ में सबसे अधिक लोह अयस्क पैदा होता है परन्तु वहां के लिये बहुत कम परियोजनायें हैं।

त्रिपक्षीय संगठन में केवल नियोजक तथा कर्मचारी होने चाहिये। राज्य के सचिव को समिति के सचिव के रूप में कार्य करना चाहिये और उसके मार्ग में बाधा नहीं डालनी चाहिये।

मुझे प्रसन्नता है कि योजमद्वीप से लौटने वालों के लिये पुनर्वास के लिये कुछ कार्य किया जा रहा है। आशा है कि पूर्वी तथा पश्चिमी अफ्रीका के तथा फारस की खाड़ी के देशों से लौटने वाले लोगों को सुविधायें दी जायेंगी।

दिसम्बर 1967 की तुलना में बेरोजगारों की सामान्य संख्या में 10 प्रतिशत वृद्धि हुई है परन्तु शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है। मंत्रालय को केवल आंकड़े ही एकत्र नहीं करने चाहियें बल्कि जन शक्ति का आयोजन भी करना चाहिये।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : श्रम मंत्रालय की कोई नीति नहीं है। श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय मजूरी सम्बन्धी है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बीस वर्ष बाद यह कहा कि श्रमिकों को आवश्यकता पर आधारित मजूरी नहीं मिल सकती, ठीक नहीं है। जब तक श्रमिकों को आवश्यकता पर आधारित मजूरी न मिले इस देश का विकास नहीं हो सकता। मजूरी का देश के कुल उत्पादन के साथ सम्बन्ध होना चाहिये और श्रमिकों का उत्पादन में हिस्सा होना चाहिये। अतः यह आवश्यक है कि श्रम मंत्रालय अपनी नीति बनाये तथा बताने की आवश्यकता पर आधारित मजूरी के बारे में उसे क्या करना है।

जापान में 1947—55 के बीच की अवधि में मजूरी 11 गुना बढ़ी है तथा मजूरी में वृद्धि के साथ उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। अतः यह कहना कि मजूरी का उत्पादन से कोई सम्बन्ध नहीं है, ठीक नहीं है।

सामूहिक सौदेबाजी श्रमिकों का एक महत्वपूर्ण शस्त्र है और श्रमिक इस अधिकार को छोड़ नहीं सकते। महात्मा गांधी भी इस अधिकार के लिये लड़े थे। परन्तु 19 सितम्बर, 1968 को जब हजारों सरकारी कर्मचारियों ने आवश्यकता पर आधारित मजूरी की अपनी मांग के

समर्थन में हड़ताल की, तो हाथी तथा उनके सहयोगी क्षेत्र से भाग गये और उन्होंने मामला शस्त्रधारी पुलिस, केन्द्रीय रक्षित पुलिस तथा अन्य अभिकरणों पर छोड़ दिया। क्या वे उचित समझते हैं कि हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये। श्रम मंत्री ने अप्रत्यक्ष रूप में हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाने का समर्थन किया है।

जब 1947 में भारतीय श्रम सम्मेलन शुरू हुआ था तो यह निर्णय किया गया था कि पारस्परिक विचार विमर्श तथा समझौते से मामले निपटाये जायेंगे। 1959 में मद्रास में यह भी निर्णय किया गया था कि श्रमिकों की सहमति के बिना श्रम सम्बन्धी कोई कानून नहीं बनाया जायेगा। परन्तु श्री हाथी ने क्या किया, एक के बाद दूसरा श्रम विरोधी कानून बनाया गया और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा।

1966 में 140 स्थानों में संयुक्त प्रबन्ध परिषदें काम कर रही थीं परन्तु प्रतिवेदन में बताया गया है कि अब केवल 89 स्थानों में ऐसी परिषदें कार्य कर रहीं हैं। राष्ट्रीय श्रम आयोग श्रम विधियों को संहिताबद्ध करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है, उसका प्रतिवेदन सभा-पटल में रखे जाने के पश्चात उस पर विचार किया जाना चाहिये। श्रम मंत्री को प्रतिवेदन की प्रतीक्षा किये बिना ही विधियों को संहिताबद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिये।

बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। तृतीय योजना के अन्त में 1 करोड़ 10 लाख बेरोजगार थे जबकि आज दो करोड़ बेरोजगार हैं। मंत्री महोदय को प्रधान मंत्री के साथ यह मामला उठाना चाहिये। गैर-सरकारी उपक्रमों में नियोजन के अवसर दिन-प्रति-दिन कम हो रहे हैं और सरकारी क्षेत्र में भी पिछले वर्षों की तुलना में अवसर कम हो रहे हैं। यदि बेरोजगारी की समस्या न हल हो तो बड़े पैमाने पर विनाश होगा। कुछ युवकों को, जो निराश होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर फिर रहे हैं, कुछ बेरोजगारी लाभ देने का प्रयत्न करना चाहिये।

55 अथवा 60 वर्ष तक कार्य करने के बाद बेचारे श्रमिक गलियों में फिरते हैं। उनके लिये कोई वार्धक्य लाभ उपलब्ध कराये जाने चाहिये तथा देखना चाहिए कि कर्मचारी बीमा योजना तथा अन्य लाभ अधिक प्रभावी हों।

श्री शान्तिलाल शाह (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : मजूरी बोर्डों में नियोजकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि और निष्पक्ष सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। यदि उनमें कोई निर्णय न हो पाये तो मामला न्यायनिर्णय के लिये जाता है। अधिक अच्छा यह होगा कि उनमें एक श्रमिकों का प्रतिनिधि हो, एक नियोजकों का प्रतिनिधि हो तथा एक निष्पक्ष अध्यक्ष हो ताकि यदि तीनों सहमत न हों, तो अध्यक्ष का निर्णय न्यायनिर्णेता का पंचाट माना जाये, जब तक ऐसा न हो मजूरी बोर्डों से कोई लाभ नहीं होगा।

विद्युत मजूरी बोर्ड में एक सुझाव यह दिया गया था कि यदि आवश्यक हो, तो बिजली के दर बढ़ा दिये जाने चाहिये। श्रमिकों तथा नियोजकों को इस प्रकार मिलकर उपभोक्ताओं का शोषण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

स्वचालित मशीनों का विरोध नहीं किया जाना चाहिये । संगणकों सहित सभी स्वचालित मशीनें प्रगति के लिये हैं, बिना किसी को हानि पहुंचाये स्वचालित मशीनें लगाई जा सकती हैं ।

यदि राष्ट्रीय सम्पत्ति बढ़ानी है तो उत्पादिकता भी बढ़ानी होगी । उत्पादिकता बढ़ाने के लिये अधिक परिश्रम करने वाले अथवा अधिक बुद्धिमान कर्मचारी को प्रोत्साहन मजूरी भी मिलनी चाहिये ।

प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग के बारे में बहुत कहा जाता है । परन्तु यदि निदेशक बोर्ड में उनका बहुमत न हो, तो उससे श्रमिकों को क्या लाभ हो सकता । इससे तो अच्छा तरीका यूगोस्लाविया में है, जहां किसी कारखाने के श्रमिकों के हवाले कारखाना कर दिया जाता है और यदि वे अधिक उत्पादन करें तो उन्हें अधिक आय होगी और यदि वे असफल हों तो उन्हें परिणाम भुगतने पड़ेंगे ।

सहकारी समितियां वास्तविक रूप में सहकारी समितियां होनी चाहिये । कर्मचारियों का प्रबन्ध में और सहयोग के लाभों में हिस्सा होना चाहिये । सहकारी समितियां ऐसी होनी चाहिये कि कर्मचारियों को उनसे लाभ प्राप्त हो ।

रोजगार दिलाऊ दफ्तर हमारे देश की स्थिति में अनुकूल नहीं हैं । ये हमने विदेशों के अनुभव के आधार पर चालू किये हैं। हमारे देश में रोजगार के अवसर बहुत कम है और बेरोजगारी बहुत अधिक है । अतः चाहे कितने भी काम दिलाऊ दफ्तर खोल दिये जायं, उससे कोई भी लाभ नहीं होगा । मेरा सुझाव है कि इतने बड़े पैमाने पर रोजगार दिलाऊ दफ्तर खोलने की बजाय यदि सरकार अपने को कुछ चुने हुए क्षेत्रों तक ही सीमित रखे, तो अधिक लाभदायक होगा ।

अच्छा तो यह होगा यदि रोजगार दिलाऊ दफ्तर खोलने की बजाय उन उद्योगों और धंधों में प्रशिक्षण देने के लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायं जिनके लिये स्कूल, कालेज अथवा अन्य संस्थाओं में प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है । इस प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति जल्दी नौकरी प्राप्त कर सकेगा । उसका नाम काम दिलाऊ दफ्तर में दर्ज हो जाने से काम नहीं चलता ।

केन्द्रीय सरकार उन कार्यों की जिम्मेदारी अपने पर क्यों लेती है जिनके लिये राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं ; जिनके लिये कार्मिक संघ जिम्मेदार हैं । सरकार इस प्रकार की जिम्मेदारी न ले ।

राज्यों ने कृषि क्षेत्र में न्यूनतम मजूरी लागू नहीं की है । राज्यों ने अधिसूचनायें प्रकाशित की हैं, किन्तु अधिसूचनाओं का प्रकाशन और न्यूनतम मजूरी का निर्धारण अलग बात है और उस अधिसूचना को क्रियान्वित करना अलग बात है । कृषि न्यूनतम मजूरी केवल बड़े फार्मों और बागानों में ही सफल सिद्ध हो सकती है । लेकिन जहां पर किसान बेचारा स्वयं मजदूर के

समान ही गरीब है और जो मजदूर की तरह ही वर्ष के अधिकांश भाग में बेरोजगार रहता है, वहां कृषि न्यूनतम मजूरी के कोई ठोस परिणाम निकलने वाले नहीं हैं।

जहां तक आवश्यकता पर आधारित मजूरी का प्रश्न है, 15वें श्रम सम्मेलन में पारित संकल्प यह नहीं कहता कि आवश्यकता पर आधारित मजूरी देश की आर्थिक स्थित को ध्यान में न रखते हुए दे दी जाय। जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा और राष्ट्रीय सम्पत्ति नहीं बढ़ेगी, अधिक मजूरी नहीं दी जा सकती। हमें श्रमिकों के लिये अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार ही काम करना चाहिये। अतः इस देश में मजूरी का देश की राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि से सम्बन्ध होना चाहिये।

श्रमिक कल्याण के बारे में मेरा यह निवेदन है कि यह कुछ सीमित प्रयोजनों के लिये ही होना चाहिये जैसे उन क्षेत्रों में पीने का पानी प्रसूति लाभ तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिये, जहां पर किसी अन्य तरीके से कल्याण का काम नहीं किया जा सकता। परन्तु प्रत्येक पर श्रम कल्याण की व्यवस्था के तदनुरूप परिणाम नहीं निकलेंगे। इसके दो पहलू होने चाहिये। प्रथम तो आवश्यक वस्तुओं की उन स्थानों में सप्लाई की व्यवस्था करना, जहां और कोई साधन नहीं है और दूसरे उनके लिये उन चीजों की व्यवस्था करना जो मनोरंजन के सामान्य स्थानों पर प्राप्त नहीं है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री बे० कु० दासचौधरी (कूच बिहार) : श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय को सुचारु ढंग से काम करने के लिये अन्य मंत्रालयों से सम्पर्क रखना चाहिये।

यहां सभा में यह विचित्र तर्क प्रस्तुत किया गया है कि निर्वाह व्यय अथवा आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी का प्रश्न नहीं होना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं संविधान के अनुच्छेद 41 और 43 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिनमें कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास के दायरे में काम करने के अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार की व्यवस्था करेंगे और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगन की स्थिति में सरकारी सहायता प्रदान करेंगे।

माननीय मंत्री ने अपने आय व्ययक में और प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन तक में भी किसी भी प्रकार के उपायों का प्रस्ताव नहीं किया है। संविधान के निदेशक सिद्धान्तों में यह कहा गया है कि एक अच्छे स्तर को जीवन निर्वाह के लिये निर्वाह मजूरी सुनिश्चित की जानी चाहिये। माननीय मंत्री जी को संविधान के निदेश का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। जब तक इस देश के श्रमिकों के लिये इसकी व्यवस्था नहीं की जायेगी, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता।

बेरोजगारी की व्यापकता के बारे में माननीय मंत्री जी ने अपने बजट उत्तर में आंकड़े नहीं दिये हैं। हमारे पास आंकड़े हैं जिन पर संदर्भ अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। अतः इनको सरकारी आंकड़े माना जाना चाहिये। दूसरी योजना की समाप्ति पर बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 70 लाख थी, तीसरी योजना की समाप्ति पर यह संख्या 1 करोड़ हो गई है। यह संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि चौथी योजना की समाप्ति पर इस संख्या के 1 करोड़ 50 लाख होने की सम्भावन है। इस प्रकार से इन योजनाओं से बेरोजगारी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इन सब विशिष्ट तथ्यों पर विचार करें।

पुनर्वास के बारे में, श्री बनर्जी को छोड़कर, अन्य सदस्यों ने कुछ भी प्रकाश नहीं डाला है। मैं इस कार्यक्रम के बारे में भारत के प्रथम प्रधान मंत्री, स्वर्गीय श्री नेहरू द्वारा 1950 में लोक सभा में दिये गये वक्तव्य की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कुछ पाकिस्तान में होता है उसका भारत पर भी प्रभाव पड़ता है और हम इसको रोक नहीं सकते। हमारा पूर्वी बंगाल के निवासियों के प्रति कुछ कर्तव्य है। यदि उन्हें वहां कुछ खतरा है और हम उनकी वहां रक्षा नहीं कर सकते और इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है तो हमें उन्हें अपने राज्य क्षेत्र में लाना चाहिये। यह स्वर्गीय श्री नेहरू का आश्वासन था। परन्तु इस मंत्रालय ने पुनर्वास के प्रश्न को जिस पर सुलझाया है, वह संतोषजनक नहीं है। जहां-तहां कुछ रियायतें दी गई हैं। सरकार जिस प्रकार से बर्मा सरकार के साथ बर्मा में भारतीयों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति का पूरा प्रतिकर मांगने के बारे में बातचीत कर रही है, उसी प्रकार से भारतीय नागरिकों द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति के मुआवजे के लिये पाकिस्तान सरकार से बातचीत की जानी चाहिये। प्रश्न संख्या 701 के उत्तर में वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रजन्य को, जिनकी सम्पत्ति पाकिस्तान ने जब्त कर ली है, मुआवजे देने का प्रश्न इस समय पैदा नहीं होता।

मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी सरकार पाकिस्तान सरकार को यह कहने की स्थिति में क्यों नहीं है कि वह भारतीय नागरिकों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति को शत्रु सम्पत्ति घोषित नहीं कर सकती और उसका अर्जन नहीं कर सकती। हमारी सरकार ने केवल यह कहा है कि इसका नियंत्रण ताशकन्द घोषणा के अनुच्छेद 8 के अन्तर्गत आता है।

पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों के लिये जो नियम बनाये गये हैं, वे नियम पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होने चाहिए। पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को उनकी वहां की सेवा का लाभ, पेंशन आदि का लाभ दिया जाना चाहिये। इस प्रकार की योजना पश्चिम पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिये है। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे इस स्थिति पर गौर करें और गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के साथ बातचीत करें।

पारादीप के पास खारनसी रामनगर बस्तियों में रहने वाले पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की हालत दयनीय है, यद्यपि वे उन प्लाटों पर 17 वर्ष से अधिक समय से रह रहे हैं, परन्तु उन्हें अधिकार नहीं दिये गये हैं।

1967-68 और 1968-69 के प्रतिवेदनों में विषमता हैं। 1968-69 के प्रतिवेदन में कहा गया है कि आसाम के विभिन्न जिलों में 9848 परिवारों को बसाया गया है। 1400 और परिवारों को इस राज्य में 31 मार्च, 1970 तक बसाने की आशा है। लेकिन 1967-68 का प्रतिवेदन कहना है कि राज्य में विभिन्न पुनर्वास केन्द्रों में लगभग 7024 कृषक परिवार पहले ही भेज दिये गये हैं और शेष 3,000 परिवारों को कृषक और गैर कृषक परिवारों सहित 31 मार्च, 1968 तक योजना स्थलों पर भेज दिये जाने की आशा है। आसाम सहित 12,000 परिवार होंगे। 1968-69 के अन्तिम प्रतिवेदन में इन परिवारों की संख्या 12,000 से घटकर 9848 रह गई है। आसाम में शेष 3,000 परिवारों का क्या हुआ। इन दोनों प्रतिवेदनों में यही विषमता है।

दिल्ली में कालकाजी कालोनी में पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को बसाने का निर्णय किया गया था। जिन लोगों को 1962 में यह आश्वासन दिया गया था उन्हें 20 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से भूमि दी गई थी। इस क्षेत्र का विकास नहीं किया जा सका और अब उनसे 10 रुपये और मांगे जा रहे हैं। इनसे लाइसेंस शुल्क के रूप में 3 प्रतिशत राशि और मांगी जा रही है। परन्तु दिल्ली में कुछ उच्चाधिकारियों को 1 रुपया प्रति वर्ग गज के हिसाब से जमीन दी गई है, यह लज्जाजनक है। मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर विचार करें और लोगों को कालकाजी कालोनी में बसायें और उन्हें 20 रुपया प्रति वर्ग गज के हिसाब से जमीन दें। उनसे लाइसेंस फीस नहीं ली जानी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : 1947 से समय-समय पर, चीनी और पाकिस्तानी आक्रमणों के कारण काश्मीर राज्य के विभिन्न भागों के लोग विस्थापित हुये हैं। हमारी मुख्य समस्या पुनर्वास की है। केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में सभी प्रकार से पर्याप्त सहायता दी है ? कुछ मामलों में पंजाब से विस्थापित व्यक्तियों को छम्ब और जोरियां के विस्थापित व्यक्तियों की अपेक्षा पशु खरीदने के लिये अधिक सहायता दी गई है जब कि छम्ब जारियां के किसानों को भी अमृतसर से ही मवेशी खरीदने पड़ते है। इसके अतिरिक्त पंजाब के लोगों को फसल की हानि के लिये भी प्रतिकर दिया गया था जबकि काश्मीर के लोगों को नहीं दिया गया। अतः मेरा यह सुझाव है कि जम्मू तथा काश्मीर के लोगों को जो ऋण दिया गया है, उसे अनुदानों में बदल दिया जाय।

ट्रैक्टर प्रदान करने के बारे में हम केन्द्र के अभारी हैं। ये सुविधायें खेमकरण में निःशुल्क प्रदान की गई थीं जब कि छम्ब-जौड़ियां अंचल में इसके लिये 16 रुपये प्रति एकड़ मूल्य लिया गया है। पंजाब में जो कार्य गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा सम्पन्न किया गया, उसे जम्मू-काश्मीर में सरकारी स्तर पर करना चाहिये।

मेरी ये तीनों मांगें शरणार्थियों की ओर से हैं और इनको हल करना जरूरी है ।

जो शरणार्थी अब गृहहीन हो गये हैं, उन्हें बार-बार विश्वास दिलाया गया था कि संबंधित क्षेत्र भारत का है । ताशकन्द समझौते के अनुसार हमने विजित क्षेत्र पाकिस्तान को लौटा दिये हैं । जनता की पुनर्वास की मांग यथार्थ है और उसे मानना चाहिए ।

जब तक अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता, शरणार्थी लोगों को तब तक के लिये बसाना चाहिए । केन्द्र को उनके दावे पंजीकृत करने का रास्ता निकालना चाहिए । शरणार्थियों की सभी वर्तमान समस्यायें शीघ्र सुलझाई जानी चाहिए ।

श्री दे० अमात (सुन्दरगढ़) : देश के स्वतंत्र होने के बीस वर्ष में विविध उद्योगों का विस्तार हुआ है जिसके परिणामस्वरूप कार्मिक संघों की संख्या भी बढ़ गई है । सरकारी संस्थानों में लगभग 3500 करोड़ रुपये लगे हैं और उनसे 35 करोड़ रुपये की हानि हो रही है । इसके द्वारा कुछ हजार अधिकारियों की जेबें भरी जाती हैं जिनसे छुटकारा पाना चाहिए ।

श्रमिकों में असंतोष बढ़ता जा रहा है । घेराव, बन्द, ताला बन्दी, धीरे काम करो, कार्य त्याग, हड़ताल तथा भूख-हड़ताल का बोलबाला है । जिस समाज में हड़ताल का अधिकार न हो, वह समाज ही नहीं । राजनीतिक कार्मिक संघों पर राजनीतिक दलों का प्रभुत्व नहीं रहना चाहिए, अपितु कर्मचारियों का ही प्रभुत्व रहना चाहिए । कार्मिक संघों का उद्देश्य उचित वेतनों की प्राप्ति, कार्य-काल, सफाई, विनोद, बच्चों की शिक्षा तथा जीवन की अन्य सुविधाएं जुटाना होता है ।

पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति 20 कार्मिक संघों का अध्यक्ष है । यह प्रथा समाप्त होनी चाहिए । ऐसे व्यक्तियों का उद्देश्य स्वार्थ पूर्ति ही होता है और वे समस्याएं उत्पन्न करते हैं और अशांति बनाए रखते हैं ।

जब तक संस्था लाभ में चलती हैं, समयोपरि भत्ता, लाभांश आदि मिलते रहते हैं । जब फैक्टरी का दिवाला निकल जाता है, तब किसका हित होता है ?

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन काल में 4000 कार्मिक संघों की मान्यता समाप्त की गई वैसी ही कड़ी कार्यवाही अन्य राज्यों में भी की जानी चाहिए ।

केन्द्रीय सरकार के संस्थानों को आदर्श नियोजक बनना चाहिए । सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि श्रमिक आन्दोलनों से भारत में उद्योगों की हानि न हो ।

वेतन बोर्डों की सिफारिशों में उत्पादन का कुछ भी ध्यान नहीं रखा जाता जबकि ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक है ।

रूरकेला का निर्माण निर्धन व्यक्तियों की झोपड़ियों पर हुआ था । उन आदिवासियों के पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए, तथा उन्हें नौकरियों में प्राथमिकता मिलनी

चाहिए । इस बारे में उन्हें दिये गये आश्वासन पूरे नहीं किये गये । श्री के० डी० चन्दे का यह कथन, कि निम्न श्रेणियों का 50-60 प्रतिशत तथा उच्च श्रेणी के पदों का 90% इस क्षेत्र के व्यक्तियों को दिया गया है, सत्य नहीं है । उड़ीसा वासियों के हितों का संरक्षण नहीं हो पाया । हम शिव सेना जैसी कोई सेना स्थापित नहीं करना चाहते । आदिवासियों का शोषण हो रहा है । उन पर यह कथन पूरी तरह चरितार्थ होता है :

बुभुक्षितः किं न करोति पापम् ।

वे लोग बड़े-बड़े पद नहीं चाहते और न वे यह चाहते हैं कि उन्हें चपरासी या संदेश वाहक के पद से भी वंचित रखा जाए ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): The industrial Estate of Modinagar is the only township near Delhi which is owned by a single industrialist.

Firing incident took place in Modinagar causing death of two workers. The report of the enquiry commission appointed in the matter has not so far been placed on the Table of the House. What are the reasons for hiding the facts?

The population of this town is 65-70 thousands. Normally in U. P. a Municipality is established for towns whose population is 40 thousands. That can yield a sum of 8-10 lakhs of rupees per year by way of excise duty. In stead of a Municipality a town area committee has been formed there which poses as if it is working in the interest of the people.

When the State was under President's rule, an advisory committee was set up which recommended that Modinagar should have a Municipality. The sanitation of that town is unsatisfactory. In view of the above, why a Municipality is not being formed in that town, so that the sanitation may improve and proper attention be paid to the health of the poor people.

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore): Why has the registration of the trade union in Modinagar been cancelled?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : माननीय सदस्यों ने विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं । समयाभाव से मैं उन सभी बातों का उत्तर चाहते हुए भी नहीं दे पाऊंगा ।

सरकार की नीति मजबूत श्रमिक संगठनों को बढ़ावा देने की है जिससे कि कार्यकर्त्ताओं को न्याय मिले तथा वे सामूहिक सौदेबाजी का लाभ प्राप्त कर सकें । हम चाहते हैं कि उत्पादन बढ़े और लाभांश में मजदूरों को भाग दिया जाये ।

ध्यान से देखा जाए तो श्रमिक सम्मेलन में पारित प्रस्तावों में श्रमिक संघों पर निम्न प्रस्ताव रखे गये थे :

श्रमिक संघों के नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाये । इसके बिना स्वतन्त्रता तथा स्वायत्तता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ठीक नहीं ।

औद्योगिक उत्पादन क्षमता का, श्रमिकों के मूलभूत अधिकारों में हस्ताक्षेप किए बिना विस्तार ।

श्रमिकों के साथ सहयोग तथा उनकी प्रबन्ध व्यवस्था में योग प्राप्त किया जाये ।

औद्योगिक शान्ति बनाए रखने के लिए मामलों का शीघ्र निर्णय लिया जाये ।

किन कारणों से इनका विरोध किया जाता है, वे मालूम नहीं हो सके ।

श्री बनर्जी ने स्वीकार किया है कि यदि मामले निर्णय के लिए भेजे जाते हैं तो हड़तालें कानूनी तौर से अवैध हो जाएंगी । यदि कर्मचारियों का हड़ताल का अधिकार छीना जाता है तो उन्हें उपयुक्त विकल्प दिया जाना चाहिए । इस बारे में गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वैकल्पिक साधन जुटाने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा । श्रमिक सरकार का उपयोगी अंग है तथा उनके हितों का ध्यान रखा जायेगा ।

सितम्बर, 1968 में महंगाई भत्ते के मामले में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को निमंत्रित किया गया था । श्री बनर्जी को भी निमंत्रित किया गया था परन्तु वह बीमारी के कारण नहीं आ सके ।

टोकियो में अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के अभिसमय के बारे में भारत का रिकार्ड शानदार रहा है । अन्य एशियाई देशों की तुलना में भारत ने सर्वाधिक अभिसमयों का समर्थन किया था । किसी अभिसमय का समर्थन करने से पूर्व श्रमिकों, कर्मचारियों तथा सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय किया जाता है ।

इस मामले में एकमात्र आपत्ति यही थी कि यह देश के कानून के विरुद्ध थी । श्रमिक संघों को संस्था बनाने का अधिकार है । हमारे यहां कानून यह है कि पदाधिकारी बाहर के व्यक्ति ही हो सकते हैं । ऐसे अभिसमय का समर्थन करना हमारे लिए कठिन हो जाता है ।

औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में श्री कान्तन ने बताया है कि 1,000 मामले अनिर्णीत पड़े हैं । सम्भवतः उन्होंने सभी राज्यों के आंकड़े भी लिए हैं परन्तु उनके लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं ।

केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में तथ्य यह है कि 1968 में 8450 मामले विचारार्थ प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें से 7645 निपटा दिये गये हैं । अभिप्राय यह है कि चार महीने में 91% मामले निपटाये गये । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि कार्यवाही नहीं की गयी । कुल 7000 मामलों में से 373 मामलों में यह हड़ताल हुई है जो कुल मामलों का 4.3% है जबकि 1966 में प्रतिशतता 5.53% थी और 1967 में 6.33% । केन्द्रीय क्षेत्र में 1968 में 16.29 लाख जन-दिनों की हानि हुई थी जबकि 1967 में 20.26 जन-दिनों की हानि हुई थी ।

इस प्रकार होने वाली जन-दिनों की हानि विचारणीय है । इससे उत्पादन का ह्रास होता है । ऐसा क्यों होता है ? श्रमिकों को उन्हीं उपलब्धियों पर निर्वाह करना पड़ता है जो उन्हें प्राप्त होती हैं । इस प्रकार आर्थिक स्थिति का, मूल्यों में वृद्धि का उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वे लोग वेतन वृद्धि की मांग करते हैं । जन-दिनों की हानि में से 60% हानि

दो उद्योगों में होती है, जोकि वस्त्र तथा इंजीनियरिंग उद्योग हैं। झगड़ों का कारण 69% मामलों में वेतन, बोनस छंटनी तथा व्यक्तिगत मामले होते हैं उद्योगपति कहते हैं कि छंटनो औद्योगिक मंदी के कारण अनिवार्य थी, जबकि कर्मचारियों का मत है कि उन्हें कार्य पर लगाया जा सकता है। हमें एक समिति बनानी चाहिए। जिसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधि हों, मालिकों के प्रतिनिधि हों तथा एक निष्पक्ष व्यक्ति हो जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो और उस समिति में यह निर्णय किया जाये कि यह उद्योग भार-वहन की स्थिति में है अथवा नहीं ।

श्रमिकों का कहना है कि वे उन्हें बाहर निकालना चाहते हैं। अतः हमें देखना यह है कि क्या वहां 2000 व्यक्तियों के बजाए 1000 व्यक्ति पर्याप्त होंगे तथा श्रमिकों, मालिकों एवं उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को मिलाकर एक स्वतंत्र निकाय, जो यह बता सके कि इस उद्योग में 200 व्यक्तियों को नहीं लगाया जा सकता अथवा 500 व्यक्तियों को लगाया जा सकता है तथा जिसका निर्णय सबको मान्य हो, यह भी हमें देखना है। इसी अनुभव का प्रयोग मैंने कलकत्ते में किया तथा वहां जनवरी में श्रमिकों एवं मालिकों ने मिलकर सर्व सम्मति से सहमत होकर निर्णय किया है। इसलिए श्रमिक तथा मालिक एक साथ बैठकर अपनी कठिनाइयों व समस्या को निपटाएं। इस विषय में मैंने श्रम मंत्री श्री घोष से सम्पर्क स्थापित कर लिया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि यदि एक समस्या उत्पन्न हो जाए तो उसका कोई समाधान ही नहीं। मैं सदा आशावादी रहा हूं तथा श्रमिकों के साथ मैं कभी हतोत्साह नहीं हुआ। यदि इनका सही रूप से मार्ग दर्शन किया जाए तो वे हमारी सब बातें सुन लेंगे वे जानते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तथा अधिक उत्पादन एवं अधिक परिश्रम की आवश्यकता है, तथा वे आशा से अधिक धन उपार्जन कर सकते हैं परन्तु मालिक और श्रमिक—इन दोनों में सन्देह उत्पन्न हो गया है। मालिक तो यह अनुभव करते हैं कि श्रमिकों को अधिक लाभ होता है, तथा छोटी-छोटी बातों को लेकर यदि श्रमिक हड़ताल करेंगे तो मालिक उनके वेतन में कमी कर देंगे। मालिक तथा श्रमिक परस्पर सहयोग से कार्य करें और मालिक इस बात को ध्यान में रखें कि उन्हें जो लाभ होता है वह श्रमिकों के परिश्रम का ही फल है। श्रमिकों को भी यह ध्यान रखना चाहिए लाभ का सारा धन केवल मालिकों के घरों में नहीं जायेगा, बल्कि इसका अंश उन्हें भी मिलेगा। इसलिए यदि दोनों वर्ग बिना किसी मतभेद के सर्वसम्मति से सहमत हों तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का निर्णय पंच के पंचाट का कार्य करेगा। यह कहना गलत है कि श्रमिक अपना उत्तरदायित्व नहीं समझते और यदि ऐसी बात है तो मैं केवल श्रमिकों को ही दोषी नहीं ठहराता। समस्त लोग दोषी हैं। श्रम मंत्रालय का कार्य केवल उत्पादन जन्य ही नहीं होना चाहिए बल्कि इसके साथ साथ देश में अधिकाधिक उत्पादन तथा रोजगार बढ़ना चाहिए तभी लाभ होगा।

श्रम मंत्रालय का कार्य बहुत कठिन है। श्रमिकों के हितों की रक्षा भी हो तथा साथ-साथ उन्नति के कार्य भी हों, इन सबको देखना होता है। परन्तु यदि श्रमिकों की मांगें अनुचित हों, जैसे बिजली वेतन बोर्ड ने कहा है कि बिजली की दरों में वृद्धि विगत काल से कर दी जाए तो

यह सम्भव नहीं है कि उपभोक्ताओं से कहा जाए कि वे डेढ़ वर्ष पीछे से बढ़ी हुई दरों में भुगतान करें। इससे कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी।

कहा गया है कि श्रमिकों के अधिकार तथा उनके हितों के लिए बजट में कम धन की व्यवस्था की गई है। इस सम्बंध में चौथी पंचवर्षीय योजना में 37 करोड़ रुपये की व्यवस्था है जो प्रशिक्षण तथा अन्य सुविधाओं के लिए है। श्रमिक-कल्याण के लिए हम करोड़ों रुपये की राशि व्यय करते रहे हैं। इस योजना के लिए 37 करोड़ रुपए की राशि तो बहुत ही कम है। 1969-70 के दौरान 50.44 लाख रुपए अबरक की खानों के लिए; 65.64 लाख रुपए कच्चे लोहे; 5.15 करोड़ रुपये कोयला-कल्याण; तथा 38 करोड़ रुपये औषधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत वित्तीय सुविधा आदि की व्यवस्था है। रानीगंज के लिए पानी की व्यवस्था के लिए 7 करोड़ रुपये के खर्च में से एक करोड़ रुपया हमने पश्चिमी बंगाल को दिया है। झरिया को हम 40 लाख रुपया दे रहे हैं।

यह तो जल सम्भरण तथा आवास से सम्बन्धित है, परन्तु जहां जल सम्भरण का कार्य नहीं है वहां हम अन्य प्रकार के कल्याण कार्य कर रहे हैं।

गोआ में भी श्रम कल्याण कार्य हेतु, एक मण्डल की स्थापना की गई है तथा वहां के एक मंत्री उस मण्डल के सभापति हैं तथा राज्य सरकार को मैंने इस सम्बन्ध में शक्ति दे दी है जिससे वे हर छोटे-मोटे कार्य के लिए यहां आने का कष्ट न करें। समस्त कल्याण मण्डलों की कार्यवाही का समन्वय करने के लिए उनकी एक बैठक बुलाई जायेगी। दूसरे यह योजना प्रस्तुत कर दी गई है जिसको अन्तिम रूप देने में लगभग आठ महीने लग जायेंगे। इसका परिहार करने के लिए जल तथा आवास के लिए हमने एक आदिरूपीय योजना बनाई है और यदि यह योजना एकबार स्वीकृत हो गई तो इसे क्रियान्वित किया जा सकता है।

सरकारी क्षेत्र के कार्यों के सम्बन्ध में यह धारणा बनाई जा रही है कि वहां पर श्रम सम्बन्धी विधि-विधानों को लागू नहीं किया जाता। इसे मैं मानने को तैयार नहीं। परन्तु कुछ मामलों में हमें सतर्क रहना पड़ता है। 27 सरकारी क्षेत्र के व्यवसायों के सर्वेक्षण के फलस्वरूप मुझे ज्ञात हुआ कि अनेक उपक्रमों का कार्य सुचारुरूप से चल रहा है, ग्यारह उपक्रमों में श्रमिक सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं, 16 उपक्रमों में श्रम सम्बन्धी विधि-विधानों का उल्लंघन हो रहा है।

शरणार्थियों को लघु तथा घरेलू उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है परन्तु बेरोजगार व्यक्तियों को सहायता देने के सम्बन्ध में मैं यह उत्तरदायित्व नहीं लूंगा, किन्तु बेरोजगार श्रमिकों के लिए मैं हर सम्भव प्रयत्न कर रहा हूं जिसके लिए मैंने बेरोजगारी-सहायता योजना नाम से एक योजना तैयार की है। मैंने इसे स्थाई श्रम समिति में भेज दिया है। राज्य सरकारों ने भी इस सम्बन्ध में अपने विचार भेज दिए हैं जिन पर विचार किया जायेगा।

दूसरे भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा, उन दोनों कार्मिक सुरक्षा निधियों का विलय करने का मेरा विचार है जिससे प्रशासनिक खर्च में कमी आयेगी ।

जहां तक दिल्ली की कालकाजी बस्ती का प्रश्न है, हम वहां पर उन व्यक्तियों को भूमि लाभ कमाये बिना देते हैं जो दिल्ली में लाभकारी कारोबार करते हैं तथा जो पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए हैं । हर किसी को भूमि नहीं देते ।

पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों को 50,000 रुपये लाने पर भूमि दी जा सकती है । इस सम्बन्ध में मैं वित्त मंत्रालय से मिलूंगा ।

मोदीनगर नगरपालिका का मुझसे कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु मैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्रतिवेदन प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा तथा प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दूंगा । जिन व्यक्तियों को हानि पहुंची है हमें उनसे पूरी सहानुभूति है तथा उन ऋणों को हम अनुदानों में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं समस्त कटौती प्रस्तावों को एक साथ सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभा में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए तथा अस्वीकृत हुए

All the Cut motions were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1979-70 के लिये श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

All the following demands in respect of the Ministry of Labour and Rehabilitation were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
68	श्रम नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय	70,60,000
69	खान सुरक्षा महानिदेशक	48,57,000
70	श्रम और नियोजन	13,70,32,000
71	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	15,53,38,000
72	श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	7,20,000
125	श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	4,53,39,000

उपाध्यक्ष महोदय : अब आधे घंटे की चर्चा होगी ।

फर्टिलाइजर्ज एण्ड कैमिकल्ज ट्रावनकोर लि० *

FERTILISERES AND CHEMICALS TRAVANCORE LTD.*

श्री ए० श्रीधरन : मैं आधे घण्टे की चर्चा आरम्भ करता हूं। मैं इस तथाकथित कृषि-क्रान्ति से जो भारतवर्ष के प्रत्येक भाग में फैलेगी पूरी तरह अवगत हूं, जिससे प्रत्येक गांव तथा प्रत्येक घर में आशा की नई किरण फैलेगी। इस कृषि-क्रान्ति के तीन आधार हैं यथा अच्छी किस्म के बीज, उर्वरक तथा अपेक्षित समय पर वर्षा। इसलिए देश में उर्वरकों का उत्पादन तथा उसे कम मूल्य पर किसानों को देने के लिए गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

फर्टिलाइजर्ज एण्ड कैमिकल्ज ट्रावनकोर लिमिटेड कारखाने की 1947 में ट्रावनकोर सरकार ने स्थापना राजकीय उपक्रम के रूप में की थी। उस समय इसे लाभ हुआ। परन्तु इसके पश्चात् समय के साथ-साथ इस कारखाने का कार्य तथा प्रबंध आदि धीरे-धीरे बिगड़ता चला गया। वर्ष 1968 में टेन्नेसी घाटी अधिकरण के विशेषज्ञों का एक दल भारत में आया और इसने देश के उर्वरक कारखानों को देखा तथा इनके उत्पादन के सम्बंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि उर्वरकों का उत्पादन करने वाले समस्त कारखानों को एक निगम के अधीन कर दिया जाए। और यह सुझाव बहुत ही अच्छा है। परन्तु इस सुझाव को कार्यान्वित नहीं किया है।

[**श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए**
Shri Vasudevan Nair in the Chair]

यदि इस कम्पनी को एक निगम के अन्तर्गत कर दिया जाए तो इस पर अधिक सतर्कता तथा नियंत्रण रखा जा सकता है, तथा इसकी स्थिति में सुधार हो जाते। इस कम्पनी के उत्पादन के सम्बंध में मैंने पिछले दो वर्षों में कई बार इस सदन में प्रश्न उठाए परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ। अब डा० त्रिगुण सेन जी मंत्री हैं और मुझे पूरी आशा है कि वे इस ओर ध्यान देंगे।

इस कम्पनी की स्थापित क्षमता 3,79,500 टन है परन्तु वास्तविक उत्पादन 1,73,776 टन है। जो स्थापित क्षमता का 46 प्रतिशत है। जब सरकार से इस कम्पनी की उत्पादन क्षमता में कमी होने के कारण पूछे जाते हैं तो उत्तर मिलता है कि क्योंकि यह सरकारी उपक्रम है, इसलिए उत्पादन में कमी आती जा रही है। यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की यह स्थिति है तोसीन्दरी उर्वरक कारखाने की उत्पादन क्षमता स्थापित क्षमता का 80 प्रतिशत है, ट्राम्बे की 75 प्रतिशत है, कोचीन की 102 प्रतिशत तक है। अतः मंत्री महोदय इस सम्बंध में मुझे स्पष्ट उत्तर देने की कृपा करें। मुझे पता है कि इस कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक मेरे तथा संसद् के विरुद्ध इस मामले में कार्यवाही करने के लिए पिछले दो दिनों से दिल्ली में है। प्रबंधक इस उत्पादन क्षमता में कमी होने के विविध कारण बताते हैं जैसे, बिजली न मिलना श्रमिकों की हड़ताल आदि, कम्पनी इस समय विस्तार के चौथे प्रक्रम में है परन्तु उत्पादन दूसरे स्तर के बराबर भी नहीं है। इस कारण का स्पष्टीकरण सरकार तथा प्रबन्धक निदेशक कैसे दे सकते हैं? 1967 में बिजली पूरी शक्ति से दी गई थी, श्रम सम्बंधी कठिनाइयां भी नहीं के बराबर थीं। फिर भी

* आधे घण्टे की चर्चा।

*Half-an hour discussion.

उत्पादन क्षमता में सुधार नहीं हुआ। कुप्रबन्ध, बेकार के खर्चों तथा प्रत्येक प्रकार के स्वार्थ साधनों के कारण इस कम्पनी को घाटा हुआ तथा इस सम्बंध में हमने तत्कालीन मंत्री जी को एक ज्ञापन दिया था कि इसके बारे में जांच-पड़ताल की जाए। परन्तु उनका केवल उत्तर था कि "कम्पनी को अब लाभ हो रहा है"। यह लाभ किस प्रकार से हो रहा है यह तो केवल बेचारा कृषक ही बता सकता है जिसे इस कम्पनी का खाद 291.93 रुपये प्रति टन अधिक खरीदना पड़ता है। क्योंकि सीन्दरी कारखाने के खाद का मूल्य 284.81 रुपये प्रति टन है जबकि फर्टिलाइजर्ज एण्ड कैमीकल्ज ट्रावनकोर लि० का खाद 576.74 रुपये प्रति टन। इसके लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है वह तो निर्धन किसानों के पेट पर लात मार रही है उनका शोषण कर रही है। इस पर आप लोगों से कहते हैं कि यह कम्पनी लाभ कमा रही है। आप निर्धनों से चोर-बाजारी कर रहे हैं।

यह लाभ केवल उर्वरक के विक्रय से ही नहीं हुआ है। 1966-67 में कम्पनी ने 92.2 लाख रुपये की केन्द्रीय आर्थिक सहायता प्राप्त की तथा 'फेडो' आकार संगठन तथा जो कोचीन फर्टीलाइजर के कार्य की पर्यवेक्षण करती है, से भी धन प्राप्त किया। मुझे अब पता चला है कि कम्पनी ने सरकार से अनुरोध किया है कि 10 प्रतिशत दाम बढ़ा दिए जाएं। अतः इन्हीं कारणों से यह लाभ हुआ है। मंत्री महोदय ने भी स्वीकार किया है कि वहां बेकार के खर्चे होते हैं। जब हमें उर्वरक का आयात करना पड़ता है तो सरकार इन कारखानों का प्रचार क्यों करती है? 1963-64 में इस कम्पनी ने विज्ञापनों तथा प्रचार पर 3.86 लाख रुपये, 1964-65 में 4.71 लाख रुपये तथा 1966-67 में 6.73 लाख रुपये खर्च किये। 1963 तथा 1967 के बीच यह खर्चा द्विगुणा हो गया।

अब यात्रा पर हुए व्यय के विषय में बताता हूं। 1964-65 में यात्रा खर्च 2,29,643 रुपये, तथा 1966-67 में 5,65,580 रुपये हो गया। ये किस प्रकार की यात्रा करते हैं कुछ पता नहीं चलता तथा देश ही जनता की गाढ़े पसीने की कमाई को इस प्रकार नष्ट किया जाता है। इस कम्पनी ने दो प्रदर्शनियां कीं। एक मद्रास में जिस पर 5 लाख रुपये खर्च हुए तथा दूसरी दिल्ली में जिस पर 6 लाख रुपये व्यय हुए। देश में 250 लाख कुष्ठ रोगी हैं जिनके लिए पर्याप्त औषधि तथा आवास की व्यवस्था सरकार ने करने के लिए ध्यान नहीं दिया है। निर्धन व्यक्ति का बच्चा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता केवल धनाभाव के कारण। क्षय रोगियों को औषध सहायता नहीं मिलती है परन्तु दूसरी ओर रुपया नालियों में गन्दे पानी की तरह बहा दिया जाता है।

अतिथि-गृह के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि इस कम्पनी के दिल्ली में एक अतिथि-गृह में एक कांग्रेस संसद् सदस्य रहते हैं और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। ये अतिथि-गृह कम्पनी के अधिकारियों के लिये नहीं बनाए गए हैं, किन्हीं और व्यक्तियों के लिए भी हैं, जिसे रोकने के लिए सरकार ने गोपनीय आदेश भी दिये हैं तथा सरकार को यह बात मानना पड़ेगी।

इन प्रशंसनीय प्रबन्ध निदेशक ने उत्पादन बढ़ाने के लिये 'नाग पूजा' का कम्पनी के भीतर ही अनुष्ठान किया। अत: जहां तक धर्म का प्रश्न है हम धर्मनिर्पेक्ष राज्य में रहते हैं।

एमोनियम क्लोराइड तथा गंधक के तेज़ाब का उपयोग ट्रावनकोर-कोचीन कैमीकल्स, ट्रावनकोर कैमीकल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी इत्यादि कारखानों आदि में किया जाता है तथा सभी कारखाने एफ० ए० सी० टी० के आस-पास ही स्थित हैं। अत: दिल्ली में बिक्री एजेंसी के खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त बिक्री पर 1960 में 4.4 लाख रुपये कमीशन के रूप में दिया गया था। 1968 में यह राशि बढ़कर 38.7 लाख रुपये हो गई। इस प्रकार 1960-68 के अन्तर्गत यद्यपि बिक्री 4½ गुनी हुई तथापि कमीशन में 9½ गुनी वृद्धि हुई है। इसका कारण यह है कि प्रबन्ध निदेशक भी कमीशन में भागीदार होता है। यह निदेशक सरकार की विभिन्न नीतियों की आलोचना भी करता रहता है।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण): माननीय सदस्य ने जो मुख्य बातें कही हैं वे इस प्रकार हैं कि : कुप्रबन्ध, अपव्यय तथा सरकारी अधिकारियों की उपेक्षा के कारण स्थापित क्षमता तथा उत्पादन नहीं हो सका तथा प्रबन्ध बहुत खर्चीला है। वस्तुत: किसी कारखाने की निर्धारित क्षमता या उससे कम क्षमता का पता लगाने के लिये उसकी स्थापित क्षमता तथा उपलब्धि योग्य क्षमता का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसाकि मेरे माननीय मित्र ने उल्लेख किया है तीसरे स्तर के विस्तार कार्य पूरे हो चुके हैं तथा कारखाने की क्षमता के अनुसार उनमें 70,000 मीट्रिक टन नाइट्रोजन तथा 33,500 मीट्रिक टन $पी_2 ओ_5$ का उत्पादन हो सकता था। किन्तु बिजली की कमी के कारण 8 इलेक्ट्रोलीसरों में से 5 इलेक्ट्रोलीसर नांगल उर्वरक को बेच दिये गये हैं। अत: कारखाने की क्षमता 62,000 टन रह गई।

किसी कारखाने की निर्धारित क्षमता प्राप्त करना अच्छा ही है किन्तु कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनके कारण ऐसा हो नहीं पाता। इसके पश्चात इसके कारखाने में 55,000 मैट्रिक टन नाइट्रोजन तथा लगभग 33,500 मीट्रिक टन $पी_2 ओ_5$ का उत्पादन किया जा सकता है। यह सच है कि 1966-67 में इस क्षमता का 44.5 प्रतिशत उत्पादन, 1967-68 में 47.49 प्रतिशत तथा 1968-69 में 64.5 प्रतिशत उत्पादन ही हो सकता था।

जहां तक बिजली की सप्लाई का सवाल है 1963-64 में इस कम्पनी को 23,000 कि० वा० बिजली से अधिक की सप्लाई नहीं हुई थी जबकि उसकी साधारण मांग 31,000 कि० वा० है। इसी वर्ष में कई अवसरों पर तो उसे केवल 14,000 कि० वा० बिजली ही मिल सकी थी। 1964-65 में भी अप्रैल से जून तक 14,000 कि० वा० से 8,000 कि० वा० तक बिजली की सप्लाई हुई। अत: जून 1967 तक इस कम्पनी को इसी प्रकार से कम तथा अनिश्चित रूप से बिजली की सप्लाई मिलती रही। (अन्तर्बाधायें)

Shri Ishaq Sambhali (Amroha) : The Hon. Minister may kindly mention the steps which have been taken to promote the production in the Public Sector Undertakings. There is no use of only expressing this regret because the production in these undertakings has been reduced.

श्री द० रा० चह्वाण : बिजली की कमी के बारे में मैं बतला चुका हूं, जहां तक सरकार द्वारा इस मामले में की गई कार्यवाही का प्रश्न है तो इस मामले को केरल सरकार तथा केरल राज्य विद्युत बोर्ड के साथ उठाया गया था तथा परिणामस्वरूप विद्युत वितरण की समस्या का पता लगाने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी जिसमें केरल सरकार, केरल राज्य विद्युत बोर्ड तथा कुछ उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि सम्मिलित थे ।

1963-64 से 1967-68 के बीच की अवधि में लगभग 780 विद्युत व्यवधान हुए जिनके कारण लगभग 60,800 मीट्रिक टन अमोनिया के उत्पादन की हानि हुई । बिजली की कम सप्लाई तथा व्यवधान के कारण ही मुख्यतः उत्पादन में कमी हुई । तभी पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में इस प्रश्न को उठाया गया तथा मंत्रालय के सचिव श्री नायक ने इस समस्या की जांच की । उन्होंने कुछ सिफारिशें भी कीं । उत्पादन में कमी के कारणों की जांच करने के लिए शर्मा समिति भी नियुक्त की गई थी । वास्तव में उस समिति की कुछ सिफारिशों को तो कार्यान्वित किया भी जा चुका है । साथ ही इस कारखाने में उत्पादन भी 26,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 35,000 मीट्रिक टन हो गया है ।

तत्कालीन मंत्री महोदय को जो ज्ञापन दिया गया था उसमें दो प्रकार के आरोप लगाये गये थे, व्यक्तिगत तथा अपव्यय सम्बन्धी । ज्ञापन मिलने पर एफ० ए० टी० सी० के प्रबन्ध-निदेशक ने इस मामले की जांच करने की मांग की थी तथा उन्हीं की प्रार्थना पर पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय के सचिव को मामले की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था ।

श्री ए० श्रीधरन : ज्ञापन में संसदीय समिति द्वारा जांच कराने का अनुरोध किया गया था । (**अन्तर्बाधायें**)

श्री द० रा० चह्वाण : माननीय सदस्य को सचिव तथा निदेशकों की समिति पर कोई विश्वास नहीं है तो उन्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि सरकारी उपक्रमों से सम्बन्धित समिति ने इस मामले की जांच कर ली है तथा यह समिति अपना प्रतिवेदन देने ही वाली है । प्रतिवेदन प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दिया जायेगा तथा माननीय सदस्य उसे देख कर फिर इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं ।

अपव्यय के सम्बन्ध में मंत्रालय के सचिव ने जांच की है । निदेशकों की समिति भी इसकी जांच करने के लिए नियुक्त कर दी गई है ।

केरल विधान सभा में जब प्रबन्ध निदेशक के बारे में इसी प्रकार के प्रश्न किये गये थे तो विधान सभा में उद्योग मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा था कि जब से श्री एम० के० के०

नायर ने भार सम्भाला है तब से कम्पनी का उत्पादन बढ़ता जा रहा है तथा वह समृद्धिपूर्ण होती जा रही है। अतः प्रबन्ध निदेशक पर आरोप लगाना निराधार है। यह भी आरोप लगाया गया है कि सिंदरी उर्वरक को 244 रुपये प्रति मीट्रिक टन के भाव में बेचा जा रहा है। माननीय सदस्य का यह आरोप भी मिथ्या है। सिंदरी उर्वरक का प्रति मीट्रिक टन मूल्य 502 रुपये है। मेरा विश्वास है कि सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में संसदीय समिति ने सभी पहलुओं से समस्या पर विचार किया होगा। उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा तथा उससे माननीय सदस्यों के प्रश्नों का विस्तारपूर्वक उत्तर मिल जाएगा।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani): May I know whether the Government would like to refer this matter to Central Investigation Bureau to look into all the charges made against the Managing Director of FATC in order to eliminate all the lurking suspicions in minds of the Hon. Members in this regard?

I also want to know the number of recommendations implemented so far out of those made by a team which was appointed in 1968 to work out the improvement in the management. May I know whether that Team has recommended the worker's participation in the management and if not, whether the Government are going to make any plan with regard to the worker's participation in management in order to instill a sense in the workers that it is their own company and therefore its production should eventually increase?

May I know, the amount and the percentage of the foreign exchange, if any, involved in this company?

श्री नन्दकुमार सोमानी (नागपुर) : श्री श्रीधरन के मूल प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर देते समय माननीय मंत्री ने कहा था कि चोरी, दुर्विनियोजन तथा असंगतियों के कारण इस परियोजना में होने वाली हानि से सम्बन्धित तथ्यों का पता लगाया जा रहा है तथा जैसे यह तथ्य इकट्ठे हो जाएंगे उन्हें सभा-पटल पर रख दिया जायेगा। इस संगठन के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों के मन में शंकाएं हैं तथा इसीलिये इतने प्रश्न पूछे गये हैं। मंत्री महोदय को इससे सम्बन्धित सभी तथ्यों को सभा-पटल पर अब तक रख देना चाहिए था। सभी प्रतिवेदनों पर सरकार को शीघ्रता से विचार करके उन पर अपना निर्णय दे देना चाहिए जिससे इन मामलों में देरी न हो। 1968 से अभी तक तकनीकी विशेषज्ञों की समिति के विचारों की सरकार जांच कर रही है। मंत्री महोदय को इस देरी के लिये कारण बताने चाहिए। क्या माननीय मंत्री उर्वरकों के सम्बन्ध में उत्पादन, योजना तथा विपणन आदि सभी दृष्टिकोणों का उल्लेख सदन में करेंगे। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उर्वरकों से लाभ की मात्रा को ध्यान में रखते हुये उनका क्या मूल्य निश्चित किया जायेगा। यह आवश्यक है कि किसानों को उर्वरक उचित मूल्यों पर मिलने चाहिए तथा उन्हें उर्वरकों के प्रयोग से लाभ भी होना चाहिए। अन्य इसी प्रकार के उद्योगों के सम्बन्ध में टेरिफ आयोग ने मूल्य निर्धारण का जो तरीका अपनाया है क्या एफ० ए० सी० टी० के सम्बन्ध में यही तरीका अपनाया जा सकता है?

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : यह दुख की बात है कि यहां सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों के उपक्रमों की आलोचना की जाती है। पता नहीं देश में किसी प्रकार का उद्योग

होना भी चाहिए या नहीं। क्या इस मामले को सभा की समिति को सौंपा जा सकता है ? इन बातों से सरकारी अधिकारियों का आत्मविश्वास समाप्त हो जायेगा।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जब कोई अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं है तो उस पर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं ? इन मामलों की जांच के लिये समिति है अतः सभा में इस प्रकार के मामले नहीं उठाने चाहिए अन्यथा सरकारी कर्मचारियों के विश्वास को आघात पहुंचेगा।

योजना आयोग के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि 1050 हजार मीट्रिक टन उर्वरक का उत्पादन का लक्ष्य निश्चित किया गया था किन्तु वास्तव में 550 हजार मीट्रिक टन उर्वरक का उत्पादन हो पाया है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि क्या यह कारखाना अन्य कारखानों के मुकाबले अच्छा कार्य नहीं कर रहा है ?

श्री द० रा० चह्वाण : सभापति महोदय, एक सदस्य ने यह सुझाव दिया कि इस मामले की जांच के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त की जाये। मेरे यह बतलाने पर कि ऐसी समिति नियुक्त की जा चुकी है तत्काल दूसरे सदस्य ने केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा जांच की सलाह दी। वस्तुतः एक ही प्रश्न को बार-बार पूछा जा रहा है तथा आधे घन्टे की चर्चा में भी अनुपूरक प्रश्नों को अनावश्यक रूप से बढ़ाया जा रहा है। कभी संसदीय समिति की मांग की जाती है तथा कभी सी० वी० आई० की। महोदय मैं इस प्रकार की मांगों को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य उन्हीं प्रश्नों को महत्व दें जिन्हें वे आवश्यक समझते हैं। कुछ माननीय सदस्य एक अमरीकी टीम द्वारा प्रस्तावित इन सभी परियोजनाओं के लिए एक निगम बनाने के प्रस्ताव के बारे में जानना चाहते थे। अतः मैं यह प्रश्न रखना चाहता हूं।

श्री द० रा० चह्वाण : तकनीकी समिति की बहुत-सी सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा चुका है तथा शेष को अभी कार्यान्वित करना है।

सभापति महोदय : नहीं, प्रश्न यह नहीं था।

श्री द० रा० चह्वाण : इस परियोजना को भारत उर्वरक निगम के अन्तर्गत लाना चाहिए या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर इस समय देना सम्भव नहीं है।

श्री सोमानी के इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं दिया जा सकता कि इसमें लाभ की कितनी मात्रा है क्योंकि मुझे अभी अन्य उर्वरक कारखानों के साथ इसकी तुलना करनी होगी ।

अन्य वर्तमान कारखानों की स्थापित क्षमता लगभग 10.5 लाख मीट्रिक टन है तथा उत्पादन की मात्रा 5.5 लाख मीट्रिक टन से 6 लाख मीट्रिक टन तक है तथा यह निर्धारित क्षमता की 64 या 65 प्रतिशत बैठती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा वृहस्पतिवार, 24 अप्रैल, 1969/ 4 वैशाख, 1891 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, April 24,, 1969/Vaisakha 4, 1891 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow. 30-8-69—600